

52ND ANNUAL REPORT 2011-12

५२ वाँ
वार्षिक रिपोर्ट
२०११-१२



**NATIONAL COOPERATIVE AGRICULTURE & RURAL
DEVELOPMENT BANKS' FEDERATION LTD.**

**राष्ट्रीय सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक्स
फेडरेशन (मर्यादित)**

LIST OF MEMBERS

(As on 31st March 2012)

1. Andhra Pradesh State Co-operative Bank Ltd., Hyderabad.
2. Assam State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Guwahati.
3. Bihar State Co-operative Land Development Bank Ltd., Patna.
4. Chhattisgarh Rajya Sahakari Krishi Aur Gramin Vikas Bank Maryadit, Raipur.
5. Gujarat State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Ahmedabad.
6. Haryana State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Panchkula.
7. Himachal Pradesh State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Shimla.
8. Jammu & Kashmir State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Srinagar.
9. Karnataka State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Bangalore.
10. Kerala State Co-operative Agricultural & Rural Development Bank Ltd., Thiruvananthapuram.
11. Madhya Pradesh Rajya Sahakari Krishi Aur Gramin Vikas Bank Ltd., Bhopal.
12. Maharashtra State Co-operative Agriculture Rural Multipurpose Development Bank Ltd., Mumbai.
13. Orissa State Co-operative Agricultural & Rural Development Bank Ltd., Bhubaneshwar.
14. Pondicherry Co-operative Central Land Development Bank Ltd., Pondicherry.
15. Punjab State Co-operative Agricultural Development Bank Ltd., Chandigarh.
16. Rajasthan Rajya Sahakari Bhoomi Vikas Bank Ltd., Jaipur.
17. Tamil Nadu Co-operative State Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Chennai.
18. Tripura Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Agartala.
19. Uttar Pradesh Sahakari Gram Vikas Bank Ltd., Lucknow.
20. West Bengal State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Kolkata.
21. Delhi State Cooperative Bank Ltd., New Delhi.
22. Goa State Co-operative Bank Ltd., Panaji.
23. Meghalaya Co-operative Apex Bank Ltd., Shillong.

सदस्यों की सूची

(३१ मार्च २०१२ को)

१. आन्ध्रप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, हैदराबाद.
२. आसाम राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, गुवाहाटी.
३. बिहार राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक मर्यादित, पटना.
४. छत्तीसगढ राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, रायपुर.
५. गुजरात राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, अहमदाबाद.
६. हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, पंचकुला.
७. हिमाचल प्रदेश सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, शिमला.
८. जम्मू एवं कश्मीर राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, श्रीनगर.
९. कर्नाटक राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, बैंगलोर
१०. केरल राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, तिरुवनंतपुरम.
११. मध्यप्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, भोपाल.
१२. महाराष्ट्र राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण बहुउद्देश्यीय विकास बैंक मर्यादित, मुंबई.
१३. उड़ीसा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, भुवनेश्वर.
१४. पॉडिचेरी सहकारी केन्द्रीय भूमि विकास बैंक मर्यादित, पॉडिचेरी.
१५. पंजाब राज्य सहकारी भूमी विकास बैंक मर्यादित, चंडीगढ.
१६. राज्यस्थान राज्य सहकारी भूमी विकास बैंक मर्यादित, जयपुर.
१७. तमिलनाडु सहकारी राज्य कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, चेन्नई.
१८. त्रिपुरा सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, अगरतला.
१९. उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक मर्यादित, लखनऊ.
२०. पश्चिम बंगाल राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, कोलकाता.
२१. दिल्ली राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, नई दिल्ली.
२२. गोवा राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, पणजी.
२३. मेघालय सहकारी अपेक्स बैंक मर्यादित, शिलॉंग.

FIFTYSECOND ANNUAL REPORT 2011-12



NATIONAL CO-OPERATIVE AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT BANKS' FEDERATION LIMITED

701, 7th Floor, BSEL TECH PARK, A-Wing,
Opp. Railway Station, Vashi, Navi Mumbai - 400 703

Telephone (Office): 022 - 27814114 / 426 / 226 • (M.D.): 022 - 27814224
Telegram: BHUMIVIKAS • Guest House: 022 - 25514518 • Fax: 91-22-27814225
E-mail : nafcard@vsnl.com, nafcard.org@gmail.com • Website : www.nafcard.org

**NATIONAL CO-OPERATIVE AGRICULTURE & RURAL
DEVELOPMENT BANKS' FEDERATION LTD., MUMBAI.**

ANNUAL GENERAL MEETING OF THE FEDERATION

NOTICE

Notice is hereby given, that the Annual General Meeting of the National Co-operative Agriculture and Rural Development Banks' Federation Ltd., for the year 2011-12 will be held on Tuesday, 7th August 2012 at 4.15 pm at Hotel Centaur, Srinagar (Jammu & Kashmir) to transact the following business.

1. To confirm the proceedings of the Annual General Meeting of the Federation held on 28th September 2011 at Hotel Bawa International, Mumbai.
2. Consideration of Audited Statement of Accounts for the year 2011-12.
3. Disposal of surplus for the year 2011-12.
4. Consideration of the Statutory Report of Auditors for the year ended 31.3.2012.
5. Consideration of Compliance Report on Auditor's Remarks in Audit Report as on 31.3.2012.
6. Consideration of Annual Report for the year 2011-12.
7. Appointment of Statutory Auditors for the year 2012-13 and fixing audit fees.
8. Consideration of Annual Budget for the year 2013-14.

In accordance with the provisions of Multi State Cooperative Societies Act, 2002, and the Byelaws of the Federation, the General Body shall consist of one representative of each member bank of the Federation who shall be either Chairman/President or the Chief Executive or a member of the Board of the member bank nominated by the Board of Directors of the respective Bank by a resolution, or the Administrator, by whatever name called, of a member bank where there is no Board. Accordingly, member banks are advised to inform the Federation the name of their representative to the General Body along with the resolution of the Board at least 10 days before the General Body Meeting.

By Order of the Board of Management

Sd/-

**(K.K. Ravindran)
Managing Director**

**Place : Navi Mumbai
Date : 04-07-2012**

I. ECONOMIC SCENE

Indian economy is estimated to grow by 6.9% in 2011-12, indicating a slowdown compared not just to the previous two years, when the economy grew by 8.4%, but also from 2003 to 2011, except 2008-09 economic downturn, when the growth rate was 6.7%. With agriculture and services continuing to perform well, the slowdown can be attributed to weakening industrial growth. The services sector continues to be a star performer as its share in GDP has climbed from 58% in 2010-11 to 59% in 2011-12 with a growth rate of 9.4%. Similarly, agriculture and allied sectors are estimated to achieve a growth rate of 2.5% in 2011-12 with foodgrains production likely to cross 250.42 million tonnes owing to increase in the production of rice in some States. The industrial sector has performed poorly, retreating to a 27% share of the GDP. Overall growth during April-December 2011 reached 3.6% compared to 8.3% in the corresponding period of the previous year.

Agriculture including allied activities, accounted for 14.5% of gross domestic product (GDP) at 2004-05 prices, in 2010-11 as compared to 14.7% in 2009-10. In terms of composition, out of the total share of 14.5% that agriculture and allied sectors had in GDP in 2010-11, agriculture alone accounted for 12.3%, followed by forestry and logging at 1.4% and fishing at 0.7%. The average annual growth in agriculture and allied sectors realized during the first four years of the Eleventh Plan Period, i.e. 2007-08 to 2010-11, is 3.5% against the targeted growth rate of 4%. As per the second Advance Estimates, production of foodgrains during 2011-12 is estimated at an all time record level of 250.42 million tonnes which is a significant achievement mainly due to increase in the production of rice and wheat. The target of credit flow for the year 2011-12 has been fixed at ₹4,75,000 crore and achievement as on November 2011 is ₹ 2,94,023 crore.

The area coverage under foodgrains during 2011-12 stood at 1254.92 lakh ha compared to 1267.65 lakh ha last year. The lower area under foodgrains has been due to a shortfall in the area under jowar in Maharashtra, Rajasthan and Gujarat; bajra in Maharashtra, Gujarat and Haryana; and in pulses in Maharashtra, Uttar Pradesh, Andhra Pradesh, and Rajasthan. However the area under coarse cereals and oilseeds has also come down as compared to the previous year. The area coverage under rice during 2011-12 is around 444.06 lakh ha which 15.44 lakh is ha more than the previous year. The area coverage under sugarcane during the current year has slightly improved to 50.81 lakh ha, higher by about 1.96 lakh hectares as compared to the previous year, and the area under cotton has increased significantly to 121.78 lakh ha as compared to 112.35 lakh ha during 2010-11.

The Survey points out that inflation as measured by the wholesale price index (WPI) was high during most of the current fiscal year, though by year end there has been a clear

slowdown in price rise. Food inflation, in particular, has come down significantly. Monetary policy was tightened by the Reserve Bank of India (RBI) to control inflation and curb inflationary expectations. The year witnessed a sharp increase in interest rates that resulted in higher costs of borrowings; and other rising costs affecting profitability and, thereby, internal accruals that could be used to finance investment.

The Economic Survey expects the growth rate of real GDP to pick up to 7.6% in 2012-13 and faster beyond that. The main reason for a slower recovery is the decline in overall investment rate. Gross capital formation during the third quarter of 2011-12 as a ratio of GDP was at 30%, down from 32% one year ago. As fiscal consolidation gets back to track, savings and capital formation should begin to rise; moreover, with the easing of inflationary pressures in the months to come, there could be a reduction in policy rates by RBI, which should encourage investment activity and have a positive impact on growth. Preliminary calculations suggest that the growth rate of GDP in 2013-14 will be 8.6%. These projections are based on assumptions regarding factors like normal monsoons, reasonably stable international prices, particularly oil prices, and global growth somewhere between where it now stands and 0.5% higher. The Global economy remains quite fragile and concerted efforts will be needed through G-20 and other forums to restore stability and renewed growth, including addressing the sovereign debt crisis, financial regulation, growth and job creation efforts and energy security.

The Economic Survey suggests that the progressive deregulation of interest rates on savings accounts will help raise financial savings and improve transmission of monetary policy. Other key areas include the deepening of domestic financial markets, especially corporate bond market and attracting longer-term inflows from abroad. During the first half of 2011-12, India's export growth was a high 40.5%, but has been decelerating since. Imports have grown rapidly, by 30.4% during 2011-12 (April-December). Similarly, country's Balance of Payments has widened to \$ 32.8 billion in the first half of 2011-12, compared to \$29.6 billion during the corresponding period of 2010-11. The foreign exchange reserves increased from US \$ 279 billion at end March 2010 to US \$ 305 billion at end March 2011. Reserves varied from an all-time peak of US\$ 322.2 billion at end August, 2011 and a low of US \$ 292.8 billion at end-January, 2012.

The Survey recognizes that sustainable development and climate change are becoming central areas of global concern and India too is equally concerned and engaged constructively in global negotiations. Climate change challenges ahead are large and India is doing more than its fair share in reducing its energy-intensity of growth. India is now much more closely integrated with the world economy as its share of trade to GDP of goods and

services has tripled between 1990-2010. At the same time, the extent of financial integration, measured by flows of capital as a share of GDP, has also increased dramatically and the role of India in the world economy has commensurately expanded, along with the other major members of emerging markets.

(Ref. Economic Survey 2011-12)

II. COOPERATIVE LONG TERM CREDIT STRUCTURE OVERVIEW

Rural Cooperative Credit System in India evolved into two separate streams for ST credit and LT credit. The Long Term Credit Structure had its beginning in the early 1920s with the establishment of Land Mortgage Banks to provide long term loans to farmers to redeem their prior debts. The first Land Mortgage Bank was established in 1920 in Punjab followed by establishment of large number of such banks in all provinces. The first Central Land Mortgage Bank started functioning in Madras to centralize the issue of debentures and to coordinate the working of Primary Land Mortgage Banks. The Bombay Banking Enquiry Committee (1930) mentioned about the inadequacy of resources of primary credit societies to undertake long term lending and advocated formation of Land Mortgage Banks to meet long term credit needs of farmers. The 1930s and 40s witnessed mushroom growth of Land Mortgage Banks throughout the country without any uniform pattern with regard to their size and operations. The All India Rural Credit Survey Committee recommended reorganization of Land Mortgage Banks with a State level apex body and Primary Land Mortgage Banks at taluka level affiliated to it. The Committee also assigned a developmental role to the Land Mortgage Banks by diversifying their operations into investment credit for agriculture. Central Land Mortgage Banks were established in almost all States during the II Five Year Plan which became State Cooperative Land Development Banks and in the 90s as State Cooperative Agriculture & Rural Development Banks.

The contributions of Agriculture & Rural Development Banks (ARDBs) to the development of Indian agriculture have been quite significant in the post Independence era. ARDBs played a very important role in improving the productivity of land especially through development of minor irrigation and facilitating farm mechanization in the 60s and 70s. While continuing to promote capital formation in agriculture, these banks started financing rural non-farm sector projects in a big way in the 80s and 90s which helped rural families to increase their incomes substantially through value addition to their produce apart from providing opportunities for alternate employment.

The training needs of about 25000 personnel of SCARDBs & PCARDBs as well as elected Board Members of the State & Primary ARDBs are largely met by JLTCS run by SCARDBs with financial support from NABARD, Institutes of Co-operative Managements and Regional Institutes of Co-operative Management (ICMs and RICMs) run by NCCT with funding support from GOI & Regional Training Centres run by NABARD. Middle and Senior level personnel are trained mainly at VAMNICOM & CAB, Pune & BIRD, Lucknow and National Institute for Rural Banking, Bangalore.

While MIS (Management Information System) has been computerized by almost all SCARDBs, entire operations at all levels have been fully computerized by Kerala & Punjab SCARDBs. Computerization of operations is at varying stages of progress with regard to other major SCARDBs.

The LT Structure has done commendable work in speeding up capital formation in agriculture. The performance of ARDBs, however, started declining since the latter part of 90s mainly due to inherent deficiencies associated with their design as non-resource based specialized term lending agencies, severely restricting their ability to meet the financial service needs of members adequately in competition with other rural financial institutions.

These deficiencies, coupled with impairments and infirmities in key areas of their working due to factors internal as well as external to the system resulted in drastic deterioration of the financial health and viability of these institutions during the last 10 years or so.

Loan recovery in the sector has been badly affected after the announcement of ADWDR Scheme in February 2008. Frequent natural calamities affecting crops, govt interferences in the recovery process have also contributed to the trend of increasing overdues and NPAs. Though loan recovery registered substantial improvement in the last two years, most of the banks are yet to reach a zone of comfortable level.

Governance at State and Primary level ARDBs are impaired by a host of factors. Lack of autonomy and operational freedom, absence of elected board in majority of institutions, appointment of CEOs by Government without proper selection process, frequent change of CEOs, lack of professionals in various operational disciplines, inadequate training & HRD efforts, Government interferences in the management of the banks etc. are the major factors, responsible for poor governance.

In spite of these deficiencies, the structure continues to be relevant and needs to be revived to arrest the rapid fall in the proportion of investment credit in the total flow of farm credit. The revitalization of the structure, involves transformation of SCARDBs and

PCARDBs into self reliant autonomous member driven organizations, capable of delivering financial services to the rural sector effectively, in a competitive environment, with focus on capital formation in agriculture.

III. DEVELOPMENTS DURING 2011-12 HIGHLIGHTS

1. Preparedness of ARDBs for Revival

During the year under report, Federation and SCARDBs vigorously pursued the recommendations of Zonal Seminars on Preparedness of ARDBs for Revival which was held during January-February 2012.

Zonal Seminars focused on actions required to be initiated by SCARDBs and PCARDBs to address their present challenges in the areas of loan recovery, resource mobilization and business development for preparing themselves for revival. The Standing Committee of CEOs of SCARDBs finalized draft guidelines to SCARDBs for implementing the recommendations of Zonal Seminars in the above areas. These draft guidelines were approved by the Board in its 133rd Meeting at Hyderabad on July 29, 2011 which were subsequently circulated to member banks for necessary action. The salient aspects of these guidelines are furnished below.

Business expansion and diversification

Most of the institutions in the structure are operating at business levels which are grossly inadequate to meet their management and risk costs. Attaining break even business levels within a period of 3-5 years is vital for their revival. The structure also needs to increase its share in investment credit in each State to prove its relevance. Further a range of short term and long term products needs to be developed to meet the varied credit needs of members. Supplementing investment credit with short term loans are particularly essential for the following reasons:-

- (i) To make available working capital/production credit to derive full benefits of assets created out of investment credit.
- (ii) To end dependence of members on informal sources for short term credit.
- (iii) To increase frequency of contacts with borrowers which is necessary for improving loan recovery.
- (iv) To attain viable business levels.

The structure in many States especially where it operates through district level

PCARDBs need to expand their net work and outreach significantly through opening field offices/contact points in interior places.

The Business Development Plans of ARDBs should devote renewed attention on the following:-

- (i) Development of minor irrigation/micro irrigation systems.
- (ii) Issuing KCC to their members to streamline the process of purveying credit.
- (iii) To pursue group approach especially in financing lessee/tenant farmers, agricultural labourers and tribal farmers.
- (iv) Issuing crop loans with refinance from NABARD.
- (v) Extending cash credit facility to long term borrowers who are prompt in repayment based on repaying capacity and existing security.
- (vi) To explore avenues for generating revenue from non-fund based businesses like sale of insurance products to borrowers, arranging/outsourcing remittances/DD facilities through tie-up with banks etc.

Resource mobilization

A. Deposits

Business development plans of ARDBs cannot be executed effectively without raising substantial own resources through deposits.

NABARD with the approval of RBI permitted SCARDBs to accept fixed deposits of 1-3 years duration from public upto its net worth vide guidelines on deposit mobilization issued in 1997. However, the scheme did not succeed in raising substantial resources in any State due to restrictions in accepting short term deposits and exclusion of primaries from the scheme.

The Zonal Seminars in the above context recommended confining deposit mobilization programme of ARDBs to member deposits which are outside the regulatory framework of RBI/NABARD. It was observed that SCARDBs have huge potential to mobilize rural deposits on account of its statewide jurisdiction and large member base. Moreover, mobilization of members savings is an essential function of credit cooperatives and also an important tool for financial inclusion. As recommended by Zonal Seminars, the Federation issued detailed guidelines on deposit mobilization suggesting deposit schemes suitable for ARDBs as well as working instructions for implementing deposit schemes and deploying the resources mobilized through deposits.

(i) Thrift Deposits from members

- Thrift deposits are suitable and advantageous for ARDBs in terms of cost of funds and retention of available balance for longer periods compared to other kinds of deposits.
- SCARDBs should make opening of thrift deposit account compulsory for all members with an initial deposit of ₹500 through appropriate board decisions/provisions in the byelaws.
- Member can make deposits in the account whenever he wants and withdraw any amount over and above the minimum balance of ₹500 using a withdrawal slip, any time he needs money, without restrictions.
- The collection points of deposits shall be PCARDBs or its branches as well as branches of SCARDBs.
- Rate of interest shall be 4% p.a. on monthly average balance as applicable to savings bank accounts with banks. The interest should be worked out and credited to the account on 31st March and 30th September every year.
- SCARDBs to introduce quarterly 'Lucky Draw Scheme' for thrift deposits having balance above ₹5000 in the account throughout the quarter with the following features:-
 - i) There shall be four quarterly draws every year.
 - (ii) Total value of prizes given away during the year shall not exceed 1% of total deposits outstanding in accounts eligible for participating in the draw.
 - (iii) For each draw, there shall be a bumper prize such as motorcar/motorcycle/power tiller etc depending upon the amount that can be set apart for giving the prizes.
 - (iv) There shall also be a number of other prizes in each draw such as ceiling fans, mobile phones, cash prizes etc depending on the number of eligible accounts as well as the amount available for giving the prizes.
 - (v) The bumper prizes for each draw should be arranged in advance and its image should be exhibited in all deposit collection points along with other details of prizes.

(ii) Recurring Deposits

Members can open recurring deposits for depositing a fixed amount on a monthly basis. The maturity value of recurring deposits with interest accrued is withdrawable on completing the period of recurring deposit account which can be 12 months, 24 months, 36 months etc.

(iii) Fixed Deposits

Fixed deposits are taken for a fixed period, the minimum of which may be 3 months in the case of ARDBs at a specific interest rate with options of interest payable on quarterly basis or capitalized quarterly and payable on maturity.

(iv) Cash Certificates

Cash certificates of ₹5000 or ₹10000 can be issued for three years or five years at a discounted prize depending on the rate offered and the period of deposit. Cash certificate scheme suits certain class of depositors and will also be convenient for the bank from the purview of accounting and servicing of deposits.

(v) Share Capital Converted Deposits

Instead of repaying shares on closure of loan, the bank may convert the shares into fixed deposits or cash certificates with assured returns to the member.

Working instructions for implementing deposit schemes

- Banks to ensure that all depositors are enrolled as members.
- In federal structure, member deposits can be collected only by primaries which needs to be transferred to SCARDBs for proper management and deployment of funds.
- It should be ensured that deposits outstanding at the primary level at the end of every month should be equivalent to their deposits outstanding with the SCARDB.
- SCARDBs and PCARDBs should use on-line real time fund transfer facilities (through NEFT/RTGS) offered by banks for transfer of funds to avoid transit delays and minimize bank charges.
- SCARDBs to pay interest on deposits by primaries at 1% more than the average cost of deposits for primaries to defray the cost of collection, accounting and servicing.
- All deposit taking primaries need to avail overdraft limit from a bank close to it, in order to ensure timely liquidity to pay interest and meeting withdrawal demand.
- The interest on overdraft availed by the PCARDB for timely servicing of deposits should be met by the SCARDB which is the ultimate custodian of deposits collected by the PCARDB.
- Deposit resources should be used mainly for issuing non agricultural short term loans, the interest rate of which may be linked to the actual cost of funds for the

SCARDB including interest on overdraft drawals reimbursed to the primaries (for servicing the deposits) with a margin of 5% per annum for the structure as a whole to cover transaction and risk costs.

- The rate of interest on deposits may be fixed at 1% above the prevailing rate of banks to encourage savings by members.
- Banks to ensure auto renewal of deposits for the same tenure as original deposit at the prevailing interest rate when the depositor does not approach for closure of deposit account on maturity.
- Banks should obtain nomination from all depositors along with deposit application.
- Passbook should be issued for thrift deposit accounts and recurring deposit accounts.
- The terms and conditions of deposits should be mentioned in the deposit application form which should also include a clause for giving one day's notice by the depositor for withdrawal of the amount of deposit on maturity especially in respect of high value deposits.
- There is no need for TDS deduction from interest earned by member on deposits since such incomes of the member received from a cooperative is exempted from income tax under the principle of mutuality.
- The interest rates on various types of deposits and lending rates on short term loans being issued out of deposit funds are to be fixed by a Committee at the SCARDB level consisting of Chairman, CEO, CGM and GMs in-charge of Finance and Advances, periodically, based on general interest rate scenario.
- SCARDBs to invest not less than 50% of total deposits in securities and bank deposits for maintaining liquidity and ensuring safety of funds. Balance amount should be deployed in short term credit products.
- Following short term credit products should be implemented through PCADBs for this purpose.
 - (i) Jewel loans
 - (ii) General Cash Credit Scheme to prompt repayers of long term loans
 - (iii) Consumer durable loans
 - (iv) Traders loans

- All deposit schemes should be given good publicity through advertisements and other means.
- A separate budget for advertisement not exceeding ½% of the average level of outstanding deposits during the year should be allocated.
- Deposit mobilization may be started in centres where building and other infrastructure are good.
- Banks may also modernize buildings and other infrastructure in the branches for launching deposit schemes.
- Concerned staff in such centres should be given necessary training.
- Appropriate incentives to staff should be considered for encouraging deposit mobilization and enrolling new membership with deposit account who can subsequently become borrowing members also.
- SCARDBs should fix branchwise/PCARDBwise monthly targets for deposit mobilization. The achievement of targets should be reviewed at Branch/Region/H.O. level.
- Loans upto 90% of fixed deposits can be sanctioned at interest rate of 1% above the deposit rate.
- SCARDBs to give detailed instructions to PCARDBs and branches regarding books to be maintained, arrangements for transfer of funds to SCARDB, opening of overdraft account with a bank for servicing of deposits including timely refund of deposits on maturity, printing and custody of blank fixed deposit receipts, method of interest application in deposit accounts, procedure regarding premature closing, sanctioning loan on the security of deposits, minimum balance to be maintained in thrift deposits, quarterly statement regarding thrift accounts eligible for quarterly lucky draw, returns to be sent to SCARDB on deposit outstanding, collections, refund etc and the periodicity of the same.

B. Refinance from NABARD

Long term funds by way of refinance from NABARD are vital for ARDBs to fulfill their mandate for providing long term loans to farmers. Traditionally, SCARDBs are dependent on NABARD's refinance for advancing loans and NABARD used to meet the resource needs of ARDBs more or less adequately. This helped the structure to maintain viable business levels till the end of 90s. But there has been a marked shift in the refinance policy of NABARD

with regard to SCARDBs during the last 10 years resulting in reduction in number of banks eligible for refinance as well as drastic decrease in the share of refinance for investment credit allocated to SCARDBs.

During 2011-12 only 9 out of 19 SCARDBs were given refinance by NABARD. Out of 11 SCARDBs who got refinance during 2010-11, Chattisgarh and Himachal Pradesh could not make any drawals during 2011-12 as they did not obtain State Govt's approval for switch over to loan system which was introduced by NABARD in September 2011. Tamil Nadu, Gujarat and Pondicherry SCARDBs even though fulfill qualitative norms for refinance eligibility are unable to draw refinance due to non availability of govt guarantee. Tamil Nadu and Gujarat SCARDBs are expected to obtain govt guarantee from 2012-13 while NABARD has to take a view regarding the acceptability of guarantee being offered by Govt of Pondicherry. The chances of reviving refinance support to other SCARDBs depend on their revival under the proposed package recommended by Vaidyanathan Task Force II or through initiatives by State Govts concerned.

Refinance eligibility of SCARDBs is linked to apex level recovery position. In spite of substantial improvement in ground level recovery, apex level recovery percentage in some of the federal SCARDBs did not show any improvement due to huge excess demand of SCARDBs to PCARDBs on account of imbalances. SCARDBs need to reschedule such excess demand for a period of 10 years to minimize the impact of imbalances on its DCB position.

C. Refinance support from Central and State Govts

NABARD has recently scaled down the quantum of refinance to SCARDBs uniformly to 90% of loans issued from almost 96% on the average prior to that. Being non resource based institutions, SCARDBs cannot meet this gap without refinance support of Central and State Govts at the enhanced rate of 5% each compared to about 2% before. NABARD has introduced loan system for its portion of refinance, whereas Central and State Govts can extend support only through subscriptions in Debentures. SCARDBs, therefore, have to continue debenture system for drawing govts share of refinance. While Central Govt has agreed to continue its subscription to debentures of SCARDBs at the enhanced rate of 5% of loans issued on matching basis with State Govt., SCARDBs should approach State Govts concerned for ensuring its subscriptions on matching basis.

D. Support from NCDC/Commercial Banks

NCDC funds help the structure to meet the short term credit needs of members. The line of credit to SCARDBs extended by NCDC is presently availed by a few banks based on pledge

of FDS/govt guarantee. Commercial banks have also shown interest in giving loans to SCARDBs with sound financials. SCARDBs should evolve appropriate short term/medium term products that can be financed through funding support from commercial banks.

Recovery strategies

ARDBs need to achieve substantial improvement in loan recovery for fund recycling, realizing margins and improving eligibility for enhanced refinance/borrowing limits.

Banks have been advised to follow practices/procedures/systems which are found effective in improving recovery performance.

Good lending

Following practices, which enhance the quality of lending, have increased the success rate of projects financed and reduced the incidence of loan default.

- Selecting genuine borrowers.
- Realistic assessment of repaying capacity and risk profile of the loan applicant.
- Following customer friendly loan procedure which reduces time lag in sanctioning loans.
- Minimising the number of times the applicant is required to visit the bank for completing the loan procedure and documentation.
- Ensuring that the borrower has access to quality inputs and other support services.
- Ensuring access to working capital/crop loans.

Shorter loan period based on overall repaying capacity of the borrower, to facilitate faster recycling of funds and improvement in the liquidity position of the bank.

Monthly instalments

Fixing monthly instalments facilitates early detection of repayment problems and making corrective measures possible before the overdue amount becomes too large to regularize the account. It is appropriate to fix monthly repaying instalments in respect of all kinds of non farm sector loans and allied activities with continuous flow of income as well as in cases where the loanees have monthly income from other sources.

Continued financial support through short term loans/cash credit

Continued financial support is required to maintain frequent contacts with the borrower, to reduce his dependence on informal sources of credit, and to ensure that assets created out of investment credit are fully utilized.

Recognition/incentives to prompt repayers

Some banks have introduced schemes to reward prompt repayers by giving prizes, interest incentive, priority in sanctioning fresh loans, cash credit limit etc. Such incentives motivate prompt repayers to maintain that status and defaulters to become prompt repayers.

Linking staff benefits to recovery and realized net margins of branches/PCARDB

Some banks have linked release of additional benefits to staff with the realized net margins of the branch/PARDB leading to better results in recovery.

Legal recovery measures

The banks need to pursue legal recovery measures when two instalments become overdue. In some states, the policy of state govt is not in favour of recovery of loan through sale of land. The banks in such situations should pursue other measures such as attachment and sale of moveable properties of the borrower for recovering overdue instalments. Sale of land becomes necessary only when the loan account is foreclosed and the entire amount outstanding has to be recovered in lumpsum. However, banks can avoid the necessity to foreclose loans if they take effective measures to collect defaulted instalments.

Rescheduling of demand in genuine cases

Rescheduling of demand in respect of an individual borrower can be done by the bank if the borrower is not in a position to pay the instalment due to genuine reasons. Such reschedulements, however, will not be eligible for corresponding reschedulement of demand at the level of higher financing agencies including NABARD. Similarly, in federal structure the total demand including arrear demand of SCARDBs to primaries are substantially higher than the demand of primaries with their members as well as its repayment liabilities to creditors. SCARDBs in such cases may block and reschedule the excess demand to primaries for 10 years in order to make its demand realistic and comparable with demand of primaries at the ground level.

Restructuring

SCARDBs have been advised to classify PCARDBs and branches into viable, potentially viable and non viable based on business levels vis-à-vis establishment cost, recovery performance, working results, staff productivity etc. and prepare branchwise/PCARDBwise action plans for strengthening viable units and to attain viability within a reasonable period

by potentially viable units. Banks also need to evolve an exit policy for non viable units.

SCARDBs have to evolve strategies to increase outreach. While network expansion through opening branches is not possible in the short run banks, should increase contact points in interior locations in rural areas, visited by its staff in alternate days, tying up with local institutes, NGOs etc.

HRD and Training

Introducing special training programmes for elected directors which may be made mandatory for first time directors. SCARDBs to prepare a two-day training programme for the same covering the following areas.

- (i) Relevant provisions of Act, Rules and Byelaws.
- (ii) Vision, mission and functions of ARDBs.
- (iii) Roles, rights and responsibilities of elected directors including dos and donts.
- (iv) Reading financial statements with reference to an ARDB.
- (v) Trends and developments in the long term cooperative credit structure.

SCARDBs should evolve crash training programmes in deposit mobilization and short term lending to cover all staff concerned.

Staff training needs to be encouraged by providing incentives of additional increments to staff for acquiring additional qualifications like CAIIB.

Banks need to make fresh recruitment in sync with business expansion and also should recruit a few professionals in the HO to strengthen middle level management.

2. Shifts in the refinance policy of NABARD

Investment credit with refinance support of NABARD is the only business of most of the institutions in LTCCS. There has been a steady decline in the business levels of these banks in the last five years due to reduced allocation of refinance by NABARD. NABARD's disbursement of refinance to SCARDBs during the last five years have come down both in absolute and relative terms. The yearly allocation of refinance given to SCARDBs are generally less than their repayments to NABARD during this period. This has happened primarily due to changes in the refinance policies of NABARD, resulting in substantial erosion in the refinance eligibility of banks. The year under report witnessed further tightening of refinance policies by NABARD.

A. Eligibility norms

As per existing eligibility norms of NABARD, only those SCARDBs with recovery more than 70% are eligible for enhanced refinance allocations over the previous year. When recovery of agricultural loans is hampered by a host of factors beyond the control of banks, none of the banks could cross the above benchmark for higher refinance eligibility.

At present almost all banks are operating at business levels significantly less than the minimum level required to meet their transaction and risk costs. Substantial increase in business levels within a short period is vital to restore the viability of these institutions. Enhanced refinance allocations by NABARD is a necessary condition to achieve this. The present refinance policy of NABARD with regard to ARDBs need to be reviewed on the above background. Under the existing policy, NABARD does not consider any amount of improvement in recovery for enhanced refinance allocations until the recovery percentage reaches at 70%. A bank achieving improvement in recovery over the previous year irrespective of any cut off level deserves higher refinance allocation to sustain that trend and improve its viability in terms of business levels.

B. Refinance against crop loans

NABARD started providing refinance support to SCARDBs for giving crop loans to their members who availed investment credit from 2008-09. However, the scheme did not find favour with the SCARDBs due to the following reasons:-

Lack of separate allocation of funds for issuing crop loans

Most of the banks are unable to use a part of limited allocations given for investment credit which itself is insufficient. Kerala and Rajasthan which are issuing crop loans also faced the following difficulties.

- (i) Banks experience a time lag upto six months in getting refinance resulting in heavy losses on account of doubling costly funds at 7% interest. It is pointed out that NABARD does not follow a system of providing refinance against crop loans on a concurrent basis.
- (ii) The crop loans of Rs.220 crore issued by these banks during 2011-12 have not been refinanced so far reportedly on account of lack of clearance from Ministry of Finance. This has caused heavy losses to these banks. The requests of these banks as well as Federation for a helpful response from NABARD to rescue them from the crisis which has accrued only due to the inability of NABARD to continue its refinance, have not yielded any result.

C. Introduction of loan system

NABARD introduced loan system to provide its share of refinance to SCARDBs instead of through subscription to debentures with effect from 2 September 2011.

In the early 90s, Federation proposed loan system in order to simplify the cumbersome procedure involved in drawing refinance from NABARD through debentures. It was also thought that loan system would facilitate drawal of refinance by SCARDBs without govt guarantee since govt guarantee was mandatory for debentures. Federation also suggested continuing debenture system in respect of Central and State Govts' share of debentures since SCARDBs did not have own sources of funds to finance loans not covered by NABARD's refinance. NABARD, however, did not proceed further in the matter after some initial discussions with the Federation and SCARDBs. There were no further discussions on this proposal with the Federation at any time during the last 10 years.

In the above context, the sudden announcement of NABARD to switch over to loan system came as a surprise. It is also seen that instead of streamlining policies and procedure, NABARD made it more restrictive and tighter while introducing loan system contrary to suggestions made by the sector.

Introduction of loan system midway through the year without giving time for completing preparedness at the level of SCARDBs and State Govts added to the delay in drawing refinance causing substantial financial losses to the bank, apart from slowing down lending programme in the absence of funds recycling. This delay also made banks to draw refinance at substantially higher interest rate due to repeated hikes in interest on refinance in the interregnum.

D. Changes in the conditions of refinance

NABARD has introduced following major changes in the conditions of refinance to SCARDBs along with switch over to loan system.

- (i) Downscaling refinance to 90% of loans issued uniformly for all purposes.
- (ii) Withdrawal of two year extension in repaying refinance compared to the period of corresponding loans.
- (iii) Half yearly due dates for payment of interest.

These changes adversely impact the viable functioning of SCARDBs in the following ways.

- (i) Being non resource based, SCARDBs are unable to meet 10% shortfall in refinance. This shortfall will severely affect their lending programme unless fully met by Central and State Govts.

- (ii) 2 year additional period for repaying refinance enabled SCARDBs to partially cover overdues at farmer level. Timely repayment of dues to NABARD would become difficult without this cushion. Withdrawal of 2 year cushion, therefore, tends to increase the chances of SCARDBs defaulting repayment to NABARD.

E. Risk profiling of SCARDBs

NABARD started the process of risk profiling of SCARDBs for the purpose of refinance allocation completely discarding the fact that timely repayment of the funds given to them is guaranteed by State Govts. The structure had incurred heavy losses on account of govt policies which are yet to be compensated by the proposed package recommended by Vaidyanathan Task Force. Risk profiling of SCARDBs before recapitalization and reforms in this context should not result in further reduction in number of SCARDBs eligible for support and also reduction in the quantum of support given to eligible banks. Further reduction in refinance support to these banks will not only dampen their chances of revival but also will aggravate the credit crisis faced by their members.

F. Audit by chartered accountants

NABARD has instructed SCARDBs to arrange audit of annual accounts by chartered accountants being selected from the panel approved by NABARD from 2011-12. The audit by Chartered Accountants will be independent of statutory audit if it is done by cooperative department. NABARD proposes to link eligibility and quantum of allocations to SCARDBs to their financial position as being revealed in the proposed audit.

While audit by chartered accountants will facilitate timely completion of audit, it will lead to doubling of audit cost in terms of audit fee and staff to be deployed for the purpose, in States where statutory audit has to be done by the department.

As mentioned earlier, in the absence of recapitalization, financial health of most of the SCARDBs are not in the best of shape. Financial position, therefore, should not be the main criterion for fixing the refinance eligibility of SCARDBs at this stage, especially when its refinance to SCARDBs is completely risk free as its repayment is guaranteed by the Govt.

However, it will be a welcome step if the intention is to introduce a system to identify areas to be addressed to improve the credit rating of ARDBs and to do away with govt guarantee for refinance in due course.

3. International Year of Cooperatives 2012

United Nations has declared 2012 as International Year of Cooperatives with the theme 'Cooperative Enterprises build a Better World', throwing attention to the important role of

cooperatives in promoting social and economic development and also underlying the entrepreneurial character of cooperatives. The focus of International Year of Cooperatives 2012 will be to raise public awareness of cooperatives in their diversity especially among the young population. The IYC aims at increasing public recognition of cooperatives and enhance its socio economic impact resulting in creation of enabling policy and legislation for cooperative formation and growth.

The Federation welcomes UN IYC 2012 as a big opportunity to create awareness among general public about the unique advantages of cooperatives and its contributions to socio economic development with focus on the role performed by ARDBs in rural development through its contributions to rural employment and incomes. The Board of Management of the Federation decided to identify, document and popularize success stories of outstanding performance by institutions in the structure and projects financed by ARDBs with remarkable success as part of IYC celebrations. Federation has also issued guidelines on programmes to celebrate UN IYC 2012 which included documenting success stories, holding conventions at regional and local levels, special programme to support youth entrepreneurs in rural areas and state level essay competitions on subjects relevant to cooperation and cooperative business model at high school and college levels.

4. Revitalisation Package for Cooperative Long Term Rural Credit Structure

The package for reviving institutions in the Long Term Cooperative Credit Structure continues to be a non starter in spite of its announcement in the Union Budget 2008-09 and the Union Cabinet given its approval to the scheme in February 2009. Subsequently, the Task Force appointed by the Govt under the chairmanship of Shri G.C. Chaturvedi to review the scheme also recommended its implementation with a revised outlay and with some changes in the eligibility norms. The Federation continued efforts to expedite the implementation of the scheme through delegations to Union Finance Minister, State Minister of Finance and representations at various levels in the Govt. Most of the State Govts also took up the issue of continuing delay in implementing the package with the Central Govt. The Finance Minister in reply to a question moved by Ms. Anusuya Uiki, M.P., informed the Rajya Sabha on 30th August 2011 that the revival package for LTCCS was under consideration of the Govt. The Ministry of Finance in October 2011 also informed Hon'ble President of India who made a reference to the Ministry on this issue that the revival package for LTCCS would be finalized soon. However, it is a matter of grave concern that proposal has not reached the stage of implementation in spite of assurances given by the Govt.

5. Interest rates on NABARD's refinance to SCARDBs

The interest rate on NABARD refinance continued its upward trend during the year. The present rate of interest on NABARD refinance is 10% p.a. with effect from 5 November 2011 compared to 7.25% in August 2010 and 9.15% at the beginning of the year.

Even though NABARD increases the rate of interest prospectively, its impact falls retrospectively on ARDBs since the increased rate applies to loans already disbursed at interest rates based on pre-revised cost of refinance including refinance applications of SCARDBs with NABARD which are kept pending for disbursement. Consequently, SCARDBs had to draw refinance at rate of interest much higher than what was prevailing at the time of disbursing loans. This difference sometimes exceeds the interest margins available to the SCARDBs resulting in negative net margins on a long term basis. Since NABARD turned down the request to apply the revised interest rates only on refinance in respect of loans issued from the date of revision, the issue is left to SCARDBs to resolve. The Federation suggested that SCARDBs should carry out one time revision of interest rates on loans after drawal of refinance based on its actual cost. This suggestion is yet to be implemented by all SCARDBs.

6. Union Budget 2012-13 Highlights

Union budget 2012-13 was presented in the Parliament on 16 March 2012. While presenting the Budget, Finance Minister listed the following objectives in fiscal management in 2012-13.

- (i) Focus on domestic demand driven growth.
- (ii) Creating condition for rapid revival of growth in private investment.
- (iii) Addressing supply bottlenecks in agriculture, energy and transport sectors.
- (iv) Decisive intervention to address the problem of malnutrition especially in the 200 high burden districts.
- (v) Improving delivery systems, governance and transparency and addressing the problem of money and corruption in public life.

The budget which was presented in the backdrop of declining investments and capital formation during the three years in succession proposed a number of measures to strengthen investment environment. These measures include the following:-

- Intention to pursue the proposal to allow 51% FDA in multi-brand retail.
- Rajiv Gandhi Equity Saving Scheme to provide income tax deduction upto 50% of

direct investments in equity upto ₹50,000 by new investors in the income slab of below ₹10 lakhs.

- Capital market reforms to simplify the process of IPOs.
- Renewed thrust on infrastructure by fixing a target of ₹50 lakh crores investments during XIIth Plan.
- Adding more sectors for Viability Gap Funding under PPP mode.
- Defence PSUs in PPP mode.
- Setting up infrastructure Debt Fund of ₹8000 crores.
- Raising ₹60000 crores through tax free infrastructure bonds for financing infrastructure.

Agriculture

Following are the highlights of budget proposals related to agriculture.

- Rashtriya Krishi Vikas Yojana to be continued with an outlay of ₹9,217 crore.
- Green Revolution initiative for Eastern India to be continued with an increased outlay of ₹1,000 crore as against ₹400 crore last year.
- Merger of various sectoral schemes under the following National Missions during XIIth Plan
 - (i) National Food Security Mission
 - (ii) National Mission on Sustainable Agriculture including Micro Irrigation
 - (iii) National Mission on Oil Seeds and Oil Palm
 - (iv) National Mission on Agricultural Extension and Technology
 - (v) National Horticultural Mission

Agricultural Credit

- Target for agricultural credit increased from ₹4,75,000 crore to ₹5,75,000 crore.
- 3% interest subvention for prompt repayment of crop loans upto ₹3 lakhs will continue.
- Setting up of separate refinance fund for RRBs to advance crop loans.
- Kisan Credit Cards to be modified to Smart Cards usable in ATMs.
- Accelerated Irrigation Benefit Programme to be modified with 13% increase in outlay to ₹14,242 crore.

- Setting up of Irrigation and Water Resource Finance Company to raise resources for large size irrigation projects.
- Creation of additional foodgrains storage facility.
- New centrally sponsored scheme for food processing titled National Mission on Food Processing.
- Allocation under RIDF enhanced to ₹20,000 crore of which ₹5,000 crore earmarked for additional warehousing facilities.

Budget estimates

- Gross Tax Receipts ₹10,77,612 crore.
- Net Tax Receipts to Centre ₹7,71,071 crore.
- Non-tax Revenue Receipts ₹1,64,614 crore.
- Total expenditure ₹14,90,925 crore.
- Transfers to State Govts ₹3,65,216 crore.
- Fiscal deficit 5.1% of GDP as against 5.9% in 2011-12.
- Net internal borrowings to finance deficit ₹4.79 lakh crore.

Cooperation

The budget as usual lacks any reference to cooperative sector in spite of 2012 being International Year of Cooperatives.

7. Suggestions relating to LTCCS submitted for consideration by the Government

The Federation has forwarded the following suggestions relating to ARDBs for consideration by Government of India in the context of preparation of Union Budget 2012-13.

1) Issues relating to Package for Revival of Rural Cooperative Credit Structure (Long Term)

Former Finance Minister in his Budget Speech 2008-09 had announced implementation of Revival package for Long Term Cooperative Credit Structure based on the recommendations of Vaidyanathan Task Force II. The Union Cabinet approved the final package on 26 February 2009. However, the same could not be circulated to State Governments for implementation, as General Elections of Summer 2009 was notified shortly thereafter. After general elections, the Ministry of Finance instead of taking steps to implement the package, appointed another Task Force under the Chairmanship of Shri G.C.

Chaturvedi, then Additional Secretary(Finance), to review the package which was already approved by the Cabinet. The Chaturvedi Task Force submitted its Report in February 2010, endorsing the same package with certain minor modifications. Subsequently, the National Federation of State Co-op. Agriculture and Rural Development Banks, was informed that Ministry of Finance was taking steps to finalise the package with the approval of Union Cabinet. The matter is still pending with the Ministry of Finance, without any progress.

The delay in finalizing and implementing the package has resulted in further weakening of institutions in the Long Term Cooperative Credit Structure. The total losses incurred by the structure as on 31.3.2010 were ₹5209 crores. Directed credit, regulated interest rates without allowing required interest margins to meet transaction and risk costs, losses on account of implementing Debt Waiver Schemes, high overdues on account of distress of farmers etc., were the main reasons for the losses incurred by the structure.

The weaknesses of L.T. structure due to the above reasons as well as undue delay in implementing the revival package based on the recommendations of VTF II has resulted in drastic reduction in the availability of investment credit to farmers.

About 138 lakhs rural families, who have borrowed investment credit from ARDBs, are deprived of continued credit support, due to the weaknesses of structure. They are unable to access credit from other agencies as their landholdings are already mortgaged to LTCCs.

The delay in implementing package, which was announced by the Government in the Budget for 2008-09, and finally approved by the Cabinet in 26 February 2009, resulted in loss of precious time to address the financial and institutional weaknesses of the structure and credit crisis faced by large segments of farmers, mostly belonging to the category of small and marginal farmers. The Government should, therefore, take early steps to implement the revival package for LTCCs.

2) Extending the Interest Subvention Scheme for Crop Loans to SCARDBs

The farmers, who avail investment credit for agriculture from Long Term Cooperative Credit Structure (State Cooperative Agriculture & Rural Development Banks and Primary Cooperative Agriculture & Rural Development Banks) on the security of land, generally are unable to access Crop Loans from other banks.

Since this affected nearly 135 lakh farmers, NABARD since 2007-08 has been giving refinance to SCARDBs to issue crop loans to their members. NABARD however, stopped this facility from the current financial year pointing out that the Interest Subvention Scheme of GOI for crop loans is not extended to institutions in the LTCCs (SCARDBs and PCARDBs).

The Federation has taken up this matter with GOI for extending the interest subvention scheme for crop loans to farmers who avail crop loans from ARDBs also.

Though it was assured that early decision would be taken to include ARDBs in the purview of the interest subvention scheme for crop loans, the matter is still pending with Ministry of Finance, resulting in denial of crop loans to farmers who are members of ARDBs during the current year. Government may, therefore, take an early decision on the proposal to extend interest subvention scheme for crop loans to farmers who avail crop loans from ARDBs also.

3) Interest Rate for Investment Credit to Farmers

Government of India had taken steps to make available crop loans to farmers at 7% interest with additional subvention of 3% for prompt repayment. The effective rate of interest on short term crop loans has now come down to 4%. However, the high interest rate on investment credit to farmers continues to be a matter of concern. Presently, NABARD charges 10% interest on funds given to banks for advancing investment credit. At this rate, farmers are required to pay not less than 14% for investment credit. Moreover, Government has also not extended the additional interest subvention of 3% for prompt repayment to the borrowers of investment credit. Hence, interest rate of investment credit is more than 3 times of the effective interest rate on short term agriculture credit. This is a huge disincentive for investments in the farm sector at a time when capital formation in agriculture is a high priority for achieving higher productivity and production.

Government, therefore, is requested to take following steps to address this issue.

- i) Create a separate fund at the level of NABARD, similar to RIDF, using a portion of shortfall in agricultural lending by commercial banks, for giving refinance to banks for disbursements of investment credit. This will reduce the cost of funds at the level of NABARD and banks which receive its refinance.
- ii) Government of India may extend the additional interest subvention of 3% for prompt repayment of agricultural loans for investment credit also.

4) Refinance policy of NABARD

NABARD was set up with the mandate to meet the resource needs of cooperative rural credit system for agricultural lending. Unfortunately, NABARD is not fulfilling its mandate today. At present, more than 70% of its resource support for agriculture credit is going to commercial banks, most of which have huge deficit in the required lending to agriculture out of their own funds. There is no justification in NABARD allocating lion share of its resources

to such commercial banks which actually does not result in additional credit flow at the ground level. Commercial banks are actually using these funds for meeting their periodical liquidity gaps rather than for lending to agriculture. Government should, therefore, instruct NABARD to lend their funds only to those commercial banks which have exceeded the minimum required lending to agriculture. Similarly, it should be ensured that minimum 50% of NABARD's funds should be lent to cooperative banking sector, every year.

5) Representation of Rural Co-operative Credit Structure in Board of Directors of NABARD

There is a provision in the NABARD Act to include representatives of Co-operative Sector in its Board of Directors. It is necessary that the Government appoints representatives of Cooperative Rural Credit system, both short term and long term structures, in the Board of NABARD under the above provision of Act to ensure their involvement and participation of rural cooperative credit structure in evolving the policies of NABARD.

6) Income tax incentives to depositors of Agriculture & Rural Development Banks (ARDBs)

The entire deposits collected by the Long Term Cooperative Credit Structure from its members are used for giving investment credit leading to capital formation in agriculture and rural sectors. However, these deposits are not made eligible for income tax rebate under section 80c as applicable to deposits with scheduled commercial banks. The Government is requested to make the deposits with Long Term Cooperative Credit Structure eligible for tax rebate under section 80c of Income Tax Act.

7) Norms for converting ARDBs to fullfledged banks

At present, ARDBs are not banking institutions under the purview of BR Act 1949. Consequently, ARDBs cannot access public deposits and meet the financial services needs of their members like other rural financial institutions. Based on the recommendations of Capoor Committee (1999) to convert ARDBs into fullfledged banks, RBI in the year 2001 constituted a Committee to evolve norms for giving banking licence to ARDBs. However, the said Committee was subsequently dissolved before submitting a report. The Vaidyanathan Task Force II in its report mentioned that 'if on date or in the future any entity within the structure fulfills the conditions necessary for obtaining a banking licence, the banking regulator can consider it on merits'. However, RBI has not so far prescribed the conditions necessary for obtaining banking licence by ARDBs. RBI, therefore, needs to evolve such norms to facilitate eligible ARDBs to obtain banking licence as recommended by Vaidyanathan Task Force II.

8. Important Circulars of NABARD

Establishment of Agriclinc and Agribusiness Centres (ACABC) Scheme

NABARD vide its Circular No. NB.ICD/ACABC-4/2011-12 Dt. 2 August 2011 had updated their guidelines on ACABC scheme. The scheme is focused on to create gainful self-employment opportunities for unemployed agricultural graduates, agricultural diploma holders, intermediate in agriculture and biological science graduates with PG in Agri-related courses.

Poultry Venture Capital Fund (Subsidy)

NABARD vide its Circular No. NB.ICD.GSS/858/PVCS-4/2011-12 Dt. 21 July 2011 has revised Poultry Venture Capital Fund scheme. The earlier scheme of Poultry Venture Capital Fund under which Interest Free Loan (IFL) was provided to the beneficiaries has been closed on 31 March 2011. The revised scheme has been effective from 1 April 2011 with following changes:-

Item	Poultry Venture Capital Fund (IFL)	Poultry Venture Capital Fund (Subsidy)
Assistance extended	Interest free loan 50% of the outlay	Capital subsidy 25% of outlay (33.33% for SC & ST entrepreneurs and North Eastern areas including Sikkim)
Interest subsidy	Reimbursement of 50% of interest in case of regular accounts	No interest subsidy
New components	-	Commercial layer and broiler units upto 5000 birds, rearing other species of poultry, cold storage for poultry products, large processing units, emu processing units, feather processing units, technology upgradation etc are included.
IFL/Subsidy Availment	Bank has to sanction the project and approach NABARD for sanction and release of interest free loan (IFL). Bank and IFL to be released simultaneously.	Bank has to sanction and release first installment of loan and then approach NABARD for sanction and release of eligible subsidy.
Repayment	Repayments received from the borrowers out of the IFL are to be remitted to NABARD on prorata basis.	No repayment to NABARD. Back ended capital subsidy to be adjusted at the end.

Study findings on Investment Portfolio and revised Investment Policy for SCARDBs

NABARD based on the findings of Investment Portfolio studies conducted in 6 SCARDBs issued vide its circular No. NB.DoS.HO.POL./3082/J-1/2011-12 Dt. 11 November 2011 as also revised Investment policy for SCARDBs vide Circular No. NB.DoS.HO.POL/3510/J-

1/2011-12 Dt. 1 December 2011 which were discussed in the 135 meeting of the Board of Management held on 30 January 2012 at Mumbai.

Voluntary inspection of SCARDBs Conveying supervisory rating

NABARD vide circular No. NB.DoS.HO.POL/4260/J-1/2011-12 Dt. 31 January 2012 indicated that although NABARD has been conducting the voluntary inspection of SCARDB every year, the findings were very important from the point of view of various stake holders including the NABARD, State Government, other lending institutions, besides the SCARDBs themselves. A system of supervisory rating of SCARDBs indicating the overall financial health and operational efficiency may help the concerned to take suitable business decisions. The supervisory rating would be conveyed by NABARD to the Top Management of the SCARDBs in strict confidence to encourage banks to improve their performance.

The supervisory ratings would form the basis for arriving at the eligibility and quantum of NABARD refinance henceforth.

Investment policy for SCARDBs

NABARD, Mumbai, vide their circular No.NB.DoS.HO.POL/3510/J-I/2011-12 dt. 5th December 2011, had given detailed guidelines on the Investment Policy to be followed by the SCARDBs.

The salient features of the NABARD guidelines on Investment Policy for SCARDBs are given as under :

- 1) Each SCARDB should have - an investment policy duly approved by the Board clearly defining (a) the authority for making investments (b) procedure to be followed for obtaining the sanction of appropriate authority, (c) prudential exposure limits and (d) reporting system. The banks should review the investment policy atleast once in 3 years and make appropriate changes in the policy documents.
- 2) An Investment Committee for reviewing the funds position of the bank from time to time and take decisions regarding investment of temporary surplus funds.

The Investment Committee may comprise of the following members:

1. Managing Director/General Manager
2. GM/DGM in charge of Funds and Accounts
3. GM/DGM in charge of Credit
4. DGM in charge of Planning and Development.

- 3) SCARDBs generally park their short-term surplus funds in Fixed Deposits with the scheduled Commercial Banks or State Cooperative Banks. They may also invest in Government and Trustee securities which should be done either directly or their primary dealers. No Brokers should be engaged. SCARDBs should not invest in Mutual Funds. The pattern of Investment of Sinking Funds indicated in NABARD's circular dt. 18 January 1993, should be strictly complied with.
- 4) The Board/Investment Policy of the Bank should clearly lay down prudential limits for investments including Fixed Deposits with different banks.
- 5) All investments should be accounted at “Book Value” and shown in the Balance Sheet of the banks. There should be a system of periodical verification by an officer not connected with the custody of the investment.
- 6) The detailed Report on Investment made by the bank should be placed before the Board of Directors for undertaking a review and the review note should be submitted to the RCS/NABARD on a half-yearly basis i.e. on 30th September and 31st March every year. The half-yearly review report should be submitted to NABARD by 30th November and 31st May.

Introduction of capital adequacy norms for SCARDBs

NABARD vide circular No.38.DoS-06/2012 dt. 15 November 2012, has informed that it is proposed to introduce Capital Adequacy Norms for SCARDBs w.e.f. Balance Sheet as on 31 March 2012.

Under the proposed CRAR framework, all assets in the Balance Sheet will be assigned weights and banks have to compute the ratio of their capital funds to the aggregate of risk weighted assets.

Tier I Capital funds will include Paid up share capital, free reserves and capital resources representing surplus arising out of sale proceeds of assets.

Tier II Capital will consist of the following items:

- 1) Undisclosed reserves not encumbered by any known liability.
- 2) Revaluation Reserves which arise from revaluation of assets that are undervalued in the bank's book such as, bank premises and marketable securities.
- 3) General Provisions and Loss Reserves which are not attributed to any identified potential loss.
- 4) Investment Fluctuation Reserves.

IV. REVIEW OF MEMBER BANKS OPERATIONS DURING 2011-12

A. Loans advanced

The total loans advanced by 15 SCARDBs during the year 2011-12 amounted to ₹3893.66 Crore as against ₹3590.24 Crore. No data received from H.P. & West Bengal SCARDBs. The increase in lending was mainly contributed by Kerala (42.00%), Gujarat (24.55%), M.P. (>100%) and J&K (>100%). There was decrease in lending in respect of Chhattisgarh (86.80%), Tripura (37.21%) and Rajasthan (8.45%). The aggregate loans outstanding at Ultimate Borrowers level stood at ₹11364.03 Crore (13 SCARDBs) for the year 2011-12 as against ₹11880.96 Crore (13 SCARDBs) for the previous year 2010-11.

B. Borrowings

The aggregate borrowings of 10 SCARDBs (Assam, Bihar, Chhattisgarh, Gujarat, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Maharashtra and Orissa have NIL borrowings) out of 19 SCARDBs during the year 2011-12 amounted to ₹2931.47 Crore, as against ₹2729.45 Crore during the previous year, resulting in an increase of ₹202.02 Crore i.e. by 7.40%. West Bengal did not furnish the data. The share of NABARD refinance in the total amount raised by SCARDBs amounted to ₹2333.04 Crore accounting for 79.59% in the year 2011-12. While Kerala (32.47%), Punjab (27.96%) & Madhya Pradesh (40.30%) showed increase in borrowings during the current year, there was decrease in respect of Karnataka (2.61%), Haryana (4.65%), Tamil Nadu (21.86%), and U.P. (15.86%). It was marginally lower in the case of Rajasthan & Pondicherry SCARDBs.

The Borrowing Outstanding of 16 SCARDBs amounted to ₹14321.44 Crore as on 31 March 2012 as against ₹14346.59 Crore as on 31 March 2011. The decrease in borrowings outstanding was mainly accounted for by Gujarat (28.35%), Uttar Pradesh (20.38%) & Madhya Pradesh (15.44%), while there was increase in the case of Pondicherry (31.57%) & Haryana (23.81%).

C. Deposit Mobilisation

During the year 2011-12, 13 SCARDBs raised ₹348.67 Crore as against ₹223.92 Crore in the year 2010-11 (14 SCARDBs). The deposits outstanding as on 31 March 2012 amounted to ₹576.12 Crore as against ₹527.42 Crore as on 31 March 2011.

D. Financial performance

Out of 19 SCARDBS, only 10 SCARDBs have furnished the data on 31 March 2012. Of the 10 SCARDBs, 5 SCARDBs have reported Profit (while 5 SCARDBs (J&K, Pondicherry,

Orissa, Tripura & Uttar Pradesh) have reported loss. The total profit of 5 SCARDBs stood at ₹76.97 Crore and the losses of 5 SCARDBs at ₹249.59 Crore.

E. Non Performing Assets

13 SCARDBs have furnished the data for the year 2011-12. Out of the total loan outstanding at ₹15121.16 Crore as on 31 March 2012, the NPA stood at ₹4103.63 Crore which amounted to 27.14% of the total loan outstanding as against 28.26% (16 SCARDBs) as on 31 March 2011.

F. Recovery Performance

The yearly recovery performance at Ultimate Borrowers level is worked out for the period July-June. As the data as on 30 June 2012 was not readily available at the time of finalizing this report, the position as on 30 June 2011 is considered for review. The total ground level demand of ARDBs during 2010-11 (30 June 2011) were ₹10385.17 Crore against which collections amounted to ₹4699.44 Crore which formed 45.25% of demand as against 40.44% as on 30 June 2010. The recovery percentage at Ultimate Borrowers level was above 50% in the case of 7 banks viz. Himachal Pradesh, Karnataka, Kerala, Pondicherry, Punjab, Tripura & Uttar Pradesh whereas the same in respect of Chhattisgarh, Gujarat, Rajasthan, Tamil Nadu & West Bengal were in the range of 40 to 50%. The poorest recovery was in respect of Bihar which was in single digit.

G. General Information

There was no change in the structural pattern of SCARDBs during the year under report. Of the 19 SCARDBs, the number of federal and unitary SCARDBs continued to be 10 and 7 respectively and the remaining 2 SCARDBs having a mixed structural pattern comprising of affiliated PCARDBs as well as own branches. The Unitary structure SCARDBs were operating through 761 branches as on 31 March 2012. The Federal structure had 714 PCARDBs which in turn had 819 branches as on 31 March 2012. The total membership of 9 SCARDBs as on 31 March 2012 was 72.06 Lakh of which the borrowing members were 45.72 Lakh. While 9 SCARDBs had elected board, 7 SCARDBs did not have an elected board as on 31 March 2012, 3 SCARDBs did not report the data. At PCARDBs level, 286 PCARDBs (6 SCARDBs) had elected board as on 31 March 2012. The data in brief in this regard is as under:-

Sr. No.	Particulars	2011-12	2010-11
1)	Number of SCARDBs (Federal)	10	10
2)	Number of SCARDBs (unitary)	7	7
3)	Number of SCARDBS with mixed Structural pattern	2	2
4)	Number of Branches of SCARDBs (Unitary)	761	761
5)	Number of PCARDBs (Federal)	714	701
6)	Number of Branches of PCARDBs (Federal)	819	1086
7)	Total Membership (in Lakh)	72.06	132.13
8)	Of item 7, Borrowing members (in Lakh)	45.72	76.89
9)	Number of SCARDBs having Elected board	9	11
10)	Number of PCARDBS having elected board	286	382
11)	Staff in SCARDBs (Number)	5466	6937
12)	Staff in PCARDBs (Number)	5197	9853

V. PROGRAMME OF ACTIVITIES OF THE PLANNING, RESEARCH AND DEVELOPMENT (PRD) CELL

The Planning, Research and Development Cell (PRD) Cell was established in 1973 in the Federation to undertake specific research and development activities with financial support by way of grant-in-aid from the Ministry of Agriculture, Government of India. The PRD Cell has undertaken the following activities during the current year.

(A) Conferences/Seminars/Workshops

- 1) Meeting of Standing Committee of CEOs

Date

24 June 2011

Venue

Udaipur, Rajasthan

The Meeting of Standing Committee of CEOs of member banks was held at Uaipur, Rajasthan, for considering action plans for SCARDBs and Federation to implement the

recommendations of Zonal Seminar on Preparedness of ARDBs for Revival. This Meeting finalized Draft Action Plan to implement the recommendations of the Seminar. The meeting also suggested Federation to examine the possibility of setting up Liquidity Support Fund by SCARDBs at national level.

2) Meeting of CEOs of SCARDBs

Date

5th November 2011

Venue

Navi Mumbai

The Meeting deliberated on the following subject.

- i) Switch over to Loan system
- ii) Deposit mobilization by ARDBs
- iii) Programme to celebrate UN IYC 2012.

The NABARD General Manager (ICD) Mr. Niranjan Das, attended the meeting and presented procedure regarding Loan system for drawal of refinance from NABARD. The Meeting was represented by 9 SCARDBs, who presented their papers. The Meeting considered in detail the issues arising out of the recent changes in the refinance policy of NABARD. The meeting also finalized the schemes for accepting members' deposits by ARDBs.

3) Workshop on Investment Management and Asset Liability Management (ALM) system

Date

22-24 February 2012

Venue

Mangalore

First Workshop on Investment Management and Asset Liability Management System for SCARDBs and select PCARDBs was organized by the Federation from 22-24 February 2012 at Mangalore. In all 23 participants from 5 SCARDBs and select PCARDBs from Kerala, Karnataka, Rajasthan, Gujarat states and Pondicherry (U.T.) were present. Shri K. Sivadasan Nair, Chairman, NCARDB Federation inaugurated the Workshop and Shri K.K.

Ravindran, Managing Director addressed the participants on resource mobilization. Shri V.I. Ganesan, Senior Consultant, NCARDB Federation and Shri Srivasan, Faculty, BIRD, Mangalore, handled business sessions in the Workshop.

Federation convened this Workshop for the SCARDBs and select PCARDBs in the context of changing scenario in cooperative Banking posing several challenges before L.T. structure.

Chairman Federation in his address, stressed upon need to take step to aggressively mobilize additional resources through deposit mobilization and increase share capital from its members for business growth and diversification in order to meet the growing credit needs of members.

The workshop covered the basic concepts of ALM as a tool towards risk management in the context of ARDBs.

(C) Publications

- (a) **Monthly Progress Report of ARDBs** The Federation compiles and publishes data relating to key operational areas on a monthly basis to review the working of banks and to furnish information on credit flow and other related aspects to Govt. of India, Planning Commission etc. 11 consolidated monthly reports from April 2011 to March 2012 were brought out during the year 2011-12.
- (b) **Annual Statistical Bulletin** contains comprehensive information about the audited financial position, structural aspects and operational details relating to SCARDBs as well as PCARDBs affiliated to SCARDBs. The Bulletin for the year 2009-10 was brought out during the year and the bulletin for the year 2010-11 is under compilation. The Statistical Bulletins are now brought out in a Compact Disc (CD) for reference purposes.
- (c) **Publication of Land Bank Journal** : The Land Bank Journal is one of the oldest publications of the Federation in rural finance, which is published by the Federation on quarterly basis for the last 50 years. The Journal apart from publishing research articles and success stories relating to agriculture and rural credit, cooperation, etc., is also covering news and reports on agriculture and other related activities in the sector as also on general areas of interest relating rural credit. During the year, 3 quarterly issues i.e. June 2011, September 2011 and December 2011 have been published and March 2012 is under print.

VI. FINANCE AND ACCOUNTS

The summary of Assets and Liabilities and Income & Expenditure as per audited accounts for the year 2011-12 are given below:

ASSETS AND LIABILITIES

(₹ in Lakh)

Sr. No.	LIABILITIES	As on		Sr. No.	ASSETS	As on	
		31.3.12	31.3.11			31.3.12	31.3.11
1.	Reserve Fund & Other Funds	1613.00	1525.21	1.	Cash & Bank Balances	16.84	1.12
2.	Secured Loans	945.93	2.04	2.	Investments	2266.86	1221.76
3.	Other Liabilities & Provisions	66.99	153.86	3.	Fixed Assets	255.97	266.28
4.	Surplus transferred from Income & Exp.A/C	9.80	7.64	4.	Sundry Debtors & Receivables	83.28	77.57
				5.	Loans & Advances	9.09	21.27
				6.	Sundry Deposits & Prepaid Exps.	3.68	3.11
				7.	Advance FBT	0.00	0.84
				8.	Income Tax (A.Y. 2009-10)	0.00	96.80
	TOTAL	2635.72	1688.75		TOTAL	2635.72	1688.75

Sr. No.	Particulars	Amount (₹ in lakhs)	
		2011-12	2010-11
	INCOME		
1.	Annual Membership Subscription	68.00	52.75
2.	Interest on Bank A/cs, Earmarked Memorial Funds, Deposits not earmarked, Reserve Fund & Development Fund.	74.61	55.13
3.	Dividend on Shares	0.15	0.15
4.	Additional contributions from member banks	20.66	23.38
5.	Guest House Misc. Income/service charges	0.19	0.39
6.	Grant-in-Aid (Govt.)	16.00	9.00
7.	Grant from NCUI/NCDC/NABARD	10.00	2.50
8.	Miscellaneous Income/Recovery from Bad debts written off/ Provisions reversed etc.	0.00	3.49
	TOTAL (1 to 8)	189.61	146.79
	EXPENDITURE		
1.	Salaries & Allowances & P.F.	63.56	56.96
2.	Seminars/Conferences/Training Programmes/ Zonal Seminars	5.13	16.81
3.	Travelling/Conveyance & L.F.C.	10.72	6.72
4.	Depreciation on Fixed Assets	10.57	11.52
5.	Deficit in Journal Activities	0.69	0.94
6.	Meeting Expenses	4.50	0.40
7.	Office premises maintenance charges & taxes	8.18	7.63
8.	Membership Fees & delegation fees	4.32	4.17
9.	Postage/Telegram & Telephones/Internet	3.19	2.68
10.	Guest House Expenses	3.93	3.41
11.	Prior Period Item A/c.	0.17	0.68
12.	Repairs & Maintenance	2.45	2.57
13.	Stationery, Printing & Publicity	3.09	5.05
14.	Legal & Professional charges	3.46	2.19
15.	Insurance	0.24	0.37
16.	Contribution to Japan Disaster Recovery Fund (ICA)	0.93	0.00
17.	Establishment & Sundry Expenses	4.84	2.96
18.	Provisions		
i)	Staff Gratuity	12.77	0.00
ii)	Leave Encashment	7.82	0.29
iii)	Demand from Defaulted Member Banks	0.00	2.11
iv)	BDDR	4.17	6.55
19.	Contingency Reserve Fund	0.00	5.06
20.	Special Contingency Reserve	25.00	0.00
21.	Income Tax	0.08	0.07
	Total (1 to 21)	179.81	139.14
	Surplus	9.80	7.64

Sr. No.	Particulars	Amount (₹ in lakhs)	
		2011-12	2010-11
	INCOME		
	<u>Apportionment of Surplus by General Body</u>		
(1)	Reserve Fund	--	(1.91)
(2)	Contingency Reserve Fund	--	(0.83)
(3)	Cooperative Education Fund of NCUI	--	(0.07)
(4)	Education Fund of Federation	--	(0.07)
(5)	Development Fund	--	(0.5)
(6)	Staff Welfare Fund	--	(0.5)
(7)	Exgratia to Staff	--	(3.76)
	Total	--	(7.64)

(Figures shown in bracket pertains to F.Y. 2010-11)

As per Byelaw No.37 of the Federation, the appropriation of surplus for the year 2011-12 shall be made by the General Body in the Annual General Meeting.

JOURNAL ACTIVITIES

Sr. No.	Particulars	Amount (₹ in lakhs)	
		2011-12	2010-11
	INCOME		
1.	Journal Subscription	40920.00	41060.00
2.	Advertisement charges	80000.00	86000.00
3.	Sale of Publications	60.00	360.00
4.	Excess Provision written back	1555.00	2277.00
5.	Recovery from Bad debts. Written off	900.00	0.00
	Total (1 to 5)	123435.00	129697.00
	EXPENDITURE		
1.	Printing Charges	146640.00	154240.00
2.	Postage, Telephones & Telegrams	12547.00	13531.18
3.	Honorarium to contributors / Authors	8200.00	5200.00
4.	Provision for BDDR	24220.00	50020.00
5.	Miscellaneous Expenses	1240.00	1145.00
	Total (1 to 5)	192847.00	224136.18
	Net Surplus/Net Deficit (+)/(-)	(-)69412.00	(-) 94439.18

VII. ENDOWMENT FUNDS

The position of various endowment funds as on 31st March 2012 are briefly enumerated below :

Name of the Fund	Balance as on 31.3.2012	Activities under the Fund
1. B. Venkatratnam Memorial Fund	₹ 77,861.99	B.V. Memorial Trophy is awarded for the best ARDB in Category-I every year.
2. Udaybhansinhji Memorial Fund	₹ 1,24,473.42	(i) Awarding prizes to the meritorious trainees of Diploma Course in Land Development Banking at the Institutes of Coop. Management in the country run by the National Council for Coop. Training. (ii) Udaybhansinhji Memorial Trophy awarded to category-I every year.
3. Dattatrayalu Memorial Fund	₹ 59,647.50	The Dattatrayalu Trophy for the best bank in Category-III is awarded every year.
4. M.N. Nambiar Memorial Fund constituted by Kerala SCARDB	₹ 52,570.86	M.N. Nambiar Trophy is awarded for the best performance in lending by ARDBs every year.
5. Punjab Chief Minister's Trophy Fund Constituted by Punjab SCARDB	₹ 46,331.00	Punjab Chief Minister's Trophy is awarded for best performance in Recovery by ARDBs every year.
6. Silver Jubilee Fund	₹ 3,27,405.10	Under this Fund, Federation is giving Fellowship of ₹25,000/- to one employee or any member or ward of a member bank of any member bank for doing the Post Graduates Business Management Diploma Course conducted by VAMNICOM, Pune.
7. Asian Raiffeisen Center Fund constituted by Federation.	₹ 1,42,632.18	--
TOTAL	₹ 8,30,922.05	

VIII. GENERAL BODY, BOARD AND EXECUTIVE COMMITTEE

General Body

The General Body consists of members of the Federation, represented by the Delegates nominated by the Board of Directors of the respective bank.

Following is the list of members of the Federation.

1. Andhra Pradesh State Co-operative Bank Ltd., Hyderabad.
2. Assam State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Guwahati.
3. Bihar State Co-operative Land Development Bank Ltd., Patna.
4. Chhattisgarh Rajya Sahakari Krishi Aur Gramin Vikas Bank Maryadit, Raipur.
5. Gujarat State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Ahmedabad.
6. Haryana State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Panchkula.
7. Himachal Pradesh State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Shimla.
8. Jammu & Kashmir State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Srinagar.
9. Karnataka State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Bangalore.
10. Kerala State Co-operative Agricultural & Rural Development Bank Ltd., Thiruvananthapuram.
11. Madhya Pradesh Rajya Sahakari Krishi Aur Gramin Vikas Bank Ltd., Bhopal.
12. Maharashtra State Co-operative Agriculture Rural Multipurpose Development Bank Ltd., Mumbai.
13. Orissa State Co-operative Agricultural & Rural Development Bank Ltd., Bhubaneswar.
14. Pondicherry Co-operative Central Land Development Bank Ltd., Pondicherry.
15. Punjab State Co-operative Agricultural Development Bank Ltd., Chandigarh.
16. Rajasthan Rajya Sahakari Bhoomi Vikas Bank Ltd., Jaipur.
17. Tamil Nadu Co-operative State Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Chennai.
18. Tripura Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Agartala.
19. Uttar Pradesh Sahakari Gram Vikas Bank Ltd., Lucknow.
20. West Bengal State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Kolkata.
21. Delhi State Cooperative Bank Ltd., New Delhi.
22. Goa State Co-operative Bank Ltd., Panaji.
23. Meghalaya Co-operative Apex Bank Ltd., Shillong.

Board of Management

As per Byelaws No.20 (iii), the Board of Management of the Federation consists of 20 Directors elected by the General Body, 1 Director being nominated by the Central Govt., 2 Directors co-opted by the Board apart from Managing Director, who is ex-officio member of the Federation.

The Board of Management as on 31.3.2012 consisted of the following persons:-

Sr. No.	Name of Board Member	Member Bank representing
1.	Shri K. Sivadasan Nair, MLA Chairman	Kerala State Cooperative Agricultural & Rural Development Bank Ltd.
2.	Shri Sukhdarshan Singh Mrar Vice Chairman	Punjab State Coop. Agricultural Development Bank Ltd.
3.	Shri Y.V. Reddy Vice Chairman	Andhra Pradesh State Cooperative Bank Ltd.
4.	Shri Kishan Singh Bhatol Vice Chairman	Madhya Pradesh State Cooperative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.
5.	Shri Narayan Rupini, MLA Vice Chairman	Tripura Coop. Agri. & Rural Dev. Bank Ltd.
6.	Shri Bijay Kumar Singh	Bihar Rajya Sahakari Bhumi Vikas Bank Simit
7.	Shri Devendra Kumar Pandey	Chhattisgarh Rajya Sahakari Krishi Aur Gramin Vikas Bank Ltd.
8.	Dr. Bijender Singh	Delhi State Coop. Bank Ltd.
9.	Shri Kanubhai M. Patel	Gujarat State Co-op. Agri. & Rural Dev. Bank Ltd.
10.	Shri R.G.N. Mule	Goa State Cooperative Bank Ltd.
11.	Shri Dalip Singh Yadav	Haryana State Coop. Agriculture & Rural Development Bank Ltd.
12.	Shri S.S. Chauhan	Himachal Pradesh State Coop. Agri. & Rural Development Bank Ltd.
13.	Shri A.R. Shivaram	Karnataka State Coop. Agriculture & Rural Development Bank Ltd.
14.	Dr. Subhash Mane	Maharashtra State Coop. Agri. Rural Multipurpose Dev. Bank Ltd.
15.	Shri A. Arivazhagan	Pondicherry Co-operative Central Land Dev. Bank Ltd.,
16.	Shri Ashok Kumar Faujdar	Rajasthan Rajya Sahakari Bhoomi Vikas Bank Ltd.

Sr. No.	Name of Board Member	Member Bank representing
17.	Shri M. Mohan	Tamil Nadu Co-op. State Agriculture & Rural Dev. Bank Ltd.,
18.	Shri Nawal Kishore	Uttar Pradesh Sahakari Gram Vikas Bank Ltd.
19.	Ms. Roshan Warjri	Meghalaya Coop. Apex Bank Ltd.
20.	Shri K.K. Ravindran	Managing Director, NCARDB Federation

One position in the Board remained vacant as on 31.3.2012 due to change of nominations by member banks.

Executive Committee

1. Shri K. Sivadasan Nair, MLA, Chairman.
2. Shri S.S. Mrar, Chairman, Punjab SCARDB
3. Shri Y.V. Reddy, Chairman, Andhra Pradesh SCB
4. Shri Kishan Singh Bhatol, Chairman, Madhya Pradesh SCARDB
5. Shri Narayan Rupini, MLA, President, Tripura SCARDB
6. Shri A.R. Shivaram, Director, Karnataka SCARDB
7. Dr. Bijender Singh, President, Delhi SCB
8. Shri Dalip Singh Yadav, Director, Haryana SCARDB.
9. Shri R.G.N. Mule, Chairman, Goa SCB.
10. Smt. Roshan Warjri, Chairperson, Meghalaya CAB.
11. Shri K.K. Ravindran, Managing Director.

Permanent Invitees

1. Ms. Roshan Warjri, Chairperson, Meghalaya CAB
2. Shri Ashok Kumar Faujdar, Chairman, Rajasthan RSBVB
3. Shri Kanubhai M. Patel, Chairman, Gujarat SCARDB

Administrative Committee

1. Shri K. Sivadasan Nair, MLA, Chairman.
2. Shri S.S. Mrar, Chairman, Punjab SCARDB
3. Shri Kishan Singh Bhatol, Chairman, Madhya Pradesh SCARDB
4. Shri Y.V. Reddy, Chairman, Andhra Pradesh SCB
5. Shri Narayan Rupini, MLA, President, Tripura SCARDB
6. Shri K.K. Ravindran, Managing Director.

Meeting of General Body, Special General Body, Board and Executive Committee during the financial year 2011-12

The Meetings of the General Body, Administrative Committee and Executive Committee during the year under report with dates and venues are listed below :

Meetings	Place	Date
(a) General Body (51st Meeting)	Mumbai	28 September 2011
(b) Board of Management		
132nd Board	Mumbai	21 April 2011
133rd Board	Hyderabad(A.P.)	29 July 2011
134th Board	Mumbai	28 September 2011
135th Board	Mumbai	30 January 2012
(c) Executive Committee Meeting	Mumbai	21 April 2011
	Lucknow (U.P.)	03 December 2011

The Board Meetings continued to be the main forum for discussing the policy and operational issues related to rural credit apart from reviewing the operations of member banks.

During the year under report, the Board, besides discussing the regular items related to business operations of member banks and periodical review of performance under debenture floatations, advances, recovery etc., also considered and discussed the following subjects in its meetings.

- 1) Recommendations of Zonal Seminars on Preparedness of ARDBs for Revival
- 2) Revision in rate of interest on refinance
- 3) Union Budget 2011-12
- 4) Economic Survey 2010-11
- 5) Review of member banks operations (April 2010 to February 2011)
- 6) Model Policy on Bank Deposits
- 7) CISS for Construction/Expansion/Modernization of Cold Storages and Horticultural Produce-Revised guidelines and implementation procedure.
- 8) Govt. sponsored schemes under Animal Husbandry Sector
- 9) Agrclinic and Agribusiness Centres scheme-Revised scheme guidelines
- 10) Japan Disaster Recovery Fund
- 11) Action points for SCARDBs to implement Recommendations of Zonal Seminars
- 12) Issues communicated to NABARD for consideration in the proposed meeting with the Federation
- 13) Liquidity support fund of SCARDBs
- 14) NABARD refinance policy for schematic lending during 2011-12
- 15) Government of India's support to the debenture programme of SCARDBs during 2011-12.
- 16) Standard formats of loan application and credit appraisal.
- 17) (I) Review of Member Banks' operations during 2010-11
(II) Performance of SCARDBs during April-May 2011 in key operational areas.

- 18) RBI draft Guidelines for licensing of New Banks in private sector.
- 19) Direct Taxes Code 2010-Implications for Cooperatives
- 20) Revival package for LTCCs-present position
- 21) Guidelines for Deposit Mobilisation by ARDBs
- 22) Agriclinc and Agribusiness Centres Scheme : Final ACABC Compendium
- 23) Poultry Venture Capital (Subsidy)
- 24) Review of member banks' operations during 2011-12 upto June 2011
- 25) Review of Recovery position as on 30.6.2011.
- 26) Introduction of loan system for drawing refinance from NABARD
- 27) Share of Central and State Govts in refinance to SCARDBs
- 28) Refinance scheme of NABARD for issuing crop loans by ARDBs
- 29) Revitalisation Package for LTCCS based on the recommendations of Vaidyanathan Task Force II-present position
- 30) Suggestions relating to Long Term Cooperative Credit structure for consideration by Government.
- 31) Revision in rate of interest on refinance
- 32) Dissemination of information to member banks by the Federation-Publication of Land Bank Journal.
- 33) International Year of Cooperatives 2012-preparation of calendar of programmes.
- 34) Investment Policy for SCARDBs.
- 35) Review of performance of SCARDBs during July-November 2011 in key operational areas.

IX. REPRESENTATION AT NATIONAL AND INTERNATIONAL LEVELS

Membership at National and International Levels at the national level, the Federation continued its membership with the

- 1) National Co-operative Union of India (NCUI)
- 2) Indian Merchants' Chamber (IMC)

- 3) Indian Banks' Association (IBA)
- 4) Centre for International Co-operation and Training in Agricultural Banking (CICTAB) and
- 5) Indian Society for Studies in Cooperation.

The Federation is also holding membership as shareholder of the

- 1) National Film and Fine Arts Cooperatives Ltd. (NAFFAC), New Delhi.
- 2) Indian Tourism Cooperative Ltd. (ITC), New Delhi.
- 3) Co-operative Bank of India (COBI), New Delhi.

The Federation is represented on the management of some of these institutions.

At international level, the Federation continued to be affiliated to the

- 1) International Cooperative Alliance (ICA), Geneva.
- 2) International Raiffeisen Union (IRU), Bonn
- 3) Asia and Pacific Regional Agricultural Credit Association (APRACA), Bangkok.

Affiliation to these international bodies gave the Federation and member banks opportunity to interact with fellow members at regional and global levels on matters of common interest.

Representation and participation of Chairman and Chief Executive National Level

The Federation continued close liaison with various agencies including Central and State Governments, NABARD, RBI etc., during the year under report.

The Chairman and Managing Director of the Federation were either nominated or continued to represent on various bodies as also on committees constituted by the Govt. of India, Reserve Bank of India, NABARD, NCUI, COBI etc. They attended the meetings on various Boards/Committees besides participating in the Seminar, Workshop, Conference etc., convened at different levels.

During the year under report, the Chairman of the Federation was nominated/represented as a member of the following committees/Board.

- (i) General Body and Governing Council of NCUI.
- (ii) Board of Trustees of the National Institute for Rural Banking.
- (iii) Member on the Committee for Cooperative Education constituted by NCUI.

- (iv) Member of the Board of Directors, NAFFAC.
- (v) Member, National Council for Cooperative Training.
- (vi) Member, General Body of ICA.
- (vii) Member, General Body of ICA (ROAP).
- (viii) Member, General Body of IRU.

The Managing Director was also nominated and continued to represent the Federation on the following Committee/Boards during the year.

- (i) Vice Chairman, Global HRD Committee of ICA.
- (ii) Member, General Council, APRACA.
- (ii) ICA Committee on Human Resource Development for Asia and the Pacific.
- (iii) Member, Governing Council, Indian Society for Studies in Cooperation.
- (iv) Member of General Council and Committee of Directors of CICTAB.

X. ACKNOWLEDGEMENT

The Federation continues to maintain close contacts and liaison with Central and State Govts., NABARD, RBI, NCDC, NCUI and various other agencies and institutions in its endeavour to strengthen the structure and expand the operations of member banks. The Board of Management places on record its gratitude to all these agencies and institutions for the support and cooperation extended to the Federation.

The Federation is grateful to the management of NABARD and its officers for their initiatives and guidance in strengthening ARDBs, and refinance support to SCARDBs. The Board places on record the support and guidance received from Dr. Prakash Bakshi, Chairman, Executive Directors and other Executives and Officers of NABARD.

NCDC has been providing funding support to SCARDBs which helped them to meet the credit needs of their members better. We acknowledge our gratitude to the Board of NCDC and more particularly Shri C.B. Paliwal, Managing Director respectively, for the same.

Government of India, Ministry of Finance is in the process of finalizing the package for reviving long term cooperative credit structure based on the recommendations of VTF II. The Board places on record its gratitude to Financial Minister Shri Pranab Mukherjee, Shri Namo Narain Meena, Minister of State for Finance, Secretary (Financial Services) Shri Dinesh Kumar Mittal, Joint Secretary (Financial Services) Shri Umesh Kumar for their valuable contributions in this regard.

The Board places on record its appreciation and gratitude to Shri Sharad Pawar, Hon'ble Minister for Agriculture for the valuable support extended to the sector and to Secretary (Agri. & Coopn.) Shri Prabeer Kumar Basu, Shri G.C. Pathi, Special Secretary and Joint Secretary & Central Registrar of Cooperative Societies Shri Rajendra Kumar Tiwari and other officers of the Ministry for the support and guidance given to the Federation.

The NCUI has been providing active support to the Federation in its activities. The Federation places on record its appreciation and gratitude to Dr. Chandrapal Singh Yadav, President and Dr. Dinesh, Chief Executive.

The Federation continued to receive financial and other supports as well as active cooperation from its member banks during the year under report. We acknowledge our deep debt of gratitude to the management and staff of all our member banks particularly to the Chairmen and Chief Executives of SCARDBs. The Board of Management also places on record the dynamic leadership of Shri K. Sivadasan Nair, MLA, Chairman with the able

support of Vice Chairpersons Shri Sukhdarshan Singh Mrar, Shri Y.V. Reddy, Shri Kishan Singh Bhatol and Shri Narayan Rupini, MLA, to the Federation and the LT credit sector during an extremely challenging period.

The Board appreciates the services of Shri K.K. Ravindran, Managing Director, who ably discharged the responsibilities of Chief Executive with dedication. The Management also appreciates the services of its officers and staff during the year.

On behalf of the Board of Management

**K. Sivadasan Nair, MLA
Chairman**

TABLE 1 - DEBENTURES / BORROWING RAISED

(₹ In Lakh)

Sr. No.	Name of the Bank	RAISED DURING 2011-12				GRAND TOTAL	
		From NABARD (Incl. Hsg)	Central Govt.	State Govt.	Others (NCDC/ HUDCO/NHB)	(2011-12) (3+4+5+6)	(2010-11)
1	2	3	4	5	6	7	8
1)	Haryana	37,034.00	109.00	109.00	17,730.00	54,982.00	57,663.00
2)	Karnataka	15,600.00	135.57	135.57	0.00	15,871.14	16,298.22
3)	Kerala	67,136.74	0.00	0.00	27,500.00	94,636.74	71,438.69
4)	Madhya Pradesh	1,429.30	30.32	30.32	0.00	1,489.94	1,062.40
5)	Pondicherry	0.00	0.00	0.00	436.98	436.98	488.97
6)	Punjab	38996.72	1100.00	100.00	0.00	40,196.72	31413.59
7)	Rajasthan	19,359.59	504.80	650.00	0.00	20,514.39	20,852.93
8)	Tamil Nadu #	0.00	0.00	0.00	9983.00	9,983.00	12,775.00
9)	Tripura	3748.92	0.00	0.00	0.00	3748.92	N.R.
10)	Uttar Pradesh	49,998.49	710.09	578.06	0.00	51,286.64	60,952.63
	TOTAL	233,303.76	2,589.78	1,602.95	55,649.98	293,146.47	272,945.43

Note:- # Tamil Nadu SCARDB has raised from TNSC Bank

TABLE 2 - DEBENTURES / BORROWINGS OUTSTANDING AS ON 31 MARCH

(₹ In Lakh)

Sr. No.	Name of the Bank	OUTSTANDING AS ON 31 MARCH 2012					GRAND TOTAL	
		Ordinary Deb.Prog.	From NABARD (Incl. Hsg)	Central Govt.	State Govt.	Others (NCDC/ HUDCO/ NHB)	(31/03/2012) (3 TO 7)	31/3/2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1)	Assam	12.00	0.00	57.48	145.02	0.00	214.50	214.50
2)	Chhattisgarh	0.00	12,960.05	326.72	267.53	355.64	13,909.94	15,328.70
3)	Gujarat	0.00	9,793.08	204.42	0.00	63.92	10,061.42	14,042.04
4)	Haryana	0.00	197,565.00	4,841.00	11,864.00	17,730.00	232,000.00	221,086.00
5)	Jammu & Kashmir	0.00	0.00	279.28	336.72	0.00	616.00	616.00
6)	Karnataka	559.00	144,290.21	3,836.07	6,073.77	0.00	154,759.05	154,029.96
7)	Kerala	240.00	203,177.11	1,911.85	1,906.36	25,542.31	232,777.63	212,848.36
8)	Madhya Pradesh	100.00	77,061.38	3,190.50	4,334.25	0.33	84,686.46	100,150.62
9)	Maharashtra *	1,019.00	0.00	0.00	6,639.14	82,408.84	90,066.98	92,568.87
10)	Orissa	1.63	0.00	541.21	5,603.41	0.00	6,146.25	6,146.25
11)	Pondicherry	0.00	9.33	0.51	1.50	709.66	721.00	548.00
12)	Punjab	0.00	202,592.46	1803.59	464.27	0.00	204,860.32	200,905.59
13)	Rajasthan	0.00	119,680.23	3,145.73	3,053.94	0.00	125,879.90	133,491.07
14)	Tripura	0.00	3461.34	0.00	0.00	0.00	3,461.34	3,491.22
15)	Tamil Nadu #	80.00	0.00	0.00	4514.87	11,858.00	16,452.87	18,344.87
16)	Uttar Pradesh	0.00	244,972.49	5,222.09	5,335.32	0.00	255,529.90	260,847.11
	TOTAL	2,011.63	1,215,562.68	25,360.45	50,540.10	138,668.70	1,432,143.56	1,434,659.16

Note:- * Maharashtra SCARDB - Other O/s include Short-term loan from Govt. of Maharashtra.

Tamil Nadu SCARDB - Ordinary Debenture due to State Govt. is ₹195 Lakh and SDD due to State Govt is ₹4319.87 Lakh. Short-term loan from State Govt is in tune of ₹1875 Lakh and from TNSC Bank it is ₹9983 Lakh.

TABLE 3 - DEPOSIT MOBILIZATION PROGRAMME

(₹ In Lakh)

Sr. No.	Name of the Bank	Deposits Raised During		Deposits Outstanding as on	
		2011-12	2010-11	31/03/2012	31/03/2011
1	2	3	4	5	6
1)	Assam	8.01	4.70	27.14	30.85
2)	Chhattisgarh	1,671.51	1,312.81	2,068.56	2,055.34
3)	Gujarat	12,523.57	9,647.78	15,213.61	13,288.04
4)	Jammu & Kashmir	1,092.50	331.89	1,300.00	717.87
5)	Himachal Pradesh	1151.06	727.14	2403.02	1583.13
6)	Karnataka	1,433.92	584.47	6,374.60	5,690.53
7)	Kerala	126.15	0.00	126.15	0.00
8)	Madhya Pradesh	0.00	0.00	9,122.67	16,671.10
9)	Orissa	0.00	0.00	112.95	117.85
10)	Pondicherry	746.87	618.79	930.77	871.11
11)	Punjab	4004.03	2250.18	6984.05	4524.00
12)	Rajasthan	467.61	274.54	616.70	433.54
13)	Tamil Nadu	5270.57	885.91	4797.82	877.72
14)	Uttar Pradesh	6370.96	5753.76	7533.54	5880.45
	TOTAL	34,866.76	22,391.97	57,611.58	52,741.53

Note:- N.R. denotes Not Reported

TABLE 4 - LOANS / ADVANCES DISBURSED DURING THE YEAR AND OUTSTANDING AS ON 31 MARCH
(₹ In Lakh)

Sr. No.	Name of the Bank	DISBURSED DURING 2011-12		GRAND TOTAL		OUTSTANDING AS ON 31 MARCH 2012		GRAND TOTAL	
		FARM SECTOR	NON-FARM SECTOR (Incl. of RHS/S.T. Loans/Others)	(2011-12) (3+4)	(2010-11)	FARM SECTOR	NON-FARM SECTOR (Incl. of RHS/S.T. Loans/Others)	(2011-12) (7+8)	(2010-11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1)	Assam	0.00	2.00	2.00	5.68	530.98	373.16	904.14	922.16
2)	Chhattisgarh	97.24	77.11	174.35	1,320.50	15,897.85	398.30	16,296.15	17,910.29
3)	Gujarat	15,256.50	2,605.30	17,861.80	14,341.51	39,900.60	16,089.66	55,990.26	55,894.69
4)	Haryana	34,042.00	5,395.00	39,437.00	40,755.00	169,894.00	40,073.00	209,967.00	203,774.00
5)	Jammu & Kashmir	667.96	24.97	692.93	289.77	1,150.00	512.14	1,662.14	1,194.88
6)	Karnataka	18,600.32	1,728.37	20,328.69	19,343.13	127,398.72	6,213.72	133,612.44	136,443.60
7)	Kerala	36,099.60	90,400.89	126,500.49	89,057.39	74,963.77	189,494.94	264,458.71	218,757.97
8)	Madhya Pradesh	314.15	5,111.58	5,425.73	1,346.68	337.98	5,222.32	5,560.30	1,396.14
9)	Pondicherry	1.37	0.00	1.37	1.45	13.18	1,747.70	1,760.88	1,548.17
10)	Rajasthan	17,521.36	5,425.03	22,946.39	25,064.42	N.R.	N.R.	N.R.	141152.89
11)	Uttar Pradesh	45,617.35	11,187.18	56,804.53	72,822.32	N.R.	N.R.	369,185.31	350,268.35
12)	Himachal Pradesh	3094.10	1510.28	4,604.38	4806.33	1473.94	9947.12	11421.06	N.R.
13)	Punjab	31581.83	17126.99	48,708.82	45137.87	0.00	0.00	0.00	0.00
14)	Tamil Nadu	1.86	45227.12	45228.98	43700.00	2402.64	59720.62	62123.26	55341.30
15)	Tripura	648.05	0.00	648.05	1032.00	3461.34	0.00	3461.34	3491.22
	TOTAL	203,543.69	185,821.82	389,365.51	359,024.05	437,425.00	329,792.68	1,136,402.99	1,188,095.66

Note:- N.R. denotes Not Reported

TABLE 5 - PROFIT / LOSS AS ON 31 MARCH

Sr.No	Name of the Bank	Profit/Loss at SCARDB Level (Amt. in ₹ lakh)*	Profit/Loss at SCARDB Level (Amt. in ₹ lakh)
		2011-12	2010-11
1	2	3	4
1)	Assam	N.A.	619.67
2)	Chhattisgarh	N.A.	(1,294.94)
3)	Gujarat	N.A.	3711.49
4)	Haryana	1576.00	703.00
5)	Himachal Pradesh	N.R.	N.R.
6)	Jammu & Kashmir	(4,922.96)	(4,599.81)
7)	Karnataka	N.A.	5.63
8)	Kerala	1905.00	1720.40
9)	Madhya Pradesh	N.A.	N.R.
10)	Orissa	(13,396.39)	(13,251.51)
11)	Pondicherry	(129.49)	(104.47)
12)	Punjab	2,070.63	1,932.08
13)	Rajasthan	1899.62	2036.08
14)	Tamil Nadu	245.66	213.62
15)	Tripura	(31.00)	(47.83)
16)	Uttar Pradesh	(6,479.66)	1,528.98
	TOTAL	(17,262.59)	(6,827.61)

Note:- Figures in Brackets indicate loss

* Tentative figures

TABLE 6 - NON-PERFORMING ASSETS (NPA)

Sr. No	Name of the Bank	NPA - AS ON 31 MARCH 2012			NPA - AS ON 31 MARCH 2011		
		Total Loan Outstanding* (31.03.12) (₹ lakh)	Of the item 3		Total Loan Outstanding (31.03.11) (₹ lakh)	Of the item 6	
			NPAs (₹ lakh)	% of NPA to Total Loans Outstanding as on 31.03.12		NPAs (₹ lakh)	% of NPA to Total Loans Outstanding as on 31.03.11
1	2	3	4	5	6	7	8
1)	Assam	904.14	N.R.	N.R.	922.16	877.30	95.14
2)	Chhattisgarh	N.R.	N.R.	N.R.	17,910.29	8,895.35	49.67
3)	Gujarat	55,990.26	28,718.60	51.29	55,894.69	27,644.71	49.46
4)	Haryana	224,825.00	72,659.00	32.32	214,007.01	72,012.27	33.65
5)	Jammu & Kashmir	1,662.14	315.00	18.95	1,194.88	411.73	34.46
6)	Karnataka	133,612.44	37,820.19	28.31	134,169.04	39,810.73	29.67
7)	Kerala	264,276.61	11,363.90	4.30	215,353.01	9,208.08	4.28
8)	Madhya Pradesh	N.R.	N.R.	N.R.	114,658.78	59,217.93	51.65
9)	Pondicherry	1,760.88	83.82	4.76	1,548.16	68.93	4.45
10)	Punjab	218,795.10	5,179.88	2.37	209,584.40	322.74	0.15
11)	Rajasthan	144,387.76	41,434.64	28.70	149,478.81	34,307.18	22.95
12)	Tamil Nadu	140,831.62	23,008.72	16.34	134,323.59	21,241.52	15.81
13)	Tripura	3,461.34	689.85	19.93	3,491.22	1,185.62	33.96
14)	Uttar Pradesh	321,608.92	189,089.60	58.79	307,884.53	165,772.77	53.84
	TOTAL	1,512,116.21	410,363.20	27.14	1,560,420.57	440,976.86	28.26

Note:- N.R. denotes Not Reported

TABLE 7 - RECOVERY PERFORMANCE AT ULTIMATE BORROWERS' LEVEL

(In ₹ Lakh)

Sr. No	Name of the Bank	At Ultimate Borrowers level									
		30.06.10					30.06.11				
		Demand	Collection	Balance	% of Recovery to demand	Demand	Collection	Balance	% of Recovery to demand		
1.	Assam	366.67	134.19	232.48	36.60	231.36	45.58	185.78	19.70		
2.	Bihar	31,794.26	2,228.29	29,565.97	7.01	32,044.06	1,179.91	30,864.15	3.68		
3.	Chhattisgarh	10,943.07	5,784.33	5,158.74	52.86	10,234.81	4,870.41	5,364.40	47.59		
4.	Gujarat	59,113.39	24,633.55	34,479.84	41.67	59,731.22	28,206.05	31,525.17	47.22		
5.	Haryana	138,120.00	37,410.00	100,710.00	27.09	156,921.01	54,350.47	102,570.54	34.64		
6.	Himachal Pradesh	12,190.74	6,265.51	5,925.23	51.40	2,860.37	1,650.71	1,209.66	57.71		
7.	Jammu & Kashmir	1,398.96	350.24	1,048.72	25.04	1,174.26	312.12	862.14	25.04		
8.	Karnataka	68,819.82	29,929.67	38,890.15	43.49	70,390.17	38,311.90	32,078.27	54.43		
9.	Kerala	89,839.02	60,089.36	29,749.66	66.89	96,356.47	69,033.54	27,322.93	71.64		
10.	Madhya Pradesh	88,679.63	23,186.19	65,493.44	26.15	76,691.54	21,581.70	55,109.84	28.14		
11.	Maharashtra	79,308.03	16,517.13	62,790.90	20.83	66,107.25	12,439.69	53,667.56	18.82		
12.	Orissa	NR	NR	NR	NR	2,134.17	252.25	1,881.92	11.82		
13.	Pondicherry	1,274.62	1,219.79	54.83	95.70	1,358.25	1,299.11	59.14	95.65		
14.	Punjab	122,785.58	72,901.14	49,884.44	59.37	121,183.75	72,263.55	48,920.20	59.63		
15.	Rajasthan	102,299.79	38,712.81	63,586.98	37.84	110,753.50	50,114.67	60,638.83	45.25		
16.	Tamil Nadu	21,450.66	7,713.77	13,736.89	35.96	30,423.72	15,175.84	15,247.88	49.88		
17.	Tripura	NR	NR	NR	NR	1,160.00	816.07	343.93	70.35		
18.	Uttar Pradesh	171,981.59	74,684.89	97,296.70	43.43	154,507.93	77,405.25	77,102.68	50.10		
19.	West Bengal	36,437.07	17,476.04	18,961.03	47.96	44,253.13	20,634.96	23,618.17	46.63		
	TOTAL	1,036,802.90	419,236.90	617,566.00	40.44	1,038,516.97	469,943.78	568,573.19	45.25		

Note:- Source Annual Statistical Bulletin 2008-09, 2009-10
For the year 2009-10, Orissa & Tripura SCARDBs didn't furnish the data

TABLE 8 - GENERAL ADMINISTRATIVE DATA

Sr.No	Name of the Bank	Number of Branches (Unitary / Mixed Structure)		Number of PCARDBs (Federal / Mixed Structure)		Number of Branches of PCARDBs (Federal Structure)		Total Membership (Borrowings + Nonborrowings)		Borrowing Members		Whether SCARDB has elected Board (Yes/No)		Number of PCARDBs having elected Board		Staff of SCARDBs (number)		Staff of PCARDBs (number)	
		31.3.12	31.3.11	31.3.12	31.3.11	31.3.12	31.3.11	31.3.12	31.3.11	31.3.12	31.3.11	31.3.12	31.3.12	31.3.11	31.3.12	31.3.12	31.3.11	31.3.12	31.3.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1)	Assam	28	28	0	0	0	0	39,102	39,052.00	N.R.	N.R.	Yes	Yes	N.A.	N.A.	N.R.	N.A.	N.A.	N.A.
2)	Bihar	131	131	0	0	0	0	N.R.	719,480	N.R.	472,437	N.R.	N.R.	N.A.	N.A.	N.R.	801	N.A.	N.A.
3)	Chhattisgarh	0	0	12	12	77	77	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	Yes	Yes	12	12	45	50	343	354
4)	Gujarat	181	181	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	67,4597	67,5226	67,4597	67,5226	Yes	Yes	N.A.	N.A.	448	476	N.A.	N.A.
5)	Haryana	0	0	19	19	87	87	70,0592	73,3185	28,7261	33,3312	Yes	Yes	19	19	129	142	1309	1388
6)	Himachal Pradesh	33	33	1	1	16	16	N.R.	76,189	N.R.	47,219	N.R.	Yes	N.R.	1	133	N.R.	59	
7)	Jammu & Kashmir	45	45	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	86,500	79,700	73,382	73,125	No	No	N.A.	N.A.	151	151	N.A.	N.A.
8)	Karnataka	0	0	177	177	23	23	N.R.	1,073,414	N.R.	67,7656	Yes	Yes	175	175	368	404	998	1095
9)	Kerala	0	0	63	50	N.R.	169	N.R.	1,064,407	N.R.	75,1539	Yes	Yes	N.R.	50	319	340	N.R.	1041
10)	Madhya Pradesh	7	7	38	38	275	275	N.R.	396,320	N.R.	275,540	No	No	N.R.	34	306	344	N.R.	1,981
11)	Maharashtra	0	0	29	29	187	217	N.R.	1,143,208	N.R.	6,622	No	No	2	2	159	173	1,319	1,448
12)	Orissa	0	0	46	46	5	5	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	No	No	N.R.	N.R.	75	92	93	184
13)	Pondicherry	1	1	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	15,946	15,511	3,866	3,334	No	Yes	N.A.	N.A.	33	33	N.A.	N.A.
14)	Punjab	0	0	89	89	0	0	839,363	836,660	730,312	773,584	Yes	Yes	78	89	271	235	620	637
15)	Rajasthan	7	7	36	36	131	131	N.R.	1,273,338	N.R.	744,784	Yes	Yes	Yes	N.R.	129	134	N.R.	616
16)	Tamil Nadu	0	0	180	180	18	18	2,200,950	2,153,314	343,205	343,017	No	No	No	No	150	157	515	547
17)	Tripura	5	5	0	0	0	0	22,588	20,421	22,584	20,417	Yes	Yes	N.A.	N.A.	33	38	N.A.	N.A.
18)	Uttar Pradesh	323	323	0	0	0	0	2,626,119	2,535,893	2,437,038	2,353,309	No	No	N.A.	N.A.	2,850	3,082	N.A.	N.A.
19)	West Bengal	0	0	24	24	N.R.	68	N.R.	377,904	N.R.	138,171	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	152	152	N.R.	573
	TOTAL	761	761	714	701	819	1086	720,5757	1321,3223	457,245	768,9292	-	-	286	382	5466	6937	5197	9853

Note: N.A. Not Applicable - N.R. Not Reported

बावनवीं वार्षिक रिपोर्ट 2011 - 12



राष्ट्रीय सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक्स फेडरेशन (मर्यादित)

७०१, ७वीं मंझिल, बीएसईएल टेक पार्क, ए - विंग,
रेल्वे स्टेशन के सामने, वाशी, नवी मुंबई - ४०० ७०३

टेलीफोन (कार्यालय) : २७८१ ४२२४(एम.डी) : २७८१ ४११४, २७८१ ४४२६
ईपीबीएक्स : २७८१ ४२२६ तार : भूमिविकास
गेस्ट हाऊस : २५५१४५१८ फैक्स : ९१-२२-२७८१ ४२२५
ई-मेल : nafcard@vsnl.net.in वेबसाईट : www.nafcard.org

राष्ट्रीय सहकारी कृषि एवं ग्रामीण बैंक्स फेडरेशन मर्यादित, मुम्बई की वार्षिक सामान्य निकाय बैठक नोटिस

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वर्ष 2011-12 के लिये राष्ट्रीय सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक्स फेडरेशन की वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक मंगलवार, दिनांक 7 अगस्त 2012 को अपरान्ह 4.14 बजे होटल सेन्टौर, श्रीनगर (जम्मू व कश्मीर) में निम्नांकित कार्यों के सम्पादन हेतु आयोजित होगी :-

1. 28 सितम्बर 2012 को होटल बावा में सम्पन्न फेडरेशन की बैठक की कार्यवाही की पुष्टि ।
2. वर्ष 2011-12 के सम्प्रेक्षित लेखा-विवरण पर विचार ।
3. वर्ष 2011-12 के अधिशेष का निस्तारण ।
4. 31.03.2012 को समाप्त हुये वर्ष में सम्प्रेक्षकों के लेखा के सांविधिक प्रतिवेदन पर विचार ।
5. 31.03.2012 को लेखा सम्प्रेक्षा प्रतिवेदन में लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों के अनुपालन पर विचार ।
6. वर्ष 2011-12 के वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार ।
7. वर्ष 2011-12 के लिये सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति तथा उनके शुल्क निर्धारण पर विचार ।
8. वर्ष 2012-13 के लिये वार्षिक बजट पर विचार ।

बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 के प्राविधान तथा फेडरेशन की उपविधियों के अनुरूप सामान्य सभा में, फेडरेशन के प्रत्येक सदस्य बैंक का एक प्रतिनिधि शामिल होगा जो या तो अध्यक्ष / चेयरमैन अथवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी अथवा सदस्य बैंक के संचालक मण्डल का सदस्य हो और जिसे प्रबन्ध समिति के प्रस्ताव द्वारा नामित किया गया हो, अथवा जहां प्रबन्ध समिति का गठन नहीं हुआ हो वहाँ के सदस्य बैंक का प्रशासक, अथवा जिस किसी भी नाम से उसे पुकारा जाता हो, के द्वारा नामित किया जायेगा । तदनुसार सदस्य बैंकों को सलाह दी जाती है कि सामान्य निकाय के अपने प्रतिनिधि के नाम को, प्रबन्ध समिति के संकल्प के साथ वे प्रतिनिधि का नाम सामान्य निकाय की बैठक कम से कम 10 दिन पहले फेडरेशन को सूचित करने का कष्ट करें ।

प्रबन्ध समिति के आदेश के द्वारा

स्थान- नवी मुम्बई
दिनांक-04.07.2012

हस्ताक्षरित /-
(के.के.रविन्द्रन)
प्रबन्ध निदेशक

1. आर्थिक परिदृश्य

वर्ष 2011-12 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि 6.9% अनुमानित की गयी थी जो न केवल विगत दो वर्षों की तुलना में, जब कि अर्थव्यवस्था 8.4% की दर से बढ़ी वरन 2003 से 2011 की अवधि में जिसमें 2008-09 की गिरावट को छोड़ कर जब कि वृद्धिदर 6.7% नीचे लुढ़क गयी थी, से भी धीमी थी। कृषि तथा सेवा क्षेत्र की निरन्तर श्रेष्ठ उपलब्धियों के साथ इस गिरावट का कारण कमजोर औद्योगिक वृद्धि को माना जा सकता है। सेवा क्षेत्र जिसने सकल घरेलू उत्पाद में 9.4% की वृद्धि दर्ज की तथा उसकी हिस्सेदारी व 2010-11 में उसकी बढ़त 58% से वर्ष 2011-12 में 59% हो गयी है को एक दीप्तिमान प्रदर्शक माना जा सकता है। उसी तरह कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों में भी कुछ राज्यों में चावल उत्पादन में वृद्धि के फलस्वरूप खाद्यान्न उत्पादन में भी वर्ष 2011-12 में 2.5% की वृद्धि दर्ज कर के 250.42 मिलियन टन होने का अनुमान है। औद्योगिक क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद में असंतोषजनक गिरावट आयी है, जिससे सकल घरेलू उत्पाद में इसका अंश मात्र 27% पर नीचे आ गया है। अप्रैल-दिसम्बर 2011 तक कुल वृद्धि दर गत वर्ष के इसी अवधि के 8.3% के सापेक्ष 3.6% पर आ पहुंची है।

कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान वर्ष 2004-05 के मूल्यों पर वर्ष 2009-10 में 14.7% के सापेक्ष वर्ष 2010-11 में 14.5% का ही योगदान रहा। संघटक के परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2010-11 में, सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र की 14.5% की कुल भागीदारी में, केवल कृषि क्षेत्र का योगदान 12.3% था जबकि वानिकी का मात्र 1.4% तथा मत्स्य पालन का 0.7% के स्तर पर रहा। कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र में वार्षिक औसत वृद्धि ग्यारहवीं योजना के काल के पहले चार वर्षों में अर्थात् 2007 से 2010-11 तक लक्षित विकास दर 4% के सापेक्ष 3.5% रही। दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार 2011-12 में खाद्यान्न का उत्पादन अब तक के सर्वाधिक ऊंचे स्तर 250.42 मिलियन टन अनुमानित किया गया है जो गेहूँ तथा चावल के उत्पादन में वृद्धि के कारण सर्वाधिक सार्थक उपलब्धि है। वर्ष 2011-12 के लिये ₹4,75,000 करोड़ के ऋण प्रवाह के लक्ष्य निर्धारित थे, और इसके सापेक्ष नवम्बर 2011 तक ₹2,94,023 करोड़ वितरित कर के उल्लेखनीय उपलब्धि अर्जित की गई है।

खाद्यान्न के अन्तर्गत विगत वर्ष के 1267.65 लाख हैक्टैयर की तुलना में वर्ष 2011-12 में 1254.92 लाख हैक्टैयर क्षेत्र आक्षादित हुआ है। खाद्यान्न के क्षेत्र आक्षादन में गिरावट का कारण महाराष्ट्र, राजस्थान

तथा गुजरात में ज्वार, महाराष्ट्र, गुजरात तथा हरियाणा में बाजरा तथा महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश तथा राजस्थान के क्षेत्र में दलहन के उत्पादन में न्यूनता रही। इसके अतिरिक्त मोटे अनाज और तिलहन के उत्पादन भी गत वर्ष की तुलना में नीचे गिरे हैं। 2011-12 के दौरान चावल उत्पादन में 444.06 लाख हैक्टेयर का क्षेत्र आच्छादन गतवर्ष के 15.44 लाख हैक्टेयर से अधिक है। चालू वर्ष में गन्ना उत्पादन हेतु आच्छादित क्षेत्र में 50.81 लाख हैक्टेयर अधिक आच्छादन के साथ थोड़ा सुधार हुआ है जो गतवर्ष से 1.96 लाख हैक्टेयर अधिक है। साथ ही कपास उत्पादन में 121.78 लाख हैक्टेयर भूमि आच्छादन के साथ गतवर्ष 2010-11 के 112.35 लाख हैक्टेयर की तुलना में क्षेत्र आच्छादन में थोड़ा सार्थक सुधार हुआ है। सर्वेक्षण दर्शाता है कि मुद्रा स्फीति जो कि थोक मूल्य सूचकांक द्वारा मापी गई है चालू वित्तीय वर्ष में ऊंची थी, यद्यपि वर्ष की समाप्ति पर मूल्य वृद्धि में गिरावट स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुई है। खाद्यान्न के मूल्यों में उल्लेखनीय रूप से गिरावट आयी है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने मुद्रा स्फीति पर नियंत्रण लगाने तथा स्फीतिक अपेक्षाओं पर अंकुश लगाने हेतु मौद्रिक नीति में कड़ाई की। ये वर्ष ब्याज दरों में तीव्रतम वृद्धि का साक्षी रहा है फलस्वरूप ऋण (उधार) राशियों पर लागत में अभूतपूर्व वृद्धि हुई तथा दूसरे अन्य वस्तुओं की लागत में वृद्धि से लाभप्रदता प्रभावित हुई फलस्वरूप आंतरिक स्रोत निवेश प्रबन्धन हेतु उपयोग में ला जा सके।

आर्थिक सवेक्षण वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 2012-13 में 7.6% की तीव्रता तथा इससे अधिक होने की अपेक्षा करता है। क्रमिक बहाली का मुख्य कारण समग्र निवेश दर में कमी होना है। वर्ष 2011-12 के तीसरे तिमाही के दौरान सकल पूँजी निर्माण सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात का 30% रहा जो गत वर्ष के अनुपात 32% की तुलना में कम था। जैसे जैसे वित्तीय सुदृढ़ीकरण अपने सही रास्ते पर आता है, बचत तथा पूँजी निर्माण में बढ़ोत्तरी होनी चाहिये, इसके अतिरिक्त आनेवाले महीनों में स्फीतिक दबाव में कमी आने के साथ भारतीय रिज़र्व बैंक अपनी मौद्रिक दर कम कर सकता है जिससे निवेश प्रक्रिया प्रोत्साहित होगी तथा वृद्धि पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। प्रारम्भिक आंकलन ये इंगित करता है कि 2013-14 में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 8.8% होगी। ये अनुमान उन तमाम अवधारणाओं से सम्बन्धित कारकों जैसे सामान्य मानसून, यथोचित स्थिर अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य, विशेष रूप से तेल के मूल्य तथा वैश्विक वृद्धि जो वर्तमान समय में है और 0.5% ऊंची होने पर अवलम्बित हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था काफी नाजुक स्थिति में है तथा जी-20 एवं दूसरे मंचों (फोरम) से संगठित प्रयास से बढ़े सार्वभौम ऋण संकट, वित्तीय विनियमन, वृद्धि तथा रोज़गार सृजन के प्रयास तथा ऊर्जा सुरक्षा के साथ इसके स्थायित्व को पुनर्प्रतिष्ठित करने तथा नवीनीकृत वृद्धि लाने की आवश्यकता होगी।

आर्थिक सर्वेक्षण यह संकेत करता है कि बचत खातों पर ब्याज दरों का विकासशील अविनियमन वित्तीय बचतों को बढ़ाने तथा मौद्रिक नीति प्रसारण को बेहतर बनायेगा। दूसरे प्रमुख क्षेत्रों में – घरेलू वित्तीय बाजारों को मजबूत बनाना, विशेष रूप से कार्पोरेट बॉण्ड बाजार तथा विदेशों से अर्न्तवाह आकर्षित करना सम्मिलित हैं। वर्ष 2011-12 के प्रहले छमाही के दौरान भारत की निर्यात वृद्धि 40.5% के ऊंचे स्तर पर थी किन्तु तब से इसकी वृद्धि में कमी है। आयात में 2011-12 (अप्रैल से दिसम्बर) के दौरान 30.4% की तीव्रता दर्ज की गई। ठीक उसी प्रकार देश के भुगतान सन्तुलन, 2011-12 के प्रथम छमाही में \$32.8 बिलियन हो गया जब कि इसी अवधि में वर्ष 2010-11 में ये \$29.6 बिलियन था। विदेशी मुद्रा की आरक्षित निधियां मार्च 2010 में अमेरिकन \$279 बिलियन डालर से बढ़ कर मार्च 2011 में \$305 बिलियन हो गईं। परिवर्तित स्वरूप में निधियों की स्थिति अगस्त 2011 के अंत में अब तक सर्वाधिक अमेरिकी \$322.2 बिलियन रही तथा जनवरी 2012 के अंत में न्यूनतम अमेरिकी \$292.8 बिलियन पर रहीं।

सर्वेक्षण यह मानता है कि संवहनीय परिवृद्धि तथा जलवायु परिवर्तन वैश्विक विचार के प्रमुख क्षेत्र बन रहे हैं और भारत भी समान रूप से चिन्तित है तथा रचनात्मक रूप से वैश्विक समझौता वार्ताओं में प्रवृत्त है। आने वाली जलवायु परिवर्तन चुनौतियां वृहद हैं और भारत विकास की ऊर्जा तीव्रता को कम करने हेतु अपने न्यायोचित अंश से अधिक सहयोग कर रहा है। वस्तुओं एवं सेवाओं के सकल घरेलू उत्पाद में व्यापार का योगदान 1990 और 2010 के मध्य तिगुना हो जाने के कारण अब भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था से अत्यन्त एकीकृत है। इसके साथ ही वित्तीय एकीकरण का विस्तार सकल घरेलू उत्पाद के एक अंश के रूप में पूंजी के प्रवाह से मापित, नाटकीय ढंग से तेजी से बढ़ा है, और वैश्विक अर्थ व्यवस्था में भारत की भूमिका, उभरते बाजार के अन्य प्रमुख सदस्यों के साथ, समान रूप से बढ़ी है।

(संदर्भ-आर्थिक सर्वेक्षण 2011-12)

II. सहकारी दीर्घ कालीन साख संरचना – विहंगावलोकन

भारत में ग्रामीण सहकारी साख प्रणाली दो अलग अलग धाराओं में विकसित हुई – अल्प कालिक एवं दीर्घ कालिक। दीर्घ कालिक साख संरचना का आरम्भ 1920 के प्रारम्भिक काल में किसानों को उनके पुराने ऋणों से मुक्त कराने हेतु दीर्घ कालीन ऋण प्रदान कराने हेतु भूमि बंधक बैंक की स्थापना के साथ हुआ।

पहला भूमि बंधक बैंक 1920 में पंजाब में स्थापित हुआ इसके बाद बड़ी संख्या में इस प्रकार के बैंक दूसरे प्रान्तों में स्थापित किये गये। मद्रास में ऋण पत्र निर्गमन को केन्द्रीकृत करने तथा प्राथमिक भूमि बंधक बैंकों से समन्वय स्थापित करने के लिये पहला केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंक स्थापित किया गया। बम्बई बैंकिंग जांच समिति 1930 (बाम्बे बैंकिंग इन्क्वायरी कमेटी 1930) ने प्राथमिक ऋण समितियों के पास दीर्घ कालीन ऋण उपलब्ध कराने के संसाधनों की कमी का उल्लेख करते हुये दीर्घ कालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भूमि बंधक बैंक की संरचना का सुझाव दिया। 1930 से 1940 के दशक में पूरे देश में भूमि बंधक बैंकों की तीव्र वृद्धि हुई। जिनके कार्य व आकार की कोई समान संरचना नहीं थी। अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति ने राज्यस्तरीय शीर्ष निकाय के साथ भूमि बंधक बैंकों के पुर्नगठन तथा तालुका स्तर के प्राथमिक भूमि बंधक बैंकों को इससे सम्बद्ध किये जाने का सुझाव दिया। समिति ने भूमि बंधक बैंकों की कृषि के लिये निवेश साख में क्रिया कलापों को विविधीकृत करते हुये विकासात्मक भूमिका के लिये भी निर्दिष्ट किया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय भूमि बंधक बैंक लगभग सभी राज्यों में स्थापित किये जा चुके थे जिन्हें भूमि विकास बैंक के नाम से नवाज़ा गया तथा 1990 में इन्हें ही राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक का नाम दिया गया।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के बाद के काल में राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों (एआरडीबैंकों) ने भारतीय कृषि के विकास में उल्लेखनीय भूमिका का निर्वाहन किया। एससीएआरडी बैंकों ने 1960 एवं 1970 के दशक में कृषि भूमि की उत्पादकता में वृद्धि की जिस में विशेष रूप से लघु सिंचाई संसाधनों एवं कृषि यंत्रीकरण की सुविधायें प्रदान कर एक सराहनीय योगदान देना शामिल था। 1980 तथा 1990 के दशक में कृषि कार्य में पूँजी निर्माण के साथ ग्रामीण अकृषि क्षेत्र की योजनाओं में बड़ी मात्रा में वित्त पोषण का कार्य इन बैंकों द्वारा आरम्भ किये जाने से ग्रामीण परिवारों को अतिरिक्त रोजगार के अवसर दिये जाने के अलावा अपनी उपज के बेहतर मूल्य वृद्धि के माध्यम से अपनी आय वृद्धि का सुदृढ़ आधार मिला।

एससीएआरडी बैंकों तथा पीसीएआरडी बैंकों के साथ साथ राज्य तथा प्राथमिक एआरडी बैंकों के निर्वाचित प्रबन्ध समिति सदस्यों/प्रतिनिधियों के लगभग 25000 कर्मियों की प्रशिक्षण सम्बन्धी आवश्यकताओं को व्यापक रूप से जेएलटीसी द्वारा पूरा किया जाता है, जो नाबार्ड की वित्तीय सहायता से एससीएआरडी बैंकों द्वारा चलाया जाता है। सहकारी प्रबन्ध संस्थान तथा क्षेत्रीय सहकारी प्रबन्ध संस्थान (आईसीएम व आरआईसीएम), भारत सरकार के वित्तीय सहयोग से, एनसीसीटी द्वारा तथा क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र नाबार्ड द्वारा संचालित किये जाते हैं। मध्य एवं अपर स्तर के कर्मी मुख्य रूप से वैमनीकॉम तथा कैब (सीएबी) –पुणे तथा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रूरल बैंकिंग बैंगलौर में प्रशिक्षित किये जाते हैं।

प्रबन्धन सूचना प्रणाली (एमआईएस) लगभग सभी एसएआरडी बैंकों द्वारा कम्प्यूट्रीकृत करा ली गई है। केरल तथा पंजाब ने समस्त कार्यप्रणाली कम्प्यूट्रीकृत कर ली है। अन्य एसएआरडी बैंकों द्वारा समस्त कार्यप्रणाली के कम्प्यूट्रीकरण की प्रक्रिया की विभिन्न स्तरों पर पूर्ण किये जाने हेतु प्रगति पर है।

दीर्घकालीन संरचना ने कृषि क्षेत्र में पूँजी निर्माण में तेजी लाकर अत्यन्त सराहनीय कार्य किया है। यद्यपि नब्बे के दशक के बाद से गैर संसाधन आधारित मियादी ऋण वितरण एजेन्सी के निहित गुणों के विशिष्ट स्वरूप से सम्बद्धता के कारण एआरडी बैंकों के कार्य निष्पादन में गिरावट आयी है फलस्वरूप दूसरी वित्तीय संस्थाओं की तुलना में सदस्यों की पर्याप्तमात्रा में वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता पूर्ति क्षमता में गम्भीर रूप से अवरोध उत्पन्न हुआ है। कार्य के मुख्य क्षेत्र में कार्य प्रणाली में आन्तरिक एवं बाह्य कारणों की अशक्तता तथा रुग्णता के इन दोषों के संयोजन के फलस्वरूप इन संस्थाओं की वित्तीय स्थिति तथा व्यवहार्यता में पिछले 10 वर्षों में तेजी से गिरावट आयी है।

फरवरी 2008 में (ADWDR) एडीडब्लूडीआर योजना की घोषणा के बाद इस क्षेत्र में ऋण वसूली बुरी तरह प्रभावित हुई है। बार-बार घटित होने वाली प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित फसलें तथा वसूली प्रक्रिया में सरकारी हस्तक्षेप ने भी बकाया तथा अनर्जक परिसम्पत्तियों (एन.पी.ए.) की बढ़ोत्तरी की प्रवृत्ति में योगदान किया है। यद्यपि ऋण वसूली में विगत दो वर्षों में पर्याप्त सुधार हुआ है फिर भी अभी भी अधिकांश बैंकों को आश्वासक स्तर के अंचल तक पहुँचना शेष है। राज्य एवं प्राथमिक स्तर पर एससीएआरडी बैंक/पीसीएआरडी बैंक का प्रबन्धन कई कारणों से अशक्त होता है। स्वायत्तता एवं स्वतंत्र कार्य संचालन की कमी, अधिकांश संस्थाओं में निर्वाचित प्रबन्ध समित का न होना, सरकार द्वारा बिना किसी उचित प्रक्रिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की नियुक्ति, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों का बार-बार परिवर्तन, विभिन्न संचालनीय क्षेत्रों में पेशेवर कर्मियों का अभाव, अपर्याप्त प्रशिक्षण तथा मानव संसाधन विकास के प्रयास, बैंक के प्रबन्धन में सरकारी हस्तक्षेप इत्यादि मुख्य कारक हैं जो खराब प्रबन्धन के लिये उत्तरदायी हैं।

इन कमियों के बावजूद भी सहकारी दीर्घकालिक ऋण संरचना अभी भी प्रासंगिक है तथा निवेश साख के अनुपात में कृषि साख के कुल प्रवाह की हो रही तीव्र गिरावट को अवरुद्ध करने के लिये इसकी पुनर्जीवित किये जाने की आवश्यकता है। इस संरचना के पुनरुद्धार करने हेतु राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंको तथा प्राथमिक सहकारी ग्रामीण विकास बैंकों को आत्म निर्भर, स्वायत्त सदस्य संचालित संगठन के रूप में पूर्णतया रूपान्तरित किया जाना होगा जो प्रतिस्पर्धात्मक परिवेश में, कृषि क्षेत्र में पूँजी निर्माण संकेन्द्रित लक्ष्य के साथ ग्रामीण क्षेत्र में वित्तीय सेवायें उपलब्ध कराने में समर्थ हो।

III. 2011-12 के दौरान विकास – विशिष्ट अंश कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों की पुनरुत्थान हेतु तैयारी

प्रतिवेदित वर्ष के दौरान फेडरेशन तथा एससीएआरडी बैंकों ने जनवरी-फरवरी 2012 में, पुनरुत्थान हेतु एआरडी बैंकों की तैयारी पर आयोजित आंचलिक सम्मेलनों की सिफारिशों का बड़ी प्रबलता के साथ अनुशीलन किया।

आंचलिक सम्मेलन, ऋण वितरण एवं वसूली, संसाधन संग्रहण तथा खुद के पुनरुत्थान के लिये व्यावसायिक विकास के क्षेत्रों में आने वाली चुनौतियों तथा अपनी पुनरुत्थान की तैयारी के बारे में एससीएआरडी बैंकों तथा पीसीएआरडी बैंकों द्वारा अपेक्षित कार्यवाही पर पहल को व्याख्यायित करने पर संकेन्द्रित थे। एससीएआरडी बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की स्थायी समिति ने उपर्युक्त क्षेत्रों के लिये आंचलिक सम्मेलनों की संस्तुतियों के कार्यान्वयन के लिये एससीएआरडी बैंकों के लिये दिशा-निर्देश आलेख को अंतिम रूप दिया। ये दिशा-निर्देश आलेख, फेडरेशन की हैदराबाद में 29 जुलाई 2011 को सम्पन्न 133वीं बोर्ड बैठक द्वारा अनुमोदित की गई तथा जो तदनन्तर सदस्य बैंकों को, आवश्यक कार्यवाही हेतु वितरित की गई। दिशा-निर्देशों के मुख्य बिन्दु नीचे दिये जा रहे हैं।

व्यवसाय विस्तार तथा विविधीकरण

इस संरचना की अधिकांश संस्थाएँ उस व्यावसायिक स्तर पर कार्य कर रही हैं जो अपने प्रबन्धन एवं जोखिम लागत को पूरा करने में बुरी तरह से अपर्याप्त हैं। 3 से 5 वर्षों तक हानि रहित व्यवसाय बनाये रखना उनके पुनरुत्थान के लिये महत्वपूर्ण है। इस संरचना स्वरूप को प्रत्येक राज्य में अपना औचित्य सिद्ध करने के लिये निवेश साख में अपना अंश बढ़ाने की भी आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त सदस्यों की भिन्न-भिन्न साख ज़रूरतों को पूरा करने के लिये अल्पकालिक एवं दीर्घ कालिक उत्पादों की एक श्रृंखला विकसित किये जाना ज़रूरी होगा। निवेश साख को अल्पकालिक ऋणों से परिपूरित करना निम्नांकित कारणों से विशेषरूप से आवश्यक होगा :-

- (i) कार्यशील पूँजी को उपलब्ध बनाना/उत्पादन ऋण, निवेश साख से पूँजी निर्माण के सभी लाभ प्राप्त करना।
- (ii) सदस्यों की अल्प कालिक ऋणों के लिये अनौपचारिक स्त्रोंतों पर निर्भरता को समाप्त करना।
- (iii) ऋणी सदस्य से सम्पर्क की बारम्बारता में वृद्धि करना जो ऋण वसूली में सुधार लाने के लिये बहुत आवश्यक है।
- (iv) व्यवहार्य व्यावसायिक स्तर अर्जित करना।

अधिकांश राज्यों में विशेषरूप से उन स्थानों पर जहां ये जनपद स्तरीय प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों के माध्यम से कार्य करती है, अन्तस्थ गांवों/स्थलों पर अपने क्षेत्रीय कार्यालय तथा सम्पर्क केन्द्र खोल कर अपना नेटवर्क तथा पहुंच सार्थक रूप से बढ़ाने की आवश्यकता है।

एआरडी बैंकों की व्यावसायिक विकास योजना को निम्नांकित बिन्दुओं पर नवीकृत रूप से पुनः ध्यान केन्द्रित करना चाहिये :-

- (i) लघु सिंचाई / सक्षम सिंचाई प्रणाली का विकास।
- (ii) ऋण वितरण प्रक्रिया को सरल एवं कारगर बनाने के लिये अपने सदस्यों को किसान क्रेडिट कार्ड निर्गत करना।
- (iii) खासतौर पर पट्टेदार / असामी किसान, खेतिहर मजदूर तथा जनजाति के कृषकों को वित्त पोषण प्रकरण में समूह पद्धति का अनुशीलन करना।
- (iv) नाबार्ड से प्राप्त पुर्नवित्त से फसली ऋण जारी करना।
- (v) दीर्घ कालीन ऋण के ऋणी सदस्य को उसकी ऋण भुगतान क्षमता तथा मौजूदा प्रतिभूती के आधार पर नकदी ऋण की सुविधा प्रदान कराना।
- (vi) गैर निधि आधारित व्यवसाय के रास्ते खोजना तथा, ऋणी सदस्य को बीमा उत्पाद का विक्रय करवाना, बाह्य स्रोतों बैंक आदि के माध्यम से सम्बद्धता के द्वारा रेमिटेन्स / डिमाण्ड ड्राफ्ट की व्यवस्था करना।

संसाधन संग्रहीकरण

अ. जमा

एआरडी बैंकों की व्यावसायिक विकास योजना बिना जमा के माध्यम से सृजित निजी सुदृढ़ संसाधनों के प्रभावी ढंग से क्रियान्वित नहीं की जा सकती। जमा संग्रहण के 1997 में निर्गत दिशा निर्देश के क्रम में नाबार्ड ने भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन के साथ एससीएआरडी बैंकों को आम जनता के 1 से 3 वर्ष की अवधि के सावधि जमा उसके निवल मूल्य तक स्वीकार किये जाने की अनुमति प्रदान की है। हालांकि ये योजना अल्पकालिक जमा लिये जाने पर प्रतिबन्ध के कारण तथा योजना से प्राथमिकताओं अपवर्जन की वजह से ये योजना किसी भी राज्य में सुदृढ़ रूप से संसाधन जुटा पाने में सफल नहीं हो सकी है।

उपर्युक्त संदर्भ में आंचलिक सम्मेलनों ने एआरडी बैंकों के जमा संग्रहण कार्यक्रम को सदस्यों के जमा तक ही

सीमित रखने का सुझाव दिया जो भारतीय रिजर्व बैंक / नाबार्ड के नियंत्रक स्वरूप से बाहर है। यह देखा गया है कि एससीएआरडी बैंकों के राज्यव्यापी क्षेत्राधिकार तथा वृहद सदस्यता होने के कारण उनके द्वारा ग्रामीण जमा संग्रहण करने की विशाल क्षमता है। इसके अलावा सदस्यों की बचत का संग्रहण, साख सहकारिताओं का अनिवार्य कार्य है तथा वित्तीय समावेशन का एक महत्वपूर्ण साधन भी है। जैसा कि आंचलिक सम्मेलनों द्वारा संस्तुति की गई है, फेडरेशन ने एआरडीबैंको के लिये उपयुक्त जमा योजनाओं के साथ जमा योजनाओं के कार्यान्वयन तथा जमा के माध्यम से संग्रहीत संसाधनों के प्रभावी उपयोग के बारे में सुझाव देते हुये, जमा संग्रहण पर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये हैं।

(i) सदस्यों से निक्षेप जमा

दूसरे अन्यप्रकार की जमा की तुलना में, निक्षेप जमा एआरडी बैंकों के लिये निधि की लागत तथा लम्बी अवधि के लिये उपलब्ध अवशेष धनराशि के परिप्रेक्ष्य में उपयुक्त एवं लाभप्रद हैं।

- एससीएआरडी बैंकों को, अपने प्रबन्ध समिति के निर्णय/उप विधियों/प्राविधान में संशोधन के द्वारा सभी सदस्यों के निक्षेप जमा के खाते प्रारम्भिक धनराशि ₹500.00 से खुलवाया जाना अनिवार्य कर दिया जाना चाहिये।
- सदस्य जब चाहे अपने खाते में धन जमा कर सकता है तथा आहरण पर्ची के द्वारा जब उसे धन की आवश्यकता हो, बिना किसी अवरोध के, अपने जमा में से प्राथमिक धनराशि ₹500.00 को खाते में छोड़ कर अपनी कितनी भी धनराशि का आहरण कर सकता है।
- जमा संग्रहण के केन्द्र पीसीएआरडी बैंक अथवा इसकी शाखायें तथा एससीएआरडी बैंको की शाखायें होंगी।
- ब्याज दर 4% वार्षिक के औसत पर मासिक आधार पर बैंक के बचत खाते पर अधिमान्य होगा। ब्याज प्रत्येक वर्ष 31मार्च तथा 30 सितम्बर को आंकलित कर खाते में क्रेडिट कर दी जानी चाहिये।
- एससीएआरडी बैंको को अपने सदस्यों के निक्षेप जमा में ₹5000.00 से अधिक अवशेष पर निम्नांकित विशेषताओं के साथ पूरे त्रैमासिक 'लकी ड्रॉ स्कीम' शुरू करनी चाहिये :-

(i) प्रत्येक वर्ष 4 तिमाही ड्रॉ निकाले जायेंगे।

- (ii) वर्ष में दिये जाने वाले पुरस्कारों का कुल मूल्य, ड्रा में भाग लेने वाले पात्र सदस्यों की कुल जमा अदत्त धनराशि के 1% से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- (iii) प्रत्येक ड्रॉ के लिये बम्पर पुरस्कार जैसे—मोटर साइकिल, मोटर कार, पावर ट्रिलर इत्यादि पुरस्कार धनराशि के अनुरूप अलग—अलग दिये जा सकते हैं।
- (iv) बम्पर पुरस्कार के अलावा पात्र खातों की संख्या तथा उपलब्ध धनराशि के अनुरूप प्रत्येक ड्रा में अन्य दूसरे पुरस्कार भी होंगे जैसे कि—सीलिंग फैन, मोबाइल फोन, नकद पुरस्कार आदि।
- (V) प्रत्येक ड्रा के बम्पर पुरस्कार की व्यवस्था पहले से ही की जानी चाहिये तथा पुरस्कार के पूरे विवरण के साथ पोस्टर चित्र, सभी जमा केन्द्रों पर प्रदर्शनार्थ लगाये जाने चाहिये।

(ii) आवर्ती जमा सदस्य

प्रत्येक माह एक निश्चित धनराशि जमा करने के लिये आवर्ती जमा खाता खोल सकते हैं। आवर्ती जमा खाते की धनराशि, उस पर देय ब्याज सहित परिपक्वता मूल्य आवर्तन अवधि जो 12 माह, 24 माह व 36 माह आदि हो सकती है, के पूर्ण होने पर आहरण योग्य होगी।

(iii) सावधि जमा

सावधि जमा एक निश्चित अवधि के लिये की जाती है, एआरडी बैंको के संन्दर्भ में ये विशेष ब्याज दर पर न्यूनतम तीन माह की अवधि के लिये हो सकती है, जिसमें ब्याज तिमाही देय अथवा तिमाही को पूँजी में परिणत करना अथवा परिपक्वता पर देय होने की सुविधा होगी।

(iv) नकदी प्रमाण पत्र

₹5000.00 अथवा ₹10000.00 के नकदी प्रमाण पत्र तीन वर्ष अथवा पांच वर्ष की अवधि के लिये रियायती पुरस्कार की दर पर जमा अवधि के लिये प्रस्तावित ब्याज दर तथा जमा की अवधि के अनुरूप निर्गत किये जा सकते हैं। नकदी प्रमाण पत्र की योजना कुछ विशेष वर्ग के जमाकर्ताओं के लिये ही उपयुक्त है तथा लेखा तथा जमा के क्रय—विक्रय की दृष्टि से बैंकों के लिये सुविधाजनक है।

(V) अंश पूँजी परिवर्तित जमा

ऋण खाता बन्द कराते समय अंशपूँजी ऋण अदायगी में समायोजित कराने के स्थान पर बैंक

अंशपूँजी को सावधि जमा में परिवर्तित कर सकता है अथवा नकदी प्रमाणपत्र आश्वसित लाभ के साथ सदस्य को निर्गत कर सकता है।

जमा योजनाओं को लागू करने के लिये कार्य निर्देश

- बैंक यह सुनिश्चित करें कि सभी जमाकर्ता सदस्य के रूप में नामांकित हैं।
- संघीय स्वरूप में सदस्यों की जमा प्राथमिक एआरडी बैंकों में ही जमा की जा सकती है जिसे समुचित प्रबन्धन तथा धन के अविनियोजन हेतु एससीएआरडी बैंकों को हस्तांतरित किये जाने की आवश्यकता होगी।
- यह भली भांति सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्रत्येक माह की समाप्ति पर प्राथमिक बैंक स्तर की अदत्त जमा एससीएआरडी बैंको की प्रेषित उनकी अदत्त जमा के बराबर है।
- एससीएआरडी बैंक तथा पीसीएआरडी बैंक, पारागमन विलम्ब से बचने तथा बैंक प्रभार व्यय को कम करने के लिये ऑन-लाइन समयोचित धन हस्तांतरण सुविधा – आरटीजीएस / एनईएफटी (RTGS/NEFT), जो बैंको द्वारा धन हस्तांतरण हेतु उपलब्ध कराई जा रही है, का उपयोग करें।
- प्राथमिक बैंकों द्वारा जमा पर एससीएआरडी बैंकों को प्राथमिक बैंकों के संग्रह की लागत, लेखांकन तथा सेवा कार्य जमा की औसत लागत को अदा करने के लिये उन्हें जमा की औसत लागत से 1% अधिक ब्याज चुकाना चाहिये।
- प्राथमिक बैंक जो जमा संचयन कर रहे हों, उन्हें सदस्यों की मांग पर धन वापसी तथा ब्याज भुगतान के लिये समयोचित नकदी के लिये नजदीक के बैंक से ओवरड्राफ्ट सीमा के लाभ को भी सुनिश्चित कर लेनी चाहिये।
- प्राथमिक बैंकों द्वारा जमा निस्तारण की समयोचित कार्य सेवा के लिये ओवरड्राफ्ट सुविधा के उपयोग पर देय ब्याज एससीएआरडी बैंको द्वारा वहन किया जाना चाहिये जो कि प्राथमिक बैंकों द्वारा जमा संचयन के आधारभूत संरक्षक हैं।
- जमा संसाधन मुख्य रूप से अकृषि क्षेत्र के अल्पकालिक ऋण निर्गमन के लिये प्रयुक्त की जानी चाहिये, जिनकी ब्याज दर एससीएआरडी बैंकों की उक्त निधि पर, जिसमें ओवरड्राफ्ट पर ब्याज, प्राथमिक बैंको को (जमा के लिये सेवा कार्य) आहरण प्रतिपूर्ति 5% वार्षिक के लाभ पर उसकी पूरी संरचना, लेन-देन तथा जोखिम लागत को पूरा करने के लिये, कुल वास्तविक लागत से सम्बद्ध की जा सकती है।

- सदस्यों को प्रोत्साहित करने के लिये जमा हेतु ब्याज दर चालू ब्याज दर से 1% अधिक निर्धारित की जा सकती है।
- बैंक द्वारा, जब जमाकर्ता परिपक्वता पर जमा वापसी के लिये बैंक नहीं आता है तो जारी ब्याज दर पर जमा खाता आगामी उसी अवधि के लिये स्वतः नवीनीकृत किये जाने की प्रक्रिया को सुनिश्चित कराना।
- बैंक को सभी जमाकर्ताओं से नामांकन तथा जमा प्रार्थना पत्र प्राप्त करना सुनिश्चित करना चाहिए।
- निक्षेप जमा तथा आवर्ती जमा खातों के लिये पासबुक निर्गमित की जानी चाहिये।
- जमा के नियम एवं शर्तें जमा प्रार्थना पत्र में अंकित होने चाहिये जिसमें धनराशि की परिपक्वता, विशेष रूप से बड़ी धनराशि की परिपक्वता पर धन आहरण हेतु एक दिन पहले सूचित किये जाने के उप नियम को सम्मिलित किया जाना चाहिये।
- सदस्यों द्वारा अपनी जमा पर अर्जित ब्याज के सापेक्ष स्रोत पर आय कर कटौती करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि सदस्यों की सहकारिता से अर्जित इसप्रकार की आय, आय कर के पारस्परिकता के सिद्धान्त के अन्तर्गत आयकर से मुक्त है।
- विभिन्न प्रकार की जमा की ब्याज दरें तथा अल्पकालीन ऋण वितरण की ब्याज दरें, एससीएआरडी बैंक स्तर की एक निश्चित समिति, जिसमें अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य महाप्रबन्धक, महाप्रबन्धक, वित्त एवं ऋण के प्रभारी शामिल हों, द्वारा समय समय पर सामान्य ब्याज दर परिदृश्य के आधार पर निर्धारित की जाये।
- एससीएआरडी बैंक कोष की सुरक्षा तथा तरलता बनाये रखने के लिये प्रतिभूति एवं बैंक जमा में कुल जमा का 50% से कम निवेश न करें। अवशेष धनराशि अल्पकालीन साख उत्पाद में प्रयुक्त की जानी चाहिये।
- निम्नांकित अल्पकालीन ऋण उत्पाद प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों के माध्यम से इस उद्देश्य के लिये लागू किये जाने चाहिये:—
 - (i) गहनों के लिये ऋण।
 - (ii) दीर्घ कालीन ऋणों की सरल/शीघ्र पुर्नअदायगी हेतु सामान्य नकद ऋण योजना।
 - (iii) टिकाऊ उपभोक्ता ऋण।

(iv) व्यापारियों के लिये ऋण ।

- सभी जमा योजनाओं का व्यापक प्रचार विज्ञापनों एवं अन्य दूसरे माध्यमों द्वारा किया जाना चाहिये ।
- विज्ञापन हेतु अलग से बजट में प्रावधान किया जाना चाहिये जो वर्ष में औसत अदत्त जमा का 1/2% से अधिक न हो ।
- उन केन्द्रों पर जमा संग्रहण प्रारम्भ कर दिया जाना चाहिये जहां भवन तथा आधारभूत सुविधायें बेहतर हैं ।
- जमा योजना के शुभारम्भ हेतु बैंक अपनी शाखाओं के भवनों एवं वहाँ आधारभूत सुविधाओं का आधुनिकीकरण करा सकते हैं ।
- उन केन्द्रों पर सम्बन्धित कर्मियों को आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाये ।
- जमा संग्रहण को प्रोत्साहित करने तथा नये जमाकर्ता सदस्यों को जो बाद में ऋणी सदस्य भी बन सकें, बैंक के नामांकित कराने के लिये कर्मियों को उचित मानदेय दिये जाने पर विचार किया जाना चाहिये ।
- जमासंग्रहण के लिये शाखावार/प्राथमिक सीएआरडी बैंकवार मासिक लक्ष्य निर्धारित किये जाने चाहिये । लक्ष्यों के प्रगति की समीक्षा शाखा/क्षेत्रीय/प्रधान कार्यालय स्तर पर की जानी चाहिये ।
- सावधि जमा के 90% तक ऋण सावधि जमा पर देय ब्याज से 1% अधिक पर वितरित किये जा सकते हैं ।
- एससीए आरडी बैंक, प्राथमिक सीएआरडी बैंकों तथा शाखाओं को, अभिलेखों के रख-रखाव, धन के हस्तान्तरण की व्यवस्था, बैंक में जमा सम्बन्धी लेन-देन तथा परिपक्वता पर समयोचित जमा वापसी हेतु ओवरड्राफ्ट एकाउण्ट का खोला जाना, रिक्त सावधि जमा रसीदों का मुद्रण तथा उनकी अभिरक्षा, जमा के खातों में ब्याज लगाये जाने की पद्धति, अपरिपक्व जमा के खाता बन्द किये जाने के सम्बन्ध में कार्य प्रणाली, जमा की प्रतिभूति के सापेक्ष ऋण स्वीकृत करना, निक्षेप जमा खातों में न्यूनतम धनराशि बनाये रखना, निक्षेप जमा के तिमाही लकी ड्रा हेतु पात्र खातों से सम्बन्धित त्रैमासिक विवरण पत्र, एससीएआरडी बैंकों को जमा से सम्बन्धित अदत्त, संग्रह, वापसी इत्यादि से सम्बन्धित भेजे जाने वाले विवरण तथा उसके आवधिकता के सम्बन्ध में आदि का विस्तृत निर्देश निर्गत करें ।

ब. नाबार्ड से पुर्नवित्त

नाबार्ड से पुर्नवित्त के रूप में प्राप्त दीर्घ कालीन कोष, एआरडी बैंकों के लिये किसानों को दीर्घ कालीन वित्त उपलब्ध कराने के अपने अधिदेश पूरा करने के लिये परमावश्यक है। परम्परागत रूप से एससीएआरडी बैंक ऋण वितरण के लिये पुर्नवित्त हेतु नाबार्ड पर आश्रित हैं और नाबार्ड एआरडी बैंकों की आवश्यकताओं को कमोबेश पूरा भी करता है। इस व्यवस्था से नब्बे के अंत तक इस ढांचे को अपने व्यवहार्य व व्यावसायिक स्तर बनाये रखने पूरी मदद मिली थी। किन्तु विगत दस वर्षों में एससीएआरडी बैंकों के सदर्थ में नाबार्ड की पुर्नवित्त नीतियों में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है जिसके फलस्वरूप पात्र बैंकों की संख्या में गिरावट के साथ साथ एससीएआरडी बैंकों को आवंटित निवेश साख के पुर्नवित्त में भी तेज़ी से कमी आई है।

वर्ष 2011-12 में 19 एससीएआरडी बैंकों में से केवल 9 बैंकों को नाबार्ड द्वारा पुर्नवित्त दिया गया। 11 एससीएआरडी बैंकों को जिन्हें वर्ष 2010-11 में पुर्नवित्त दिया गया था, में से छत्तीसगढ़ तथा हिमाचल प्रदेश सितम्बर 2011 में नाबार्ड द्वारा प्रारम्भ की गई ऋण नीति का राजकीय अनुमोदन प्राप्त न कर पाने के कारण कोई आहरण नहीं कर सके। तमिलनाडु, गुजरात तथा पाण्डिचेरी यद्यपि पुर्नवित्त हेतु गुणात्मक मापदण्ड की पात्रता को पूरा करते थे किन्तु सरकार की गारण्टी न मिल पाने के कारण पुर्नवित्त नहीं पा सके। तमिलनाडु और गुजरात एससीएआरडी बैंकों को वर्ष 2012-13 से सरकार की गारण्टी मिलना अपेक्षित है। जबकि नाबार्ड को पाण्डिचेरी शासन द्वारा प्रदत्त शासकीय गारण्टी की स्वीकार्यता के सम्बन्ध में विचार करना होगा। दूसरे एससीएआरडी बैंकों को पुर्नवित्त पुर्नजीवन सहयोग की सम्भावना वैद्यनाथन टास्क फोर्स-II द्वारा प्रस्तावित पैकेज के बहाली लिये की गई संस्तुतियों अथवा सम्बन्धित राज्य सरकारों के माध्यम से पहल पर निर्भर करता है।

एससीएआरडी बैंकों की पुर्नवित्त पात्रता उच्च स्तरीय वसूली की स्थिति के लिये निरन्तर प्रयास से सम्बद्ध है। निचले स्तर पर संतोषजनक सुधार होने के बावजूद असंतुलन की स्थिति में कुछ संघीय एससीएआरडी बैंकों के उच्चस्तरीय वसूली प्रतिशत में तथा एससीएआरडी बैंकों की पीसीएआरडी बैंकों के लिये बढ़ी हुई वृहद मांग के कारण कोई सुधार नहीं हुआ है। एससीएआरडी बैंकों द्वारा इस प्रकार की मांग के असन्तुलन के प्रभाव को अपने मांग वसूली तथा अवशेष पर कम करने के लिये बढ़ी हुई मांग को 10 वर्ष की अवधि के लिये पुर्ननिधारित किया जाना अपेक्षित है।

स. केन्द्र तथा राज्य सरकारों से पुर्नवित्त सहयोग

नाबार्ड ने अभी हाल में एससीएआरडी बैंकों की पुर्नवित्त की मात्रा में कमी करते हुये इससे पूर्व लगभग 96% के औसत के स्थान पर बराबरी से 90% निर्गत ऋण पर के आधार पर दिया है। एससीएआरडी बैंक गैर संसाधन आधारित संस्था होने के कारण बिना केन्द्र और राज्य सरकारों के पुर्नवित्त के पूर्व में प्रत्येक के 2% की तुलना में 5% बढ़ी दर, के सहयोग के इस अन्तर को पूरा नहीं कर सकती हैं। नाबार्ड ने अपने पुर्नवित्त के भाग के लिये ऋण प्रणाली आरम्भ की है बकि केन्द्र और राज्य सरकारें केवल ऋणपत्र निर्गमन में अपने प्रमाणीकरण के माध्यम से सहयोग दे सकती हैं। अतः एससीएआरडी बैंक शासकीय सहयोग अंश पाने के लिये ऋण पत्र प्रणाली जारी रखेंगे। जब कि केन्द्र सरकार ने एससीएआरडी बैंको 5% की बढ़ी दर पर राज्य सरकार से मिलान के आधार पर ऋण पत्र में अपना प्रमाणीकरण अंश जारी रखने की सहमति प्रदान कर दी है, एससीएआरडी बैंकों को मिलान के आधार पर अपना प्रमाणीकरण अंश सुनिश्चित कराने के लिये, सम्बन्धित राज्य सरकारों से सम्पर्क करने की आवश्यकता है।

द.राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम/वाणिज्यिक बैंक से सहयोग

एनसीडीसी कोष इस संरचना को सदस्यों की अल्पकालिक साख आवश्यकताओं को पूरा करने में सहयोग देती है। एनसीडीसी द्वारा एससीएआरडी बैंकों को प्रदत्त ऋण सहायता अभी केवल एफडीएस/शासकीय गारण्टी के आधार पर कुछ बैंको द्वारा प्राप्त की जा रही है। वाणिज्यिक बैंको ने भी सुदृढ़ वित्त स्थिति वाले एससीएआरडी बैंकों को ऋण देने में अपनी रुचि दिखाई है। एससीएआरडी बैंकों को उपयुक्त अल्पकालिक/मध्यकालिक उत्पादों को विकसित करना चाहिये जिन्हें वाणिज्यिक बैंको के निणीकरण सहयोग से पोषित किया जा सके।

वसूली कूटनीतियाँ

एआरडी बैंकों को कोषों के पुर्नचक्रीकरण, अंतर वसूलने, वित्तीय स्वास्थ्य पाने तथा बढी हुआ पुर्नवित्त पाने/उधार सीमा बढाने और ऋण वसूली में सुधार करने की आवश्यकता है।

बैंको को उन प्रणालियाँ/प्रक्रियायें/नीतियों का अनुसरण करने का सुझाव दिया गया है जो वसूली कार्य में सुधार लाने हेतु प्रभावशाली हों।

अच्छा ऋण देना

निम्न पद्धतियों के अनुसरण से गुणात्मक ऋण वितरण, वित पोषित प्रोजेक्ट की सफलता की दर में बढ़ोतरी तथा ऋण वसूली में ऋण के बकाये की घटनाओं में कमी आई है।

- वास्तविक ऋण प्राप्त कर्ताओं का चयन।
- ऋण भुगतान क्षमता का मूल्यांकन व वास्तविक उचित एप्रेज़ल पद्धति का अनुसरण।
- उपभोक्ता मित्र प्रक्रिया का अनुसरण जिससे ऋण स्वीकृति में कम समय लगना।
- ऋण पत्रावली की तैयारी के लिये ऋण प्रार्थी के बारबार बैंक के आने जाने पर होने वाले व्यय में कमी लाना।
- ऋण प्राप्तकर्ता के पास गुणात्मक सामग्री और अन्य सहयोगी सेवायें सुनिश्चित करना।
- फसल ऋण को सुनियोजित करना।

कोषों के तीव्रतर पुनचक्रण तथा बैंक की नकदी (तरलता की) स्थिति में सुधार हेतु ऋण लाभार्थी की समग्र भुगतान क्षमता पर आधारित अल्पकालिक ऋण।

मासिक किस्तें

मासिक किस्तों का निर्धारण ऋण अदायगी की समस्या का शीघ्र पता लगाने को सुसाध्य बनाता है तथा बकाया धनराशि के विशालकाय हो जाने से पहले उसका नियमितीकरण किये जाने से समबन्धित सुधारात्मक उपायों को सम्भव बनाता है। सभी प्रकार के अकृषि क्षेत्र एवं सम्बद्ध क्षेत्र में निरन्तर आय प्रवाह के साथ साथ उन प्रकरणों में जहां ऋणी के पास आय के दूसरे स्रोत हैं, के ऐसे सभी ऋणों के लिये मासिक भुगतान किस्तें निर्धारित करना उपयुक्त है।

अल्पकालिक बड़े ऋण/नकद ऋण के माध्यम से सतत वित्तीय सहयोग

ऋणी सदस्य से निरन्तर सम्पर्क व उसकी साख निर्भरता अनौपचारिक स्रोतों पर कम करने और यह सुनिश्चित कराना कि उसके द्वारा पूँजी निर्माण, निवेश साख का पूरा उपयोग के कारण है, के लिये सतत वित्तीय सहयोग दिया जाना अपेक्षित है।

त्वरित भुगतानकर्ताओं को पहचान सम्मान/मानदेय

कुछ बैंकों ने समय से ऋण अदा करने वाले भुगतानकर्ताओं को पुरस्कृत करने की योजना प्रारम्भ की है। इसमें त्वरित भुगतान कर्ताओं को इनाम दिया जाना, ब्याज में छूट, नये ऋणों की स्वीकृति में प्राथमिकता, नकद ऋण सीमा आदि सम्मिलित हैं। इस प्रकार के मानदेय ऋणी सदस्य को त्वरित ऋण अदाकर्ता को अपना स्तर पदनुरूप बनाये रखने तथा बकायेदार सदस्यों को त्वरित ऋण अदाकर्ता बनने की प्रेरणा देते हैं।

कर्मियों के अनुग्रह/हित लाभ को शाखाओं/प्राथमिक एआरडी बैंको की वसूली तथा शुद्ध लाभ से सम्बद्ध करना

कुछ बैंकों ने अपने कर्मियों को दिये जाने वाले हित लाभ अनुग्रह शाखा/प्राथमिक बैंक में वसूली के बेहतर परिणाम लाने की दृष्टि से एआरडी बैंक के शुद्ध अर्जित लाभ से जोड़ दिया है।

वसूली के विधिक उपाय

जब दो किस्ते बकाया पड़ जाये तो बैंक को नियमानुकूल निर्धारित वसूली के उपायों के अनुशीलन की आवश्यकता है। कुछ राज्यों में राज्य सरकारों की नीतियां भूमि के विक्रय द्वारा ऋण वसूली किये जाने के पक्ष में नहीं हैं। ऐसी स्थिति में बैंक को दूसरे अन्य उपायों यथा— बकाया वसूली के लिये ऋणी सदस्य की चल सम्पत्ति का अधिग्रहण तथा विक्रय का अनुसरण करना चाहिये। भूमि का विक्रय किया जाना उस समय आवश्यक हो जाता है जब कि ऋण खाता अवरुद्ध कर दिया जाता है तथा समस्त ऋण धनराशि एकमुश्त एक साथ वसूल किया जाना होता है। फिर भी, यदि बकाया किस्तों की वसूली के लिये प्रभावी कदम पहले उठा लिये जायें तो बैंक ऋण खाता अवरुद्ध किये जाने की प्रक्रिया की आवश्यकता को टाला जा सकता है।

वास्तविक मामलों में माँग का पुनर्निर्धारण

बैंक द्वारा माँग का पुनर्निर्धारण केवल वैयक्तिक ऋणी सदस्य के संदर्भ में उस स्थिति में किया जा सकता है जहां ऋणी सदस्य किसी वास्तविक कारण से किस्त जमा कर पाने में असमर्थ है। फिर भी इस प्रकार के पुनर्निर्धारण, उच्च स्तरीय माध्यमों जिनमें नाबार्ड भी सम्मिलित है, द्वारा तदनुरूप किये गये पुनर्निर्धारण पर ग्रहणीय नहीं होंगे। इसी प्रकार संघीय संरचना में एसीएआरडी बैंकों की बकाया माँग सहित कुल माँग, प्राथमिक एआरडीबैंकों के सदस्यों के साथ साथ ऋण दाताओं से ऋण अदायगी के दायित्वों की तुलना में कुल माँग से वस्तुतः अधिक होती है। ऐसी स्थिति में एएससीएआरडी बैंक प्राथमिक बैंकों की माँग को सही एवं प्राथमिक बैंकों से निचले स्तर पर तुलनीय बनाने के लिये 10 वर्षों के लिये अतिरिक्त माँग को अवरुद्ध तथा उसका पुनर्निर्धारण कर सकते हैं।

नवीनीकरण

एससीएआरडी बैंकों को प्राथमिक एआरडी बैंकों और शाखाओं में व्यवहार्य/अर्थक्षम, व्यवसायिक स्तर, जैसे स्थापना लागत, वसूली निष्पादन, कार्य परिणाम, कर्मियों की क्षमता इत्यादि और व्यवहार्य इकाइयों के सुदृढ करने तथा व्यवहार्यता को उचित अवधि में पाने के लिये कदाचित शाखावार/प्राथमिक एसीआरडी बैंकवार कार्य योजना पर सम्भाव्य अर्थक्षम तथा गैर अर्थक्षम का वर्गीकरण करने की सलाह दी गई है। बैंकों को गैरव्यवहार्य इकाइयों के बर्हिगमन की नीति विकसित करने की आवश्यकता है।

एससीएआरडी बैंकों को अपनी पहुंच बढ़ाने की रणनीति विकसित करनी होगी। जब कि अल्प अवधि में नयी शाखाओं को खोलकर कार्यक्षेत्र विस्तार सम्भव नहीं है, बैंकों को अपने कर्मियों को स्थानीय संस्थाओं तथा गैर सरकारी संस्थाओं से सम्बन्ध बनाने आदि के लिये हर दूसरे दिन भ्रमण के लिये गांवों के दूरस्थ स्थलों पर भेजकर अपने सम्पर्क केन्द्रों का विस्तार करना चाहिये।

मानव संसाधन विकास तथा प्रशिक्षण

निर्वाचित संचालकों के लिये विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आरम्भ करना जो पहली बार निर्वाचित होने वाले संचालकों के लिये अनिवार्य हो। एससीएआरडी बैंक को निम्नांकित बिन्दुओं को पूरी करने वाली दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम बनायें:-

- (i) अधिनियम, नियम तथा उपनियम के प्रासंगिक प्रविधान।
- (ii) दृष्टि, लक्ष्य तथा एआरडीबैंकों के कार्य।
- (iii) निर्वाचित संचालकों के करने तथा न करने वाले कार्यों सहित उनके कर्तव्य, अधिकार तथा भूमिका।
- (iv) एआरडी बैंको से सम्बन्धित वित्तीय विवरण पत्रों का अध्ययन।
- (v) सहकारी दीर्घ कालीन साख संरचना की प्रवृत्तियां एवं विकास।

एससीएआरडी बैंकों को जमा संग्रहण तथा अल्प कालीन ऋण वितरण में अल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित करने चाहिये। कर्मियों को प्रशिक्षण में अभिप्रेरित करने के लिये अतिरिक्त व्यावसायिक योग्यता के सीएआइआइबी जैसे योग्यता अर्जित करने वाले कर्मियों को अतिरिक्त वेतन वृद्धि तथा मानदेय दिया जाना चाहिये।

बैंकों को अपने मध्य स्तरीय प्रबन्धन को सुदृढ़ करने के लिये नये कर्मियों की नियुक्तियों के साथ साथ अपने व्यवसाय विस्तार तथा नये व्यवसायिक दक्ष कर्मियों की नियुक्ती करने की आवश्यकता है।

2. नाबार्ड द्वारा पुर्नवित्त नीति में परिवर्तन

नाबार्ड के पुर्नवित्त सहयोग से निवेश साख उपलब्ध करवाना, अधिकांश दीर्घकालीन सहकारी साख व्यवस्था का एक मात्र व्यवसाय है। विगत पाँच वर्षों में नाबार्ड द्वारा पुर्नवित्त आवंटन में कमी किये जाने के कारण इन बैंकों के व्यवसाय स्तर में धीमी गति से गिरावट आयी है। विगत पांच वर्षों से नाबार्ड का एससीएआरडी बैंकों को पुर्नवित्त वितरण निरपेक्ष एवं सापेक्ष संदर्भों में नीचे गिरा है। नाबार्ड का एससीएआरडी बैंकों को वार्षिक पुर्नवित्त आवंटन सामान्यतया नाबार्ड को वर्ष में किये गये भुगतान से कम होता है। यह नाबार्ड द्वारा मुख्य रूप से अपनी पुर्नवित्त नीति में बदलाव के कारण हुआ है। फलस्वरूप बैंको की पुर्नवित्त पात्रता में तीव्र ह्रास हुआ है। ये प्रतिवेदित वर्ष में भी नाबार्ड द्वारा पुर्नवित्त में और भी अधिक कड़ाई किये जाने का साक्षी रहा है।

अ. पात्रता के मापदण्ड

नाबार्ड के मौजूदा पात्रता नियम के अनुसार केवल वही एससीएआरडी बैंक जिनकी वसूली 70% से अधिक है, गत वर्ष से बढ़े हुये पुर्नवित्त आवंटन के पात्र हैं। जब कृषि ऋणों की वसूली, बैंकों के नियंत्रण से परे अनेक कारणों से बाधित हुई हो तो कोई भी बैंक उच्च पुर्नवित्त हेतु उपर्युक्त निर्धारित न्यूनतम मानदण्ड की परिधि पार नहीं कर सकेगा। वर्तमान समय में लगभग सभी बैंक उल्लेखनीय रूप से अपने व्यवसाय के निर्धारित न्यूनतम स्तर से भी कम के प्रबन्ध एवं जोखिम लागत पर कार्य कर रहे हैं। इन संस्थाओं की व्यवहार्यता के पुर्नस्थापित करने के लिये कम समय में व्यवसाय के स्तर में पर्याप्त वृद्धि किया जाना बहुत आवश्यक है। नाबार्ड द्वारा अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में पुर्नवित्त आवंटित किया जाना इस स्थिति को पाने के लिये अनिवार्य शर्त है। एआरडीबैंकों की आवश्यकता के परिप्रेक्ष्य में नाबार्ड की वर्तमान पुर्नवित्त नीति की इस पृष्ठभूमि में समीक्षा किये जाने की आवश्यकता है। वर्तमान नीति के अन्तर्गत नाबार्ड परिष्कृत पुर्नवित्त हेतु तब तक विचार नहीं करना चाहता जब तक कि ऋण वसूली 70% पर नहीं पहुँच जाती। अनेक अवरोधों के होते हुये भी वसूली में गत वर्ष से अधिक सुधार की स्थिति प्राप्ति तथा उस प्रवृत्ति को बनाये रखने के लिये एवं व्यावसायिक स्तर पर व्यवहार्यता में सुधार के लिये अपेक्षाकृत अधिक पुर्नवित्त विनियोजन अपेक्षित होगा।

ब. फसली ऋण के लिये पुर्नवित्त

नाबार्ड ने एससीएआरडी बैंकों को अपने उन सदस्यों हेतु जिन्होंने वर्ष 2008-09 निवेश साख प्राप्त किया है, को फसली ऋण देने हेतु पुर्नवित्त प्रदान करना प्रारम्भ किया है। यद्यपि एससीएआरडी बैंकों ने इस योजना का निम्नांकित कारणों से समर्थन नहीं किया है:-

फसली ऋण देने के लिये कोषों के पृथक आवंटन का अभाव

अधिकांश बैंक निवेश साख के लिये दिये गये सीमित आवंटन, जो अपर्याप्त है, का उपयोग कर पाने में असमर्थ हैं। केरल तथा राजस्थान जो फसली ऋण वितरित कर रहे हैं, ने भी निम्नांकित कठिनाइयों का सामना किया है:-

- (i) बैंकों को पुर्नवित्त पाने में 6 माह तक का समयांतर झेलना पड़ा जिससे 7% ब्याज की दूनी लागत के महंगे ऋण के कारण भारी हानि हुई। यह पाया गया है कि नाबार्ड फसली ऋण के लिये पुर्नवित्त प्रदान कराने में एक जैसी प्रणाली का अनुसरण नहीं करता।
- (ii) प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार वित्त मंत्रालय से निकासी न हो पाने के कारण इन बैंको द्वारा वर्ष 2011-12 में निर्गमित ₹220 करोड़ के फसली ऋण का पुर्नवित्त अभी तक नहीं किया गया है। जिससे इन बैंको को भारी हानि उठानी पड़ रही है। इन बैंकों तथा फेडरेशन की तरफ से इस संकट से छुटकारा दिलाने के लिये नाबार्ड से किये गये सहयोगात्मक प्रतिक्रिया के आग्रह, जो नाबार्ड की निरन्तर पुर्नवित्त प्रदान कर पाने अक्षमता से उपार्जित हुआ, से कोई परिणाम नहीं निकल सका है।

स. ऋण प्रणाली का प्रारम्भ

नाबार्ड ने एससीएआरडी बैंकों को ऋण पत्र के प्रमाणीकरण के माध्यम के स्थान पर पुर्नवित्त का अंश प्रदान कराने हेतु 2 सितम्बर 2011 से ऋण प्रणाली को प्रारम्भ किया।

नब्बे दशक के प्रारम्भ में फेडरेशन ने ऋणपत्रों के माध्यम से पुर्नवित्त प्राप्त करने की जटिल प्रक्रिया को सरलीकृत करने के लिये ऋण प्रणाली का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। उस समय ये भी विचार किया गया था कि ऋण प्रणाली बिना शासकीय गारन्टी के, जो कि ऋण पत्र के परिप्रेक्ष्य में अनिवार्य शर्त है, एससीएआरडी बैंकों को पुर्नवित्त हेतु सरलता से धन निर्गमित कर सकेगी। चूंकि एससीएआरडी बैंकों के पास ऋण वितरण

हेतु कोष, जो नाबार्ड के पुर्नवित्त से आच्छादित नहीं हैं, के लिये अपने निजी स्रोत नहीं हैं, फेडरेशन ने राज्य और केन्द्र के ऋण पत्रों में निर्धारित अंश के लिये ऋण पत्र प्रणाली को जारी रखने का भी सुझाव दिया था। फिर भी नाबार्ड फेडरेशन तथा एससीएआरडी बैंकों से इस विषय पर प्रारम्भिक बातचीत के बाद उस समय आगे नहीं बढ़ा। इन 10 वर्षों के दौरान इस प्रस्ताव पर आगे कभी कोई चर्चा फेडरेशन से नहीं की गई। इस परिप्रेक्ष्य में नाबार्ड द्वारा अचानक ऋण प्रणाली पर परिवर्तन की उदघोषणा विस्मयकारी था। यह भी पाया गया है कि नीतियों एवं प्रक्रिया में परिवर्तन करने के स्थान पर नाबार्ड ने इस क्षेत्र से दिये गये सुझावों के विपरीत नयी ऋण प्रणाली को प्रारम्भ करने के लिये और अधिक प्रतिबन्धात्मक तथा कड़ा बना दिया।

वर्ष के मध्य में एससीएआरडी बैंको तथा राज्य सरकारों के स्तर पर बिना कोई तैयारी का समय देने के कारण, ऋण प्रणाली के आरम्भ ने पुर्नवित्त प्राप्ति में विलम्ब में वृद्धि की, जिससे बैंको को कोष के पुर्नचक्रण के अभाव में ऋण वितरण में गतिहीनता के अलावा पर्याप्त वित्तीय हानियाँ भी उठानी पड़ी हैं। इस विलम्ब से बैंकों को बार बार ब्याज दरों में हो रही वृद्धि के कारण ऊँची ब्याज दर पर पुर्नवित्त लेना पड़ा।

द. पुर्नवित्त की स्थितियों में परिवर्तन

नाबार्ड ने एससीएआरडी बैंकों के पुर्नवित्त प्रदान करने हेतु ऋण प्रणाली में प्रवेश के लिये निम्नांकित प्रमुख परिवर्तन किये:-

- (i) पुर्नवित्त को नीचे लाते हुये उसे वितरित ऋण के 90% के बराबर तथा सभी उद्देश्यों के लिये समान रूप से मानना।
- (ii) पुर्नवित्त भुगतान में उसी अवधि के ऋणों के सदृश के सापेक्ष दो वर्ष की अतिरिक्त अवधि की समाप्ति।
- (iii) ब्याज भुगतान हेतु छमाही तिथियाँ।

इन परिवर्तनों ने एससीएआरडी बैंको की कार्य प्रणाली को निम्नांकित प्रकार से प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है:-

- (i) संसाधनहीन होने के कारण एससीएआरडी बैंक पुर्नवित्त में 10% की कमी को पूरा कर पाने में सक्षम नहीं है। ये न्यूनता यदि केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा पूरी नहीं की जाती है तो उनके ऋण वितरण कार्यक्रम को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगी।
- (ii) पुर्नवित्त भुगतान हेतु दो वर्ष की अतिरिक्त अवधि से किसानों के स्तर के बकाये को आंशिक

रूप से आच्छादित कर लेता था। इस दो वर्ष के कुशन पीरियड के अभाव में नाबार्ड द्वारा प्रदत्त पुर्नवित्त के भुगतान की समय से अदायगी किया जाना कठिन होगा। अतः दो वर्ष के कुशन पीरियड के समाप्त कर दिये जाने से एससीएआरडी बैंकों द्वारा नाबार्ड को भुगतान में बकाया पड़ जाने की सम्भावनाये बढ़ गई हैं।

ई. एससीएआरडी बैंकों का जोखिम रूप रेखांकन

नाबार्ड ने इस बात को पूरी तरह खारिज करते हुये कि उनको दिया गया कोष, राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूतित होता है, का उचित विश्लेषण किये बिना एससीएआरडी बैंकों के पुर्नवित्त आवंटन हेतु उनकी जोखिम रूपरेखांकन की प्रक्रिया प्रारम्भ की। संरचना को सरकार की नीतियों के कारण, जो वैद्यनाथन टास्क फोर्स के प्रस्तावित पैकेज द्वारा अभी क्षतिपूरित किया जाना है, को भारी हानि उठानी पड़ रही है। एससीएआरडी बैंकों के पुर्नपूँजीकरण से, पूर्व जोखिम रेखांकन और इस परिप्रेक्ष्य में सुधारों का परिणाम पात्र एससीएआरडी बैंकों की संख्या में तथा पात्र बैंको को मिलने वाले सहयोग की मात्रा में और अधिक कमी नहीं होनी चाहिये। इन बैंको को मिलने वाले सहयोग की मात्रा में और अधिक कमी से न केवल उनके पुर्नजीवित होने की सम्भावना निरुत्साहित होगी वरन उनके सदस्यों की साख समस्या और भड़केगी।

फ. चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट द्वारा लेखा सम्परीक्षा

नाबार्ड ने एससीएआरडी बैंकों को नाबार्ड द्वारा 2011-12 में अनुमोदित चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट से लेखा सम्प्रेक्षण कराने के निर्देश दिये हैं। चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट द्वारा किया गया लेखापरीक्षण सांविधिक लेखापरीक्षण, जो कि यदि सहकारी लेख परीक्षको द्वारा किया जाता है, से स्वतंत्र होगा। नाबार्ड ने एससीएआरडी बैंकों की पात्रता तथा आवंटन की मात्रा एवं उनकी वित्तीय स्थिति को जो प्रस्तावित लेखा सम्परीक्षा से स्पष्ट होगी, से आपस में सम्बद्ध करने हेतु प्रस्तावित किया है। एक ओर जबकि चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट द्वारा लेखा सम्परीक्षा के समय से पूरा कराने की सुविधा प्रदान करायेगा, वहीं दूसरी ओर सम्प्रेक्षा शुल्क के रूप में इस कार्य हेतु लगाये गये सम्प्रेक्षण करने वाले कर्मियों का शुल्क उन राज्यों में जहां विभागीय शासकीय सम्प्रेक्षण कराया जाना अनिवार्य है, की लागत को दूना कर देगा।

जैसा कि पहले बताया जा चुका है, पुर्नपूँजी करण के अभाव में, अधिकांश एससीएआरडी बैंकों की आर्थिक स्थिति उत्कृष्टतम स्थिति में नहीं होगी। अतः इस अवस्था में विशेषरूप से उस समय जब कि एससीएआरडी बैंकों का पुर्नवित्त जोकि राज्य सरकारों द्वारा प्रत्याभूतित है और पूर्णतया जोखिम मुक्त है, वित्तीय स्थिति के आधार पर, एससीएआरडी बैंकों की पुर्नवित्त की पात्रता निर्धारित करने को मुख्य मानदण्ड निर्धारित नहीं किया जाना चाहिये। फिर भी यह स्वागतयोग्य कदम होगा यदि एआरडीबैंकों के सदुपयोग ऋणों की दर सुधारने तथा शासकीय प्रत्याभूत से छुटकारा पाने हेतु उन क्षेत्रों की पहचान करने हेतु एक प्रणाली का शुभारम्भ किया जा रहा हो।

3 अन्तर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष - 2012

संयुक्त राष्ट्र संघ ने 'सहकारी उद्यमों से बेहतर विश्व का निर्माण' थीम के साथ, सामाजिक तथा आर्थिक विकास में सहकारिताओं के योगदान तथा सहकारिताओं में उद्यमिता के अर्तनिहित स्वरूप की भूमिका पर भी ध्यान केन्द्रित करते हुये 2012 को अन्तर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष के रूप में घोषित किया है। अन्तर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष 2012 का मुख्य बिन्दु मुख्य रूप से युवा वर्ग की उनकी अपनी विविधता के मध्य सहकारिताओं के बारे में जन जागृति बढ़ाना है। अन्तर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष (आईवायसी) सहकारिताओं की लोक पहचान तथा इनके सामाजिक आर्थिक प्रभाव को बढ़ाना चाहता है जिससे सहकारी निर्माण तथा विकास के लिये नीति एवं विधायन का सृजन हो सके। फेडरेशन ने संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्तर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष (आईवायसी) का स्वागत, एआरडी बैंकों के ग्रामीण रोजगार तथा आय में योगदान को संकेन्द्रित करते हुये, सहकारिताओं के अनुपम लाभों तथा सामाजिक आर्थिक विकास में उनकी अहम भूमिका को आम आदमी के मध्य सजगता बढ़ाने के एक बड़े अवसर की उपलब्धि के रूप में किया है। फेडरेशन की प्रबन्ध समिति ने अभिलेखों तथा संस्थाओं के उल्लेखनीय कार्य निष्पादन की सफलता से तादात्म स्थापित करते हुये संस्थाओं के द्वारा एआरडी बैंकों की संरचना एवं योजनाओं को वित्तीय सहायता की उल्लेखनीय कामयाबी की सफलता की कहानियों को अन्तर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष के आयोजन के रूप में प्रसारित करने का भी निश्चय किया है। फेडरेशन ने अन्तर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष (आईवायसी) 2012 के आयोजन के लिये कार्यक्रम तथा दिशा निर्देश जारी कर दिये हैं जिसमें सफलता की कहानियों के प्रलेख स्थानीय एवं आंचलिक स्तर पर सम्मेलनों का आयोजन, ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिये विशेष कार्यक्रम तथा सहकारिता तथा सहकारी व्यवसाय मॉडल के प्रासंगिक विषयों पर हाई-स्कूल तथा कालेज स्तर के राज्य स्तरीय निबन्ध लेखन प्रतियोगिता आयोजन सम्मिलित हैं।

4 सहकारी दीर्घ कालीन साख संरचना के लिये पुनरुद्धार पैकेज

दीर्घकालीन साख संरचना की संस्थाओं का पुनरुद्धार पैकेज केन्द्रीय बजट 2008-09 की घोषणा तथा केन्द्रीय मंत्रिमंडल के फरवरी 2009 की योजना के अनुमोदन के बाद भी, अभी तक अवरुद्ध है। तदनन्तर सरकार द्वारा योजना परीक्षण तथा पात्रता मापदण्डों में कुछ परिवर्तनों के पश्चात संशोधित प्रारूप पर उसकी संस्तुतियों के कार्यान्वयन के लिये जी.सी. चतुर्वेदी की अध्यक्षता में नियुक्त टास्क फोर्स भी नियुक्त किया गया। फेडरेशन ने केन्द्रीय वित्त मंत्री, राज्य मंत्री वित्त तथा भारत सरकार के अनेक स्तरों पर क्रियान्वयन के शीघ्र हल निकाले जाने हेतु प्रयास जारी रखा। अधिकांश राज्य सरकारों ने भी पैकेज के कार्यान्वयन में हो रहे विलम्ब के प्रकरण को केन्द्र सरकार के समक्ष रखा। माननीय सांसद सुश्री अनुसुइया उइकी ने 30 अगस्त 2011 को राज्य सभा में इस परिप्रेक्ष्य में उठाये गये अपने प्रश्न के उत्तर में वित्त मंत्री के कथन कि 'एलटीसीसी का पुनरुद्धार पैकेज सरकार के पास विचाराधीन है', के बारे में भी अवगत कराया। अक्टूबर 2011 में वित्त मंत्रालय ने भी महामहित राष्ट्रपति महोदय द्वारा मंत्रालय से इस संदर्भ में पूछे जाने पर बताया था कि एलटीसीसी का पुनरुद्धार पैकेज यथाशीघ्र निर्णीत होगा। फिर भी यह गम्भीर एवं विचारणीय बात है कि सरकार द्वारा आश्वासन दिये जाने के उपरान्त भी प्रस्ताव अभी तक क्रियान्वयन के स्तर तक भी नहीं पहुँच पाया है।

5 एससीएआरडी बैंकों को दिये जाने वाले पुर्नवित्त पर नाबार्ड की ब्याज दर

नाबार्ड के पुर्नवित्त पर ब्याज दर ने पूरे वर्ष अपनी ऊर्ध्वगामी रूख जारी रखा। नाबार्ड के पुर्नवित्त पर ब्याज दर अगस्त 2010 में 7.25% तथा वर्ष की शुरुआत में 9.15% की तुलना में वर्तमान में 5 नवम्बर 2011 से 19% वार्षिक है।

यद्यपि नाबार्ड भविष्य में प्राप्यता के आधार पर ब्याज में वृद्धि करता है किन्तु एआरडी बैंकों पर इसका प्रभाव अतीतलक्षी ढंग से पड़ा चूँकि बढ़ी हुई ब्याज दर पुर्नवित्त की पूर्व संशोधित ब्याज दर लागत जिस पर ऋण वितरित किया जा चुका है, पर लागू होती है। अतैव एससीएआरडी बैंकों को ऋण वितरण के समय पुर्नवित्त की प्रचलित ब्याज दर की तुलना में अपेक्षाकृत बढ़ी हुई ब्याज दर पर पुर्नवित्त लेने के लिये बाध्य होना पड़ा। ब्याज के दर में यह अंतर कभी-कभी एससीएआरडी बैंकों को ब्याज में मिलने वाले उपांत (मार्जिन) से अधिक होती है। फलस्वरूप दीर्घकालिक आधार पर नकारात्मक शुद्ध उपांत (मार्जिन) का लाभ ही मिल पाता है। चूँकि नाबार्ड ने, पुर्नवित्त की संशोधित हुई बढ़ी ब्याज दर को केवल संशोधन की तिथि से वितरित

किये जाने वाले ऋणों पर लागू किये जाने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है, ये प्रकरण एससीएआरडी बैंकों पर हल करने हेतु छोड़ दिया गया है। फंडरेशन ने एससीएआरडी बैंकों को पुर्नवित्त प्राप्ति के बाद ऋणों पर केवल एक बार उसकी कुल वास्तविक लागत पर आधारित ब्याज दर में संशोधन लागू करने का सुझाव दिया। ये सुझाव सभी एससीएआरडी बैंकों द्वारा अभी कार्यान्वित किया जाना है।

6. केन्द्रीय बजट 2012-13 – मुख्य अंश

16 मार्च 2012 को संसद में केन्द्रीय बजट 2012-13 प्रस्तुत किया गया। बजट प्रस्तुत करते हुये वित्तमंत्री ने 2012-13 के राजस्व प्रबन्धन में निम्नांकित उद्देश्य अधिसूचित किये:—

- (i) घरेलू मांग संचालित विकास पर पूरा ध्यान।
- (ii) निजी निवेश में विकास के तीव्र पुनरुत्थान हेतु स्थितियों का सृजन।
- (iii) कृषि, ऊर्जा, तथा परिवहन क्षेत्रों में आपूर्ति अवरोधों की पहचान।
- (iv) कुपोषण की समस्या की पहचान पर 200 प्रभावित जिलों में निर्णायक हस्तक्षेप।
- (v) वितरण/आपूर्ति प्रणाली, शासन तथा पारदर्शिता में सुधार लाना तथा जन जीवन में भ्रष्टाचार तथा धन की समस्या की पहचान।

बजट जोकि विगत तीन वर्षों के दौरान निरन्तर घटते निवेश तथा पूँजी निर्माण की पृष्ठभूमि में प्रस्तुत किया गया है, के अनुक्रम में निवेश परिवेश को सुदृढ़ करने के लिये अनेक उपाय प्रस्तावित किये गये। इन उपायों में निम्नांकित सम्मिलित हैं:—

- 51% विविध ब्राण्ड के फुटकर में एफडीए की अनुमति देने के प्रस्ताव को पाने के लक्ष्य।
- ₹ 10 लाख से नीचे की आय स्तर के नये निवेशकों को राजीव गांधी ईक्विटी बचत योजना में ₹50,000/—तक के ईक्विटी में प्रत्यक्ष निवेश पर 50% तक आयकर में कटौती दिलाना।
- पूँजी बाजार सुधार के अन्तर्गत आईपीओ की प्रणाली का सरलीकरण।
- 12वीं पंचवर्षीय योजना में ₹50 लाख करोड़ के लक्ष्य निर्धारण के द्वारा आधारभूत संरचनाओं पर नवीकृत दबाव।
- पीपीपी प्रणाली के अन्तर्गत व्यवहार्यता अन्तराल निधीकरण के लिये और अधिक कार्यक्षेत्रों को जोड़ना।
- पीपीपी प्रणाली में रक्षा पीएसयूज़।

- ₹ 8000 करोड़ के आधारिक संरचना ऋण कोष की स्थापना करना ।
- कर मुक्त अविसंरचना बाण्ड के द्वारा आधारभूत संरचना के वित्त प्रबन्धन हेतु ₹60,0000 करोड़ विकसित करना ।

कृषि

कृषि से सम्बन्धित बजट के प्रस्तावों की निम्नांकित मुख्य अंश हैं :-

- ₹ 9,217 करोड़ के परिव्यय के साथ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जारी रहेगी ।
- गतवर्ष के ₹400 करोड़ के सापेक्ष ₹1,000 करोड़ के बढ़े हुये परिव्यय के साथ पूर्वी भारत के लिये हरित क्रान्ति की पहल जारी रहेगी ।
- 12वीं योजना के दौरान निम्नांकित राष्ट्रीय मिशन के अन्तर्गत अनेक सेक्टरल योजनाओं का विलय:-
 - (i) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन ।
 - (ii) सूक्ष्म सिंचाई सहित संवहनीय कृषि पर राष्ट्रीय मिशन ।
 - (iii) तिलहन तथा ताड़ तेल पर राष्ट्रीय मिशन ।
 - (iv) तकनीकी तथा कृषि विस्तार पर राष्ट्रीय मिशन ।
 - (v) औद्योगिकीकरण पर राष्ट्रीय मिशन ।

कृषि साख

- कृषि साख हेतु लक्ष्य ₹4,75,000 करोड़ से बढ़ाकर ₹5,75,000 करोड़ किये गये ।
- ₹3.00 लाख तक के फसली ऋणों के तुरन्त पुर्नभुगतान पर 3% ब्याज अनुदान जारी रहेगा ।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा फसली ऋण वितरण के लिये पृथक पुर्नवित्त कोष की स्थापना ।
- किसान क्रेडिट कार्डों का एटीएम सुविधा में उपयोग करने के लिये के लिये निर्धारित स्मार्ट कार्ड में रूपान्तरण ।
- परिव्ययों में 13% की ₹14,242 करोड़ की वृद्धि से त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम का रूपान्तरण ।
- वृहद स्तरीय सिंचाई योजनाओं के संसाधन बढ़ाने के लिये सिंचाई तथा जल संसाधन वित्त कम्पनी की स्थापना ।
- अतिरिक्त खद्यान्न भण्डारण सुविधा का सृजन ।

- खाद्य प्रसंस्करण के लिये राष्ट्रीय मिशन –शीर्षक पर केन्द्र द्वारा प्रायोजित खाद्य प्रसंस्करण की योजना।
- आरआईडीएफ के अर्न्तगत ₹20,000 करोड़ का आवंटन जिसमें से ₹5,000 करोड़ की धनराशि अतिरिक्त भण्डारण सुविधाओं के लिये।

बजट अनुमान

- सकल कर प्राप्तियां – ₹10,77,612 करोड़।
- शुद्ध कर प्राप्तियां – ₹7,71,071 करोड़।
- गैर कर राजस्व प्राप्तियां – ₹1,64,614 करोड़।
- कुल व्यय – ₹14,90,925 करोड़।
- राज्य सरकारों को हस्तान्तरण – ₹3,65,216 करोड़।
- सघउ (जीडीपी)का राजस्व घाटा 5.9% के सापेक्ष वर्ष 2011–12 में 5.1%.
- वित्तीय घाटे शुद्ध से आंतरिक उधार राशियां ₹ 4.79 लाख करोड़।

सहकारिता

आशा के विपरीत 2012 अन्तर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष होते हुये भी हमेशा की तरह बजट में सहकारिता क्षेत्र का कोई जिक्र तक नहीं किया गया है।

7. दीर्घकालीन सहकारी साख समितियों के लिये भारत सरकार के विचारार्थ प्रस्तुत किये सुझाव

फेडरेशन ने एआरडी बैंकों से सम्बन्धित 2012–13 के बनाये गये केन्द्रीय बजट के संदर्भ में निम्नांकित सुझाव भारत सरकार के विचारार्थ प्रस्तुत किये :-

1) दीर्घ कालीन ग्रामीण सहकारी साख संरचना के पुनरुद्धार पैकेज से सम्बन्धित मामले-

2008–09 में भूतपूर्व वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में वैद्यनाथन कार्यबल II की सिफारिशों पर आधारित दीर्घ कालीन ग्रामीण सहकारी साख संरचना के पुनरुद्धार पैकेज के कार्यान्वयन की घोषणा की थी। केन्द्रीय मंत्रि-मण्डल ने 26 फरवरी 2009 को अंतिम रूप से पैकेज दिये जाने का अनुमोदन भी कर दिया था। फिर भी, जैसा कि कुछ ही समय बाद ही ग्रीष्म काल में आम चुनाव की अधिसूचना जारी की गई, उक्त अनुमोदन कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकारों के पास अभी तक नहीं भेजा जा सका है। आम चुनाव के बाद वित्त मंत्रालय ने

पैकेज के क्रियान्वयन के लिये आगे कार्यवाही करने के स्थान पर श्री जी.सी चतुर्वेदी, जो उस समय अतिरिक्त सचिव (वित्त) भारत सरकार के पद पर कार्यरत थे, की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमण्डल द्वारा पूर्व में अनुमोदित पैकेज की समीक्षा के लिये एक दूसरा कार्यदल गठन कर दिया। चतुर्वेदी कार्यदल ने कुछ सूक्ष्म संशोधनों के बाद पैकेज दिये जाने को पृष्ठांकित करते हुये अपना प्रतिवेदन फरवरी 2010 में प्रस्तुत कर दिया। इसके बाद राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों के राष्ट्रीय फेडरेशन को यह सूचित कर दिया गया कि वित्त मंत्रालय, केन्द्रीय मंत्रि मण्डल के अनुमोदन के उपरान्त पैकेज को अंतिम रूप देने हेतु आगे की कार्यवाही कर रहा है। मामला वित्त मंत्रालय में बिना किसी प्रगति के अभी भी लम्बित है।

पैकेज के दिये जाने को अंतिम रूप देने तथा क्रियान्वयन में विलम्ब से दीर्घ कालीन सहकारी साख संरचना की संस्थायें निरन्तर कमजोर होती जा रही हैं। 31.03.2010 को इन संस्थाओं को कुल ₹45209 करोड़ की हानि उठानी पड़ी। प्रत्यक्ष ऋण, ब्याज में अपेक्षित कारोबारी तथा जोखिम लागत के अन्तर को बिना सम्मिलित किये नियंत्रित ब्याज को लागू करना, ऋण माफी योजनाओं के लागू करने से हुई हानियाँ तथा किसान पर पड़ने वाली आपदाओं के कारण उनके बकाया आदि दीर्घ कालीन सहकारी साख संरचना में होने वाली हानियों के प्रमुख कारण हैं। उक्त कारणों से दीर्घ कालीन साख संरचना में व्याप्त कमजोरियों के साथ वैद्यनाथन कार्यदल—II पुनरुद्धार पैकेज के क्रियान्वयन में अनपेक्षित विलम्ब के फलस्वरूप किसानों को निवेश साख की उपलब्धता में तेजी से गिरावट आयी है। लगभग 138 लाख ग्रामीण परिवार जिन्होंने निवेश ऋण एआरडीबैंकों से प्राप्त किया है, संरचना में आयी कमियों के कारण अब निरन्तर वित्तीय सहायता पाने से वंचित हैं। वे अन्य दूसरी संस्थाओं से ऋण सुविधा पाने में असमर्थ हैं क्योंकि उनकी भूमि दीर्घकालीन साख संरचना की संस्थाओं के पक्ष में बन्धक हैं। पैकेज के क्रियान्वयन में विलम्ब, जो कि सरकार के 2008—09 के बजट में घोषित किया गया था तथा अंतिम रूप से मंत्रिमण्डल द्वारा दिनांक 26 फरवरी 2009 को अनुमोदित किया गया था, वित्तीय तथा संस्थागत संरचना की कमजोरियों की पहचान कर पाने तथा किसानों के एक बहुसंख्यक वर्ग, जिसमें अधिकांश लघु एवं सीमान्त कृषक हैं, को साख संकट के साथ बहुमूल्य समय की बरबादी के रूप में परिलक्षित हुआ। अतः सरकार को एलटीसीसी के लिये पुनरुद्धार पैकेज कार्यान्वयन में शीघ्र ही कदम उठाने चाहिये।

2) एससीएआरडी बैंकों के लिये फसली ऋण पर ब्याज अनुदान योजना को बढ़ाना

वे किसान जो दीर्घकालीन सहकारी साख संरचना (राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंको/प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों) से भूमि की प्रतिभूति के आधार पर निवेश ऋण

प्राप्त करते रहे हैं, सामान्यतौर पर दूसरे बैंको से फसली ऋण नहीं ले पा रहे हैं। चूंकि इसने लगभग 135 लाख किसानों को प्रभावित किया है, 2007-08 से नाबार्ड एससीएआरडी बैंकों को अपने सदस्यों को फसली ऋण उपलब्ध कराने के लिये पुर्नवित्त प्रदान करता आ रहा है। यद्यपि वर्तमान चालू वर्ष से नाबार्ड ने ये उल्लेख करते हुए कि भारत सरकार की ब्याज अनुदान योजना सुविधा दीर्घ कालीन सहकारी साख समितियों (एससीएआरडी बैंकों तथा पीसीएआरडी बैंकों) के लिये नहीं है, बन्द कर दी है।

फेडरेशन ने यह मामला भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया है कि उन किसानों को भी फसली ऋणों पर ब्याज अनुदान योजना का लाभ दिया जाये जिन्होंने फसली ऋण एआरडी बैंकों से प्राप्त किया है।

यद्यपि एआरडी बैंकों को भी फसली ऋणों पर ब्याज अनुदान योजना की परिधि में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में शीघ्र निर्णय लिये जाने के लिये आश्वस्त किया गया था, किन्तु मामला अभी तक वित्त मंत्रालय में लम्बित है जिससे चालू वर्ष में एआरडी बैंक अपने सदस्यों को फसली ऋण नहीं दे पा रहे हैं। अतः सरकार फसली ऋणों पर ब्याज अनुदान की सुविधा उन किसानों को भी उपलब्ध कराने पर यथा शीघ्र निर्णय ले जिन्होंने एआरडी बैंकों से फसली ऋण प्राप्त किया है।

3) किसानों को निवेश साख के लिये ब्याज दर:-

भारत सरकार ने किसानों को फसली ऋण की सुविधा 7% ब्याज पर दिये जाने के साथ त्वरित भुगतान करने वाले किसानों को 3% अतिरिक्त ब्याज अनुदान का लाभ देने के लिये कदम उठाये हैं। अल्पकालीन ऋणों पर प्रभावी ब्याज दर 4% की निचली दर पर आ गई है। यद्यपि निवेश साख पर किसानों के लिये ऊँची ब्याज दर अभी भी चिन्ता का विषय है। वर्तमान में नाबार्ड बैंको को ऋण वितरण करने के लिये दिये जाने वाले कोष पर 10% की दर से ब्याज लेता है। इस दर पर मिले कोष पर किसानों को निवेश साख पर न्यूनतम 14% ब्याज देना पड़ता है। इसके अतिरिक्त सरकार ने निवेश साख में त्वरित भुगतान करने वाले ऋणी सदस्यों को 3% ब्याज अनुदान का लाभ भी नहीं दिया है। अतएव निवेश साख पर देय ब्याज अल्पकालीन कृषि ऋणों पर देय ब्याज से तीन गुना अधिक है। ये कृषि क्षेत्र में निवेश ऋणों को सर्वाधिक हतोत्साहित करने वाला है, उस समय जब कि कृषि में वृहद उत्पादकता तथा उत्पादन पाने के लिये पूँजी निर्माण किया जाने की उच्चतम प्राथमिकता है।

अतः सरकार से अनुरोध है कि इस समस्या के निदान के लिये निम्नांकित कदम उठाये:-

1. नाबार्ड के स्तर पर आरआईडीएफ – जिसके एक भाग का उपयोग कृषि ऋण वितरण में गिरावट आने पर वाणिज्यिक बैंको द्वारा किया जाता है, के सदृश एक पृथक कोष सृजित किया जाये जिससे निवेश साख के लिये बैंकों को पुर्नवित्त दिया जा सके। इससे नाबार्ड के स्तर पर कोषों में तथा पुर्नवित्त पाने वाले बैंकों की लागत में कमी आयेगी।
2. भारत सरकार निवेश साख के त्वरित ऋण भुगतान करने वाले लाभार्थियों को भी 3% का अतिरिक्त ब्याज अनुदान लाभ प्रदान करा सकती है।

4. नाबार्ड की पुर्नवित्त नीति

नाबार्ड की स्थापना कृषि ऋण के लिये सहकारी ग्रामीण साख की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये की गई थी। दुर्भाग्य से नाबार्ड आज अपने उस अधिदेश का पालन नहीं कर रहा है। वर्तमान में कृषि साख के लिये 70% से अधिक संसाधन सहयोग वाणिज्यिक बैंको की ओर ही जा रहा है जिनमें से अधिकांश अपने निजी स्रोतों से अपेक्षित कृषि के लिये ऋण वितरण के क्षेत्र में बड़े घाटे पर हैं। अपने संसाधनों के भाग को कृषि ऋण हेतु वाणिज्यिक बैंको का, जो अधिकांशतः निचले स्तर पर अतिरिक्त ऋण प्रवाह में सफल नहीं हैं, को आवंटित करने में नाबार्ड न्यायोचित नहीं है। वाणिज्यिक बैंक वस्तुतः अन्य कोषों का उपयोग कृषि क्षेत्र में ऋण वितरण करने के स्थान पर अपने सामयिक तरलता के अन्तर को पूरा करने के लिये करते हैं। अतः भारत सरकार नाबार्ड को केवल उन्हीं वाणिज्यिक बैंको को अपने कोष देने हेतु निदेशित करें जिन्होंने कृषि हेतु अपेक्षित न्यूनतम सीमा से अधिक ऋण वितरण किया हो। उसी प्रकार, प्रत्येक वर्ष नाबार्ड के 50% कोष सहकारी क्षेत्र के बैंकों को दिये जाये।

5. नाबार्ड के प्रबन्ध संचालन में ग्रामीण सहकारी साख संरचना का प्रतिनिधित्व

नाबार्ड के अधिनियम में सहकारी क्षेत्र के प्रतिनिधि को प्रबन्ध संचालन समिति में सम्मिलित किये जाने का प्राविधान है। यह आवश्यक है कि सरकार उपर्युक्त वर्णित अधिनियम के प्राविधान के अनुरूप सहकारी ग्रामीण साख व्यवस्था, अल्प एवं दीर्घ कालिक व्यवस्था के प्रतिनिधियों को नाबार्ड की नीतियों के खुलासा करने हेतु सहकारी ग्रामीण साख संरचना की भागीदारी तथा संलिप्तता को सुनिश्चित करने के लिये प्रबन्ध संचालक मण्डल में नियुक्त करे।

6. कृषि तथा ग्राम्य विकास बैंकों (एआरडी बैंकों) के निक्षेपियों को आयकर में प्रलोभन/ छूट

दीर्घ कालीन साख संरचना द्वारा अपने सदस्यों से जमा कराये गये समस्त निक्षेपों का उपयोग निवेश साख देने में प्रयुक्त किया जाता है जिससे ग्रामीण क्षेत्र तथा कृषि क्षेत्र में पूँजी निर्माण फलीभूत होता है, फिर भी ये निक्षेप आय कर अधिनियम की धारा 80सी के अन्तर्गत, जैसा कि वाणिज्यिक बैंको में जमा निक्षेपों पर प्रभावी होता है, छूट के पात्र नहीं होते। सरकार से अनुरोध है कि दीर्घ कालीन साख संरचना के माध्यम से जमा निक्षेपों पर आयकर अधिनियम की धारा 80सी के अन्तर्गत आयकर छूट दिये जाने के पात्रता सुनिश्चित कराये।

7. एआरडी बैंकों को पूर्ण बैंक में परिवर्तित करने हेतु मापदण्ड

वर्तमान में एआरडी बैंक बैंकिंग रेग्यूलेशन एक्ट 1949 के अन्तर्गत बैंकिंग संस्थान नहीं हैं। परिणामस्वरूप एआरडी बैंक सार्वजनिक निक्षेप जमा कार्य करते हुये अन्य ग्रामीण वित्तीय संस्थानों की तरह अपने सदस्यों की वित्तीय ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकते। कपूर समिति की संस्तुतियों (1999) के आधार पर एआरडी बैंको को सम्पूर्ण बैंक में परिवर्तित करने के लिये भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2001 में एआरडी बैंकों को बैंकिंग लाइसेन्स देने हेतु मापदण्ड विकसित करने लिये एक समिति गठित की। यद्यपि उक्त समिति बिना कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किये ही बाद में भंग कर दी गई। वैद्यनाथन कार्यदल— II ने अपने प्रतिवेदन में उल्लेख किया है कि 'आज की तिथि में अथवा भविष्य में इस संरचना की कोई संस्था बैंकिंग लाइसेन्स प्राप्त करने की निर्धारित आवश्यक शर्तें पूरी करती है तो बैंको का नियामक श्रेष्ठता के आधार पर इस पर विचार कर सकता है। यद्यपि भारतीय रिज़र्व बैंक ने एआरडी बैंको को बैंकिंग लाइसेन्स पाने के लिये आवश्यक शर्तें अभी तक निर्धारित नहीं की हैं। अतः भारतीय रिज़र्व बैंक को ऐसे मापदण्ड जिससे पात्र एआरडी बैंकों को बैंकिंग लाइसेन्स प्रदान किये जाने हेतु, जिसकी संस्तुति वैद्यनाथन समित कार्यदल— II द्वारा की गई है, को विकसित करने की आवश्यकता है।

8) नाबार्ड के महत्वपूर्ण परिपत्र

एग्रीकल्चरल तथा एग्रीबिजनेस सेण्टर स्कीम (एसीएबीसी)

नाबार्ड ने अपने परिपत्रांक एनबी.आईसीडी / एसीएबीसी-4 / 2011-12 दिनांक 2 अगस्त 2011 के द्वारा एसीएबीसी योजना के मार्ग निर्देश उद्यनांकित कर दिये हैं। योजना बेरोजगार कृषि स्नातकों, कृषि के डिप्लोमा प्राप्त व्यक्तिया, कृषि में इण्टर उत्तीर्ण छात्रों तथा तथा कृषि से सम्बन्धित विषय में परस्नातक वे छात्र जिन्होंने जीव विज्ञान विषय के साथ स्नातक किया है, के लिये लाभप्रद स्वरोजगार के अवसर सृजन पर केन्द्रित है।

कुक्कुट पालन उद्यम पूँजी कोष (अनुदान)

नाबार्ड ने अपने परिपत्रांक एनबी.आईसीडी जीएसएस / 858 / पीवीसीएस – 4 / 2011-12 दिनांक 21 जुलाई 2011 द्वारा कुक्कुट पालन उद्यम पूँजी कोष योजना को संशोधित कर दिया है। पूर्व प्रसारित कुक्कुट पालन उद्यम पूँजी कोष की योजना में लाभार्थी को ब्याज मुक्त ऋण (आईएफएल) दिया जाता था जिसे 31 मार्च 2011 को बन्द कर दिया गया है। संशोधित योजना निम्नांकित संशोधनों सहित 1 अप्रैल 2011 से प्रभावी है:-

विषय	कुक्कुट पालन उद्यम पूँजी कोष (IFL)	कुक्कुट पालन उद्यम पूँजी कोष(अनुदान)
बढ़ाया गया सहयोग	ब्याज मुक्त ऋण- परिव्यय का 50%	पूँजी अनुदान-परिव्यय का 25% (33.33% अनुसूचित जाति/जनजाति के उद्यमियों तथा सिविकम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लिये)
ब्याज अनुदान	नियमित खातों के मामलों ब्याज के 50% की प्रतिपूर्ति	कोई ब्याज अनुदान नहीं
नये संघटक	—	व्यवसायिक अण्डा देने वाली मुर्गियां तथा ब्राइलर के 5000 यूनिटपक्षी तक कुक्कुट की अन्य प्रजातियों का पालन पोषण, कुक्कुट उत्पादों के लिये शीतगृह। बड़ी प्रसंस्करण इकाइयां, ईएमयू प्रसंस्करण इकाइयां, पंख प्रसंस्करण इकाइयां, जिसमें तकनीक का उच्चीकरण सम्मिलित है।
ब्याज मुक्त ऋण (आईएफएल) अनुदान लाभ अर्जन	प्रोजेक्ट की स्वीकृति बैंक को करनी है तथा नाबार्ड से ब्याज मुक्त ऋण के ब्याज मुक्त ऋण (आई एफएल) की स्वीकृति तथा मोचन हेतु सम्पर्क करना है। बैंक तथा आई एफएल एक साथ अवमुक्त हो।	बैंक को ऋण की पहली किस्त की स्वीकृति एवं भुगतान करने के बाद नाबार्ड से उपयुक्त अनुदान की स्वीकृति तथा भुगतान हेतु सम्पर्क करना होगा।
ऋण अदायगी	ऋणी सदस्य से ब्याज मुक्त ऋण का ऋण अदायगी होने के बाद धनराशि नाबार्ड को यथानुपात आधार पर भेजनी होगी।	नाबार्ड को कोई ऋण अदायगी नहीं बैंक एन्डेड पूँजी अनुदान का समायोजन अन्त में।

एससीएआरडी बैंकों के लिये निवेश पोर्टफोलियो तथा संशोधित निवेश नीति

नाबार्ड ने निवेश पोर्टफोलियो के निष्कर्ष निकाले जो 6 एससीएआरडी बैंकों के अध्ययन पर आधारित हैं, अपने परिपत्रांक एनबी.डीओएस.एचओ.पीओएल / 3582 / जे-1 / 2011-12 दिनांक 11 नवम्बर 2011 तदनु रूप परिपत्रांक एनबी.डीओएस.एचओ.पीओएल / 3510 / जे-1 / 2011-12 दिनांक 1 दिसम्बर 2011 द्वारा एससीएआरडी बैंको के लिये संशोधित निवेश नीति जिस पर 30 जनवरी 2012 को मुम्बई में सम्पन्न फेडरेशन की 135वीं प्रबन्ध समिति की बैठक में विचार विमर्श किया गया।

एससीएआरडी बैंको का स्वैच्छिक निरीक्षण-पर्यवेक्षी मूल्यांकन का सम्प्रेषण

नाबार्ड ने अपने परिपत्र संख्या एनबी.डीओएस. एचओ.पीओएल/4260/जे-1/2011-12 दिनांक 31जनवरी 2012 द्वारा यह स्पष्ट किया है कि यद्यपि नाबार्ड एससीएआरडी बैंकों का स्वैच्छिक निरीक्षण प्रत्येक वर्ष संचालित करा रहा है, उनके परिणाम नाबार्ड, राज्य सरकार, दूसरी वित्त पोषण करने वाली संस्थाएँ तथा इसके अतिरिक्त सहित खुद एससीएआरडी बैंक भी अनेक अंश धारकों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। एससीएआरडी बैंको की पर्यवेक्षी मूल्यांकन की प्रणाली, सम्पूर्ण वित्तीय स्थिति तथा कार्य सम्पादन की क्षमता सम्बन्धित बैंक को उचित व्यावसायिक निर्णय लेने में सहायक हो सकती है। पर्यवेक्षी मूल्यांकन नाबार्ड द्वारा एससीएआरडी बैंकों के उच्चस्तरीय बैंक प्रबन्धन को उनकी अपनी कार्यक्षमता में सुधार लाने हेतु कड़ी गोपनीयता के साथ भेजी जायेगी। पर्यवेक्षी मूल्यांकन बाद में नाबार्ड को पुनर्वित्त की पात्रता तथा मात्रा का आधार भी सुनिश्चित करेगा।

एससीएआरडी बैंकों के लिये निवेश नीति

नाबार्ड मुम्बई, ने अपने परिपत्रांक एनबी. डीओएस. एचओ.पीओएल/3510/जे-1/2011-12 दिनांक 1दिसम्बर 2011द्वारा एससीएआरडी बैंको के अनुसरण करने हेतु निवेश नीति के लिये विस्तृत दिशा निर्देश प्रसारित किये हैं। नाबार्ड की एससीएआरडी बैंकों के लिये जारी दिशा निर्देश की मुख्य बातें निम्नवत् हैं :-

1. प्रत्येक एससीएआरडी बैंक की प्रबन्ध समिति द्वारा अनुमोदित जिसमें-(अ) निवेश बनाने वाले प्राधिकारी, (ब) उचित प्राधिकारी से स्वीकृति लिये जाने हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया (स) चातुर्यपूर्ण प्रदर्शन सीमा तथा (द) सूचना प्रणाली को परिभाषित करती एक निवेश नीति होनी चाहिये। बैंक को अपने निवेश नीति की समीक्षा कम से कम तीन वर्ष में एक बार अवश्य करनी चाहिये तथा नीति गत अभिलेखों में उपयुक्त परिवर्तन करने चाहिये।
2. एक निवेश समिति हो जो समय समय पर बैंक के कोषों की स्थिति की समीक्षा करे अस्थायी अधिशेष कोषों के निवेश पर निर्णय ले। निवेश समिति निम्नांकित सदस्यों की गठित की जा सकती है :-
 - (i) प्रबन्ध निदेशक/महा प्रबन्धक
 - (ii) महा प्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक-वित्त एवं लेखा
 - (iii) महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक -प्रभारी ऋण
 - (iv) उपमहाप्रबन्धक नियोजन एवं विकास

3. एससीएआरडी बैंक सामान्यतया अपने अल्प कालिक अधिशेष कोष वाणिज्यिक बैंकों अथवा राज्य सहकारी बैंकों के सावधि जमा खातों में एकत्रित करते हैं। वे इन कोषों का निवेश सकार तथा न्यासी प्रतिभतियों में कर सकते हैं जो या तो प्रत्यक्ष रूप से अथवा प्राथमिक डीलरों द्वारा किया जायेगा। दलाल अनुबन्धित नहीं किये जाने चाहिये। एससीएआरडी बैंकों को म्यूचुअल फण्ड/साझा कोष में निवेश नहीं करना चाहिये। नाबार्ड के परिपत्र दिनांक 18 जनवरी 1993 में दी गई ऋण शोधन निधि के निवेश के तरीके का कड़ाई से अनुपालन किया जाये।
4. प्रबन्ध समिति/बैंक की निवेश नीति स्पष्ट रूप से विभिन्न बैंकों में सावधि जमा सहित निवेश की विवेकपूर्ण सीमा निर्धारित करें।
5. सभी निवेश पुस्तकीय मूल्य पर अंकित किये जाने चाहिये तथा उन्हें बैंक के सन्तुलन पत्र में दिखाया जाना चाहिये। निवेश की नियतकालिक सत्यापन की व्यवस्था होनी चाहिये तथा ऐसे अधिकारी द्वारा जो निवेश की अभिरक्षा से सम्बद्ध न हो, से नियतकालिक सत्यापन कराया जाना चाहिये।
6. निवेश पर बैंक में तैयार करायी गई विस्तृत सूचना प्रबन्ध समिति के सदस्यों की समीक्षा हेतु उनके समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिये। प्रबन्ध समिति की समीक्षा टिप्पणी आरसीएस/नाबार्ड के पास छमाही आधार पर अर्थात् 30 सितम्बर एवं 31 मार्च को भेजी जानी चाहिये। छमाही समीक्षा रिपोर्ट नाबार्ड के पास 30 नवम्बर तथा 31 मई को प्रस्तुत की जानी चाहिये।

एससीएआरडी बैंको के लिये पूँजी पर्याप्तता मानक का आरम्भ

नाबार्ड ने अपने परिपत्र संख्या 38.डीओएस.06/2012 दिनांक 15 नवम्बर 2012 के द्वारा सूचित किया है कि एससीएआरडी बैंको के लिये पूँजी पर्याप्तता के मानक 31 मार्च 2012 के सन्तुलन पत्र की तिथि से लागू किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित CRAR संरचना में, सन्तुलन पत्र में अंकित सभी परिसम्पत्तियों को भार निर्दिष्ट होगा तथा बैंक को अपने पूँजी कोष के अनुपात की गणना कुल जोखिम भार युक्त परिसम्पत्तियों के सापेक्ष करनी होगी।

टायर – 1 पूँजी कोश में प्रदत्त अंश पूँजी, विबन्ध आरक्षित निधियाँ तथा पूँजी संसाधन जो परिसम्पत्तियों के विक्रय से हुई आय से अधिशेष निधि में वृद्धि को इंगित करेगा, सम्मिलित होगी।

टायर – 2 पूँजी निम्नांकित मदों से बनेगी:—

1. गोपनीय आरक्षित निधियां—जो किसी ज्ञात दायित्व से बंधित नहीं हैं।

2. पुर्नमूल्यांकन की आरक्षित निधियां जो परिसम्पत्तियों के पुर्नमूल्यांकन से उत्पन्न होती हैं। ये बैंक की लेखा पुस्तकों में अवमूल्यित होती हैं यथा—बैंक परिसर, विक्रेय प्रतिभूतियां।
3. सामान्य प्रावधान तथा हानि की आरक्षित निधियां जो किसी निर्धारित सम्भावित हानि के लिये उत्तरदायी नहीं हैं।
4. निवेश उच्चावचन आरक्षित निधियाँ।

IV. 2011-12 के दौरान सदस्य बैंकों के क्रियाकलापों की समीक्षा

अ. ऋण वितरण

वर्ष 2011-12 में 15 एससीएआरडी बैंकों द्वारा गत वर्ष ₹3590.24 करोड़ के सापेक्ष ₹3893.66 करोड़ के वितरित ऋण किये गये। पश्चिम बंगाल तथा हिमांचल प्रदेश से कोई आंकड़े प्राप्त नहीं हुये। मुख्य रूप से केरल (42.00%), गुजरात (24.55%), मध्य प्रदेश (>100%) तथा जम्मू एवं कश्मीर (झ100%) द्वारा बेहतर योगदान के कारण ऋण वितरण में वृद्धि परिलक्षित हुई। छत्तीसगढ़ (86.80%), त्रिपुरा (37.21%) तथा राजस्थान (8.45%) में ऋण वितरण में गिरावट आयी। समस्त बकाया ऋण अंतिम ऋण अदाकर्ता के स्तर पर गत वर्ष 2010-11 में ₹11880.96 (13 राज्यों) करोड़ के सापेक्ष वर्ष 2011-12 में ₹11364.03 करोड़ (13 राज्यों में) थी।

ब. उधारग्रहीता

19 एससीएआरडी बैंकों (असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमांचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, महाराष्ट्र तथा उड़ीसा की शून्य उधारग्रहीता) में से 10 बैंकों की उधारग्रहीता गतवर्ष 2010-11 में ₹2729.45 के सापेक्ष वर्ष 2011-12 के दौरान ₹2931.47 करोड़ थी जो गत वर्ष की तुलना में ₹202.02 करोड़ अर्थात् 7.40% हैं। पश्चिम बंगाल ने कोई आंकड़े नहीं उपलब्ध कराये। एससीएआरडी बैंकों द्वारा संचित कुल धनराशि में नाबार्ड के पुर्नवित्त का हिस्सा ₹2333.04 करोड़ आंकलित है जो वर्ष 2011-12 में 79.59% है। जब केरल (32.47%), पंजाब (27.96%) तथा मध्य प्रदेश (40.30%) ने चालू वर्ष में उधारग्रहीता में वृद्धि हांसिल की, कर्नाटक (2.61%), हरियाणा (4.65%), तमिलनाडु (21.86%) तथा उत्तरप्रदेश (15.86%) में गिरावट आयी। एससीएआरडी बैंक राजस्थान तथा पाण्डचेरी में अत्यल्प गिरावट थी। 16 एससीएआरडी बैंको का 31 मार्च 2011 के उधार शेष ₹14346.59 करोड़ के सापेक्ष 31 मार्च 2012 को ₹14321.44 करोड़ था। उधार शेष में

गिरावट के लिये मुख्य रूप से जिम्मेदार गुजरात (28.35%), उत्तर प्रदेश (20.38%) तथा मध्य प्रदेश (15.44%) बने जबकि पाण्डिचेरी (31.57%) तथा हरियाना (23.81%) के संदर्भ में वृद्धि पायी गई।

स. जमा संग्रहण

2011-12 के दौरान 13 एससीएआरडी बैंकों ने ₹348.67 करोड़ संग्रह किया जब कि गत वर्ष 2010-11 में (14 एससीएआरडी बैंकों द्वारा) ₹223.92 करोड़ संग्रहीत किया गया था। निक्षेप शेष 31 मार्च 2011 में ₹527.42 करोड़ के सापेक्ष 31 मार्च 2012 को ₹576.12 करोड़ था।

द. वित्तीय कार्य प्रदर्शन

19 एससीएआरडी बैंकों में से केवल 10 एससीएआरडी बैंकों ने आंकड़े उपलब्ध कराये हैं। 10 एससीएआरडी बैंकों में से 5 एससीएआरडी बैंकों ने लाभ प्रतिवेदित किया है जबकि 5 एससीएआरडी बैंक—जम्मू एवं कश्मीर, पाण्डिचेरी उड़ीसा, त्रिपुरा तथा उत्तर प्रदेश ने हानि प्रतिवेदित की हैं। 5 एससीएआरडी बैंकों का कुल लाभ ₹76.97 करोड़ तथा 5 एससीएआरडी बैंकों की हानि ₹249.59 करोड़ हुई।

ई. गैर निस्पादित अस्तियाँ

13 एससीएआरडी बैंको ने 2011-12 के आंकड़े उपलब्ध कराये हैं। 31 मार्च 2012 को कुल बकाया ऋण ₹15121.16 करोड़ में से ₹4103.63 करोड़ एनपीए है जो कुल बकाया ऋण का 27.14% है जब कि 31 मार्च 2011 को (16 एससीएआरडी बैंकों) कुल बकाया ऋण 28.26% था।

फ. वसूली निष्पादन

अंतिम ऋणी सदस्यों के स्तर पर वार्षिक वसूली प्रगति जून—जुलाई अवधि के लिये तैयार किया जाता है। जैसा कि 30 जून 2012 को प्रगति रिपोर्ट को अन्तिम रूप देने के समय सरलता से उपलब्ध नहीं था, 30 जून 2011 की स्थिति पर विचार किया जाना है। एआरडी बैंकों के निचले स्तर की 2010-11 (30 जून 2011)के अवधि की मांग ₹10385.17 करोड़ थी जिसके विरुद्ध ₹4699.44 करोड़ वसूली की गई जो कुल मांग का 45.25% है जबकि गतवर्ष 30 जून 2010 को 40.44% कुल वसूली हुई थी। अंतिम ऋणी सदस्य स्तर का वसूली प्रतिशत 7 बैंकों यथा हिमांचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, पाण्डिचेरी, पंजाब, त्रिपुरा तथा उत्तर प्रदेश के संदर्भ में 50% से अधिक था जबकि 40% से 50% की श्रेणी में छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल थे। सबसे खराब वसूली बिहार की थी जो केवल इकाई अंक में थी।

ज. सामान्य सूचनायें

प्रतिवेदित वर्ष में 19 एससीएआरडी बैंकों की संरचनात्मक स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। संघीय तथा एकात्मक एससीएआरडी बैंक अभी भी क्रमशः 10 और 7 एवं अवशेष 2 सम्बद्ध प्राथमिक एससीएआरडी बैंक के साथ साथ उसकी शाखायें वाले मिश्रित संरचनात्मक स्वरूप के बैंक की संख्या में पूर्ववत् थे। एकात्मक संचना के एससीएआरडी बैंक 31 मार्च 2012 तक अपनी 761 शाखाओं के माध्यम से कार्य कर रहे थे। संघीय स्वरूप में 714 प्राथमिक सीएआरडी बैंक परिणामस्वरूप जिनकी 819 शाखायें 31 मार्च 2012 को थीं। 31 मार्च 2012 को 9 एससीएआरडी बैंकों की सदस्य संख्या 72.06 लाख थी जिसमें से 45.72 लाख ऋणी सदस्य थे। जब कि 9 एससीएआरडी बैंकों की 31 मार्च 2012 को निर्वाचित प्रबन्ध समिति थी, 7 एससीएआरडी बैंकों की निर्वाचित प्रबन्ध समिति नहीं थी। 3 एससीएआरडी बैंकों ने इस सम्बन्ध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई। प्राथमिक एससीएआरडी बैंक स्तर पर, 31 मार्च 2012 को 286 पीसीएआरडी बैंकों (6 एससीएआरडी बैंको) के निर्वाचित प्रबन्ध मण्डल थे। इस सम्बन्ध में संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है:—

क्रम सं.	विवरण	2011-12	2010-11
1.	एससीएआरडी बैंको की संख्या (संघीय स्वरूप)	10	10
2.	एससीएआरडी बैंको की संख्या (एकात्मक स्वरूप)	7	7
3.	मिश्रित संरचना स्वरूप वाले एससीएआरडी बैंको की संख्या	2	2
4.	एससीएआरडी बैंको की शाखाओं संख्या (एकात्मक स्वरूप)	761	761
5.	एससीएआरडी बैंको की शाखाओं की संख्या (संघीय स्वरूप)	714	701
6.	पीसीएआरडी बैंको की शाखाओं संख्या (संघीय स्वरूप)	819	1086
7.	कुल सदस्य संख्या (लाखों में)	72.06	132.13
8.	मद सं. 7 में से ऋणी सदस्यों की संख्या (लाखों में)	45.72	76.89
9.	निर्वाचित प्रबन्ध समिति वाले एससीएआरडी बैंकों की संख्या	9	11
10.	निर्वाचित प्रबन्ध समिति वाले पीसीएसीएआरडी बैंकों की संख्या	286	382
11.	एससीएआरडी बैंकों में कर्मचारियों की संख्या	5466	6937
12.	पीसीएआरडी बैंकों में कर्मचारियों की संख्या	5197	9853

V. नियोजन अनुसंधान एवं विकास (पीआरडी) सेल से सम्बन्धित कार्यक्रम

फेडरेशन ने भारत सरकार कृषि मंत्रालय से सहायता अनुदान के माध्यम से वित्तीय सहायता के साथ विशिष्ट अनुसंधान एवं विकास कार्यों के लिये नियोजन अनुसंधान एवं विकास सेल की स्थापना वर्ष 1973 में की थी। पीआरडी सेल ने चालू वर्ष में निम्नांकित क्रिया कलाप सम्पादित किये हैं :-

(अ). सम्मेलन / संगोष्ठियां / कार्यशालायें

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की स्थायी समिति की बैठक दिनांक -24 जून 2011

आयोजन स्थल - उदयपुर, राजस्थान

राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों (एससीएआरडी बैंक) के सदस्य बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की बैठक एससीएआरडी बैंको की कार्य योजना पर विचार करने तथा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों (एससीएआरडी बैंको के) पुनरुद्धार पैकेज प्राप्ति हेतु तैयारी पर आयोजित आंचलिक संगोष्ठी के सुझावों के क्रियान्वयन हेतु उदयपुर, राजस्थान में सम्पन्न हुई। बैठक में एससीएआरडी बैंको के पुनरुद्धार पैकेज प्राप्ति हेतु तैयारी हेतु सम्पन्न आंचलिक संगोष्ठी की संस्तुतियों के आलेख को अन्तिम रूप दिया गया तथा उसे सभी को वितरण हेतु मुद्रित कराया गया।

2. राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों (एससीएआरडी बैंकों) के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की बैठक

तिथि-5 नवम्बर 2011

आयोजन स्थल-नवी मुम्बई

राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों (एससीएआरडी बैंक) के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की बैठक इस क्षेत्र के निम्नांकित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श हेतु दिनांक 5 नवम्बर 2011 को नवी मुम्बई में सम्पन्न हुई।

- i) ऋण व्यवस्था का प्रारम्भ।
- ii) राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों द्वारा जमा संग्रहण।
- iii) संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित अन्तर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष 2012 के उत्सव आयोजन की योजना।

नाबार्ड के महाप्रबन्धक (आई.सी.डी) श्री निरंजन दास ने बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया और उन्होंने नाबार्ड से पुर्नवित्त प्राप्ति हेतु ऋण व्यवस्था पर अपने विचार प्रस्तुत किये। 9 राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों ने बैठक में प्रतिनिधित्व करते हुये अपने आख्या पत्र प्रस्तुत किये। बैठक में नाबार्ड की वर्तमान पुर्नवित्त नीति तथा निहितार्थ के कारण उत्पन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में एआरडी बैंकों द्वारा सदस्यों से जमा संग्रहण हेतु योजनाओं को भी अंतिम रूप दिया गया।

3. निवेश प्रबन्धन तथा परिसम्पतियां दायित्व प्रबन्धन (ए.एल.एम.) प्रणाली पर कार्यशाला

तिथि- 22-24 फरवरी 2012

आयोजन स्थल-मैंगलौर

एससीएआरडी बैंकों तथा चयनित पीसीएआरडी बैंकों के लिये निवेश प्रबन्धन तथा परिसम्पतियां दायित्व प्रबन्धन (ए.एल.एम.) प्रणाली पर पहली कार्यशाला फेडरेशन तथा बर्ड-मैंगलौर के संयुक्त तत्वावधान में दिनांक 22-24 फरवरी को मैंगलौर में आयोजित की गई। कुल 23 प्रतिभागियों जिनमें 5 एससीएआरडी बैंकों तथा केरल, कर्नाटक, राजस्थान, गुजरात राज्यों एवं पाण्डिचेरी (केन्द्र शासित प्रदेश) से चयनित पीसीएआरडी बैंकों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। फेडरेशन के अध्यक्ष श्री के. शिवदासन नायर ने इस कार्यशाला का उद्घाटन किया तथा प्रबन्ध निदेशक श्री के.के.रविन्द्रन ने संसाधनों की समुचित व्यवस्था पर प्रतिभागियों को सम्बोधित किया। श्री वी आई गनेशन, वरिष्ठ सलाहकार फेडरेशन एवं श्री श्रीवासन, फैंकल्टी बर्ड मैंगलौर ने इस कार्यशाला का संचालन किया।

सहकारी बैंकिंग में हो रहे परिवर्तन तथा बदलते परिदृश्यों के कारण दीर्घ कालीन ढांचे के समक्ष आ रही अनेक चुनौतियों के परिप्रेक्ष्य में एससीएआरडी बैंकों तथा चयनित पीसीएआरडी बैंकों के लिये फेडरेशन ने इस कार्यशाला का आयोजन किया। एआरडी बैंकों द्वारा संसाधनों के संग्रहण पर दिशा परिवर्तन किया जाना बहुत महत्वपूर्ण रहा और इसलिये बैंको को अपने कोषों का प्रबन्धन करने हेतु समुचित निवेश प्रबन्धन तथा परिसम्पतियां दायित्व प्रबन्धन (ए.एल.एम.) प्रणाली को अपनाकर एक प्रभावशाली निवेश नीति से सँवारे जाने की बहुत आवश्यकता है।

फेडरेशन के अध्यक्ष ने अपने स्वागत भाषण में नाबार्ड के पुर्नवित्त में बाह्य सहयोग में कमी आने के कारण कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों द्वारा अतिरिक्त संसाधनों को युद्ध स्तर पर संग्रहित करने तथा सदस्यों से अंश पूंजी बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर जोर दिया। कार्यशाला में निवेश प्रबन्धन तथा परिसम्पतियां

दायित्व प्रबन्धन (ए.एल.एम.) की मौलिक अवधारणा को समुचित प्रबन्धन के एक प्रमुख साधन के रूप में आच्छादित किया।

(स) प्रकाशन

(अ) एआरडी बैंकों की मासिक प्रगति रिपोर्ट – फेडरेशन, बैंकों के कार्यों की समीक्षा करने तथा साख प्रवाह की सूचनायें भारत सरकार योजना आयोग आदि को उपलब्ध कराने हेतु मुख्य परिचालन क्षेत्रों से सम्बन्धित आकड़ों का मासिक आधार पर संकलन एवं प्रकाशन करता है। अप्रैल 2011 से फरवरी 2012 तक 11 संकलित मासिक रिपोर्ट, वर्ष 2011–12 के दौरान प्रकाशित की गई।

(ब) वार्षिक सांख्यिकी बुलेटिन में एससीएआरडी बैंकों तथा पीसीएआरडी बैंकों – जो एससीएआरडी बैंकों से सम्बद्ध हैं, के बारे में उनकी अंकेक्षित वित्तीय स्थिति संचालात्मक पहलुओं एवं परिचालन विवरण सम्बन्धी विस्तृत सूचनायें सम्मिलित हैं। वर्ष 2009–10 का बुलेटिन इस वर्ष प्रकाशित हो चुका है तथा वर्ष 2010–11 पूर्ण होने की स्थिति में है। सांख्यिकी बुलेटिन को विभिन्न संदर्भों में उपयोग हेतु अब कामपैक्ट डिस्क (सी.डी) के रूप में भी बनाया गया है।

(स) लैण्ड बैंक जर्नल का प्रकाशन लैण्ड बैंक जर्नल, फेडरेशन द्वारा पिछले पचास वर्षों से त्रैमासिक आधार पर नियमित रूप से प्रकाशित किया जा रहा है। फेडरेशन का ग्रामीण वित्त से सम्बन्धित सबसे पुराना प्रकाशन है। जर्नल में अनुसंधान लेख, कृषि, ग्रामीण साख एवं सहकारिता से सम्बन्धित सफलता की कहानियों के अतिरिक्त कृषि तथा सम्बद्ध कार्यों एवं इस क्षेत्र की ग्रामीण साख से सम्बन्धित सामान्य अभिरुचि की अन्य गतिविधियों के समाचार तथा रिपोर्ट आदि प्रकाशित किये जाते हैं। इस वर्ष तीन त्रैमासिक अंक अर्थात् जून 2011, सितम्बर 2011 तथा दिसम्बर 2011 के अंक प्रकाशित किये जा चुके हैं एवं मार्च 2012 प्रकाशन प्रक्रिया के अन्तर्गत है।

VI. वित्त एवं लेखा

परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों तथा आय एवं व्यय का वर्ष 2011-12 का लेखा परीक्षित सारांश निम्नानुसार है:-

परिसम्पत्तियां एवं दायित्व

(धनराशि ₹ लाख में)

क्रम संख्या	दायित्व	अंकित तिथि तक		क्रम संख्या	परिसम्पत्तियां	अंकित तिथि तक	
		31.3.12	31.3.11			31.3.12	31.3.11
1.	आरक्षित निधि एवं अन्य निधियां	1613.00	1525.21	1.	नकद एवं बैंक शेष	16.84	1.12
2.	सुरक्षित ऋण	945.93	2.04	2.	निवेश	2266.86	1221.76
3.	अन्य दायित्व एवं प्रावधान	66.99	153.86	3.	निश्चित परिसम्पत्तियां	255.97	266.28
4.	आय एवं व्यय खाते से अधिशेष का हस्तान्तरण	9.80	7.64	4.	विविध देनदार और प्राप्तियां	83.28	77.57
				5.	ऋण एवं अग्रिम	9.09	21.27
				6.	विविध जमा एवं पूर्वदत्त व्यय	3.68	3.11
				7.	अग्रिम एफबीटी	0.00	0.84
				8.	आय कर (A.Y.2009.10)	0.00	96.80
	योग	2635.72	1688.75		योग	2635.72	1688.75

आय एवं व्यय

क्रम सं.	विवरण	(धनराशि ₹ लाख में)	
		2011-12	2010-11
1.	वार्षिक सदस्य शुल्क	68.00	52.75
2.	बैंक खातों, चिन्हित की गई स्मारक निधियों तथा चिन्हित नहीं की गई जमा राशियों, आरक्षित निधि व विकास निधि पर ब्याज	74.61	55.13
3.	अंश धन पर लाभांश	0.15	0.15
4.	सदस्य बैंकों से अतिरिक्त अभिदान	20.66	23.38
5.	अतिथि गृह विविध आय/सेवा प्रभार	0.19	0.39
6.	भारत सरकार से सहायता अनुदान	16.00	9.00
7.	नाबार्ड/एनसीयूआई/एनसीडीसी से प्राप्त अनुदान	10.00	2.50
8.	अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों, विपरीत प्रावधानों आदि से आय/वसूली	0.00	3.49
	योग(1 से 8)	189.61	146.79
	व्यय		
1.	वेतन एवं भत्ते और भविष्य निधि	63.56	56.96
2.	संगोष्ठी/सम्मेलन/प्रशिक्षण कार्यक्रम/आंचलिक संगोष्ठियां	5.13	16.81
3.	यात्रा/वाहन व्यय/एल.एफ.सी.	10.72	6.72
4.	स्थिर सम्पत्तियों पर मूल्य ह्रास	10.57	11.52
5.	जरनल प्रकाशन कार्यों में हानि	0.69	0.94
6.	बैठक व्यय	4.50	0.40
7.	कार्यालय परिसर रखरखाव प्रभार एवं कर	8.18	7.63
8.	सदस्यता शुल्क एवं प्रत्यायोजन शुल्क	4.32	4.17
9.	डाक टिकट/टेलीग्राम व टेलीफोन/इन्टरनेट	3.19	2.68
10.	अतिथि गृह व्यवस्था व्यय	3.93	3.41
11.	पूर्व कालिक मद खाता	0.17	0.68
12.	मरम्मत एवं रखरखाव	2.45	2.57
13.	लेखन सामग्री, मुद्रण तथा प्रचार	3.09	5.05
14.	विधिक एवं संव्यावसायिक प्रभार	3.46	2.19
15.	बीमा	0.24	0.37
16.	जापान आपदा निवारण कोष में योगदान	0.93	0.00
17.	स्थापना एवं विविध व्यय	4.84	2.96
18.	प्रावधान		
i)	कर्मचारियों का आनुतोषिक (ग्रेच्युटी)	12.77	0.00
ii)	अवकाश नकदीकरण	7.82	0.29
iii)	व्यतिक्रमी (डिफाल्टेड) सदस्य बैंकों से मांग	0.00	2.11
iv)	बीडीडीआर	4.17	6.55
19.	आकस्मिकता आरक्षित निधि	0.00	5.06
20.	विशेष आकस्मिकता कोश	25.00	0.00
21.	आयकर	0.08	0.07
	योग (1 से 21)	179.81	139.14
	अधिशेष	9.80	7.64

क्रम सं.	विवरण आय	(धनराशि ₹ लाख में)	
		2011-12	2010-11
	<u>आम सभा द्वारा अधिशेष का आंबटन</u>		
	(1) सुरक्षित निधि	..	(1.91)
	(2) आकस्मिकता आरक्षित निधि	..	(0.83)
	(3) एनसीयूआई की सहकारी शिक्षा निधि	.	(0.07)
	(4) फेडरेशन की शिक्षा निधि	..	(0.07)
	(5) विकास निधि	..	(0.50)
	(6) कर्मचारी कल्याण कोष	..	(0.50)
	(7) कर्मचारियों को एक्स ग्रेशिया(अनुग्रह)	..	(3.76)
	योग	..	(7.64)

(कोष्ठक में दिखाये गये आंकड़े वित्तीय वर्ष 2010-11 से सम्बन्धित हैं)

फेडरेशन के उपनियम संख्या 37 के अनुसार वर्ष 2011-12 के लिये अधिशेष का विनियोजन सामान्य निकाय द्वारा वार्षिक सामान्य बैठक में किया जायेगा।

जरनल प्रकाशन सम्बन्धी क्रिया कलाप

क्रम सं.	विवरण आय	धनराशि ₹ (लाख में)	
		2011-12	2010-11
1.	पत्रिका अभिदान	40920.00	41060.00
2.	विज्ञापन प्रभार	80000.00	86000.00
3.	प्रकाशनों की बिक्री	60.00	360.00
4.	अतिरिक्त प्राविधनों का पुनरांकन	1555.00	2277.00
5.	ख़ारिज किये गये अशोध्य ऋण से वसूली	900.00	0.00
	योग(1 से 5)	123435.00	129697.00
	<u>व्यय</u>		
1.	मुद्रण प्रभार	146640.00	154240.00
2.	डाक तार एवं दूरभाष	12547.00	13531.18
3.	सहयोगकर्ताओं/लेखकों को मानदेय	8200.00	5200.00
4.	बीडीडीआर हेतु प्रावधान	24220.00	50020.00
5.	विविध व्यय	1240.00	1145.00
	योग (1 से 5)	192847.00	224136.18
	शुद्ध लाभ/हानि (+)/(-)	(-) 69412.00	(-) 94439.18

VII. अक्षय निधियाँ

31 मार्च 2012 को विभिन्न अक्षय निधियों की स्थिति संक्षेप में नीचे दी जा रही हैं:-

निधि का नाम	31.3.2012 को अवशेष	निधि के अन्तर्गत गतिविधियाँ
1.बी.वेंकटरत्नम मेमोरियल निधि	₹77,861.99	कोटि-1 के सर्वोत्तम एआरडी बी को प्रति वर्ष बी.वी.मेमोरियल ट्राफी प्रदान की जाती है।
2. उदयभानसिंह जी मेमोरियल निधि	₹1,24,473.42	(i) राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद द्वारा देश में चलाये जा रहे सहकारी प्रबन्ध संस्थानों में भूमि विकास बैंकिंग में डिप्लोमा पाठयक्रम के मेधावी प्रशिक्षणार्थियों को प्ररस्कृत करना। (ii) उदयभान सिंह जी मेमोरियल ट्राफी प्रतिवर्ष कोटि-1 के सर्वोत्तम बैंक को दी जाती है।
3.दत्तात्रयालू मेमोरियल निधि	₹59,647.50	दत्तात्रयालू मेमोरियल ट्राफी प्रतिवर्ष कोटि-III के सर्वोत्तम बैंक को दी जाती है।
4.केरल एससीएआरडी बी द्वारा गठित एम.एन.नाम्बियार मेमोरियल निधि	₹52,570.86	एम.एन.नाम्बियार ट्रॉफी सर्वाधिक ऋण वितरण कार्य निष्पादन करने वाले एआरडी बी को प्रति वर्ष दी जाती है।
5. पंजाब एससीएआरडीबी द्वारा गठित मुख्यमंत्री पंजाब ट्राफी निधि	₹46,331.00	पंजाब मुख्यमंत्री ट्रॉफी सर्वाधिक ऋण वसूली कार्य निष्पादन करने वाले एआरडीबी को प्रतिवर्ष दी जाती है।
6.रजत जयन्ती निधि	₹3,27,405.10	इस निधि के अन्तर्गत फेडरेशन किसी कर्मचारी अथवा सदस्य अथवा सदस्य बैंक के आश्रित जो किसी भी सदस्य बैंक से है, को ₹25000/- वैमनिकॉम पुणे द्वारा संचालित स्नातकोत्तर व्यापार प्रबन्धन डिप्लोमा करने वाले छात्र को अध्येतावृत्ति देता है।
7. फेडरेशन द्वारा गठित एशियन रेफिशन सेण्टर निधि	₹1,42,632.18	..
कुल योग	₹8,30,922.05	

VIII. सामान्य निकाय , बोर्ड एवं कार्यपालक समिति

सामान्य निकाय , फेडरेशन के सदस्यों , जो सम्बन्धित बैंक के निदेशक मण्डल द्वारा नामित प्रतिनिधियों के प्रतिनिधित्व से मिलकर गठित होता है। फेडरेशन के सदस्यों की सूची निम्नवत् है:-

1. आंध्र प्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, हैदराबाद ।
2. असम राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, गुवाहटी ।
3. बिहार राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक मर्यादित, पटना ।
4. छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, रायपुर ।
5. गुजरात राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, अहमदाबाद ।
6. हरियाणा राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, पंचकुला ।
7. हिमांचल प्रदेश राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, शिमला ।
8. जम्मू एवं कश्मीर राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, श्रीनगर ।
9. कर्नाटक राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, बेंगलौर ।
10. केरल राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, थिरुअनन्तपुरम ।
11. मध्य प्रदेश राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, भोपाल ।
12. महाराष्ट्र राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण बहुउद्देशीय विकास बैंक मर्यादित, मुम्बई ।
13. उड़ीसा राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, भुवनेश्वर ।
14. पान्डिचेरी सहकारी केन्द्रीय भूमि विकास बैंक, पाण्डिचेरी ।
15. पंजाब राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, चण्डीगढ़ ।
16. राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक मर्यादित, जयपुर ।
17. तमिलनाडु राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, चेन्नई ।
18. त्रिपुरा राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, अगरतला ।
19. उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक मर्यादित, लखनऊ ।
20. पश्चिम बंगाल राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, कोलकाता ।
21. दिल्ली राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, नई दिल्ली ।
22. गोवा राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, पणजी ।
23. मेघालय सहकारी एपेक्स बैंक मर्यादित, शिलांग ।

प्रबन्ध समिति

उप नियम संख्या 20(III) के अनुसार सामान्य निकाय द्वारा निर्वाचित फेडरेशन की प्रबन्ध समिति में 20 संचालक होते हैं। जिसमें एक संचालक केन्द्र सरकार, 2 संचालक बोर्ड द्वारा ऐसे व्यक्ति को जो पदेन (एक्स आफिसिओ) फेडरेशन का सदस्य हो, प्रबन्ध निदेशक को छोड़ कर फेडरेशन द्वारा नामित किया जाता है।

प्रबन्ध समिति में 31.03.2012 को निम्नांकित व्यक्तियों से गठित थी :-

क्रम संख्या	बोर्ड के सदस्य का नाम	प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य बैंक
1.	श्री के.शिवदासन नायर, एम.एल.ए., अध्यक्ष	केरल राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित
2.	श्री सुखदर्शन सिंह म्रार, उपाध्यक्ष	पंजाब राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित
3.	श्री वाय.वी. रेड्डी, उपाध्यक्ष	आंध्र प्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित
4.	श्री किशन सिंह भटोल, उपाध्यक्ष	मध्य प्रदेश राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित
5.	श्री नारायण रूपिनी, एम.एल.ए., उपाध्यक्ष	त्रिपुरा राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित
6.	श्री बिजय कुमार सिंह	बिहार राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक सीमित
7.	श्री देवेन्द्र कुमार पाण्डेय	छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित
8.	डा. ब्रिजेन्द्र सिंह	दिल्ली राज्य सहकारी बैंक मर्यादित
9.	श्री कनुभाई एम.पटेल	गुजरात राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित
10.	श्री आर.जी.एन.मुले	गोवा राज्य सहकारी बैंक मर्यादित
11.	श्री दलीप सिंह यादव	हरियाणा राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित
12.	श्री एस. एस. चौहान	हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित
13.	श्री ए. आर. शिवराम	कर्नाटक राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित
14.	डा. सुभाष माने	महाराष्ट्र राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण बहुउद्देशीय विकास बैंक मर्यादित
15.	श्री ए.अरिवाजगन	पान्डिचेरी सहकारी केन्द्रीय भूमि विकास बैंक
16.	श्री अशोक कुमार फौजदार	राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक मर्यादित
17.	श्री एम. मोहन	तमिलनाडु राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित
18.	श्री नवल किशोर	उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक मर्यादित
19.	सुश्री रोशन वार्जरी	मेघालय सहकारी एपेक्स बैंक मर्यादित
20.	श्री के के रविन्द्रन	प्रबन्ध निदेशक, फेडरेशन

दिनांक 31.03.2012, को सदस्य बैंकों द्वारा नामांकन परिवर्तन के कारण प्रबन्ध समिति में एक पद रिक्त रहा।

कार्यकारी समिति

1. श्री के शिवदासन नायर, एम.एल.ए. अध्यक्ष, केरल एससीएआरडीबी
2. श्री एस. एस. प्रार, अध्यक्ष, पंजाब एससीएआरडीबी
3. श्री वाय.वी. रेड्डी, अध्यक्ष, आंध्र प्रदेश एस.सी.बी.
4. श्री किशन सिंह भटोल, अध्यक्ष, मध्य प्रदेश एससीएआरडीबी
5. श्री नारायण रूपिनी, एम.एल.ए. अध्यक्ष, त्रिपुरा एससीएआरडीबी
6. श्री ए. आर. शिवराम, संचालक, कर्नाटक एससीएआरडीबी
7. डा. बिजेन्द्र सिंह, अध्यक्ष, दिल्ली एस.सी.बी.
8. श्री दलीप सिंह यादव, संचालक, हरियाना एससीएआरडीबी
9. श्री आर. जी. एन. मुले, अध्यक्ष, गोवा एस.सी.बी.
10. सुश्री रोशन वार्जरी, अध्यक्ष, मेघालय सी.ए.बी.
11. श्री के. के. रविन्द्रन, प्रबन्ध निदेशक, एससीएआरडी बैंको का फेडरेशन

स्थायी आमंत्रित सदस्य

1. सुश्री रोशन वार्जरी, अध्यक्ष, मेघालय सी.ए.बी.
2. श्री अशोक कुमार फौजदार, अध्यक्ष, राजस्थान एससीएआरडीबी
3. श्री कनुभाई एम. पटेल, अध्यक्ष, गुजरात एससीएआरडीबी

प्रशासकीय समिति

1. श्री के शिवदासन नायर, एम.एल.ए. अध्यक्ष, केरल एससीएआरडीबी
2. श्री एस. एस. प्रार, अध्यक्ष, पंजाब एससीएआरडीबी

3. श्री किशन सिंह भटोल, अध्यक्ष, मध्य प्रदेश एससीएआरडीबी
4. श्री वाई. वी. रेडडी, अध्यक्ष, आंध्रप्रदेश एस.सी.बी.
5. श्री नारायण रुपिनी, एम.एल.ए. अध्यक्ष त्रिपुरा एससीएआरडीबी
6. श्री के.के.रविन्द्रन, प्रबन्ध निदेशक

वित्तीय वर्ष 2011-12 में सामान्य निकाय, विशिष्ट सामान्य निकाय, प्रबन्ध समिति तथा कार्यकारी समिति की बैठकें :-

सामान्य निकाय, विशिष्ट सामान्य निकाय, प्रबन्ध समिति तथा कार्यकारी समिति की बैठकों का विवरण रिपोर्ट के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान आयोजन तिथि व स्थान सहित निम्नानुसार है :-

बैठक का विवरण	स्थान	आयोजन तिथि
(अ) सामान्य निकाय (51वीं बैठक) मुम्बई	28 सितम्बर, 2011	
(ब) प्रबन्ध समिति		
132वीं बोर्ड बैठक	मुम्बई	21 अप्रैल 2011
133वीं बोर्ड बैठक	हैदराबाद	29 जुलाई 2011
134वीं बोर्ड बैठक	मुम्बई	28 सितम्बर 2011
135वीं बोर्ड बैठक	मुम्बई	30 जनवरी 2011
(स) कार्यकारी समिति की बैठक		
	मुम्बई	21 अप्रैल 2011
	लखनऊ	3 दिसम्बर 2011

बोर्ड की बैठकों में सदस्य बैंकों के व्यवसाय समीक्षा के अतिरिक्त मुख्य रूप से ग्रामीण साख से सम्बन्धित नीतियों एवं उनके कार्यान्वयन सम्बन्धी मुद्दों पर निरन्तर विचार विमर्श किया जाता रहा है।

रिपोर्ट के अर्न्तगत प्रबन्ध समिति (बोर्ड) सदस्य बैंकों के व्यावसायिक क्रियाकलापों तथा ऋण पत्र निर्गमन, ऋण वितरण तथा वसूली आदि कार्यों की सामयिक समीक्षा के अतिरिक्त बैठकों में निम्नांकित विषयों पर विचार विमर्श किया गया:—

1. एआरडी बैंकों की पुनरुत्थान हेतु तत्परता पर आंचलिक संगोष्ठियों की सिफारिशें / सुझाव।
2. पुर्नवित्त की ब्याज दरों में संशोधन।
3. वर्ष 2011-12 का केन्द्रीय बजट।
4. आर्थिक सर्वेक्षण 2011-12।
5. सदस्य बैंकों के कार्यों की समीक्षा (अप्रैल 2010 से फरवरी 2011)।
6. बैंक जमा पर आदर्श नीति।
7. शीत गृहों एवं औद्योगिक उत्पाद के निर्माण/विस्तार/नवीनीकरण के लिये पूँजी निवेश अनुदान योजना (आईसीसीएस)— संशोधित दिशा निर्देश एवं क्रियान्वयन प्रक्रिया।
8. पशुपालन क्षेत्र में सरकार द्वारा प्रायोजित योजनायें।
9. एग्रीक्लीनिक तथा कृषि व्यवसाय केन्द्र योजनायें—संशोधित दिशा निर्देश।
10. जापान आपदा निवारण कोष।
11. आंचलिक सम्मेलनों के सुझावों को कियान्वित करने हेतु एससीएआरडी बैंकों के लिये कार्य बिन्दु।
12. फेडरेशन के साथ प्रस्तावित बैठक के लिये नाबार्ड को विचारार्थ सम्प्रेषित मुद्दे।
13. एससीएआरडी बैंकों की नकदी सहायता निधि (लिक्विडिटी सपोर्ट फण्ड)।
14. नाबार्ड की वर्ष 2011-12 के दौरान योजनाबद्ध रूप से ऋण प्रदान करने की पुर्नवित्त नीति।
15. एससीएआरडी बैंकों की ऋण पत्र निर्गमन नीति को वर्ष 2011-12 के दौरान भारत सरकार का सहयोग।
16. ऋण प्रार्थनापत्रों एवं ऋण मूल्यांकन के मानक प्रारूप।
17. (I) वर्ष 2010-11 के दौरान सदस्य बैंकों के कार्यों की समीक्षा।
(II) एससीएआरडी बैंकों का अप्रैल-मई 2011 के दौरान मुख्य संचालन क्षेत्रों में कार्य निष्पादन।

18. भारतीय रिज़र्व बैंक के नये निजी क्षेत्र में बैंकों को लाइसेन्स दिये जाने के मसौदा-दिशा निर्देश ।
19. प्रत्यक्ष कर कोड-2010 सहकारिताओं के लिये निहितार्थ ।
20. एलटीसीसी के लिये पुनरुत्थान संकुल (पैकेज) & वर्तमान स्थिति ।
21. एआरडी बैंकों द्वारा जमा संग्रहण हेतु दिशा निर्देश ।
22. एग्री क्लीनिक तथा एग्री बिजनेस केन्द्र योजना –निर्णायक एसीएबीसी सारसंक्षेप ।
23. मुर्गीपालन उपक्रम पूँजी (अनुदान)
24. वर्ष 2011-12 के दौरान जून 2011 तक सदस्य बैंकों के कार्यों की समीक्षा ।
25. 30.06.2011 तक की वसूली की समीक्षा ।
26. नाबार्ड से पुर्नवित्त आहरण हेतु ऋण प्रक्रिया का प्रारम्भ ।
27. एससीएआरडी बैंकों को पुर्नवित्त में राज्य और केन्द्र की सहभागिता ।
28. एससीएआरडी बैंकों द्वारा फसली ऋण वितरण के लिये नाबार्ड की पुर्नवित्त योजना ।
29. वैद्यनाथन टास्क फोर्स – II की सिफारिशों के आधार पर एलटीसीसीएस के लिये पुनरुद्धार संकुल (पैकेज) की वर्तमान स्थिति ।
30. दीर्घ कालीन सहकारी साख ढाँचे के लिये सरकार द्वारा विचार किये जाने से सम्बन्धित कुछ सुझाव ।
31. पुर्नवित्त की ब्याज दर में संशोधन ।
32. फेडरेशन द्वारा सदस्य बैंकों को सूचनाओं/जानकारी का प्रसार, एवं लैण्ड बैंक जरनल का प्रकाशन ।
33. अन्तर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष 2012 कार्यक्रमों की तालिका तैयार करना ।
34. एससीएआरडी बैंकों के लिये निवेश नीति ।
35. एससीएआरडी बैंकों की जुलाई से नवम्बर 2011 के दौरान मुख्य संचालन क्षेत्रों में कार्य निष्पादन की समीक्षा ।

IX. राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय स्तरों पर प्रतिनिधित्व

राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर सदस्यता

राष्ट्रीय स्तर पर फेडरेशन अपनी सदस्यता निम्नांकित संस्थाओं से निरन्तर बनाये हुये है:-

- 1) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी यूनियन (एनसीयूआई)
- 2) इण्डियन मर्चेण्टस् चेम्बर (आईएमसी)
- 3) इण्डियन बैंक्स एसोसिएशन (आईबीए)
- 4) सेण्टर फॉर इण्टरनेशनल कोआपरेशन एण्ड ट्रेनिंग इन एग्रीकल्चरल बैंकिंग(सीआईसीटीएबी)।
- 5) इण्डियन सोसाइटी फॉर स्टडीज़ इन कोआपरेशन

फेडरेशन अंश धारक के रूप में निम्नांकित संस्थाओं की सदस्यता भी धारित किये हुये है:-

1. नेशनल फिल्म एण्ड फाइन आर्ट्स कोआपरेटिव्स लि. (एनएएफएफसी) नई दिल्ली।
2. इण्डियन टूरिज़्म कोआपरेटिव लि. (आईटीसी), नई दिल्ली।
3. कोआपरेटिव बैंक ऑफ इण्डिया, (सीओबीआई), नई दिल्ली।

फेडरेशन इनमें से कुछ संस्थानों के प्रबन्धन में प्रतिनिधित्व करता है।

अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर निम्नांकित संस्थानों से निरन्तर सम्बद्ध है:-

1. इण्टरनेशनल कोआपरेटिव एलायन्स (आईसीए), जिनेवा।
2. इण्टरनेशनल रैफिसेन यूनियन (आईआरयू), बॉन-जर्मनी।
3. एशिया एण्ड पेसिफिक रीजनल एग्रीकल्चरल क्रेडिट एसोसिएशन (एप्राका), बैंकॉक।

इन अन्तरराष्ट्रीय निकायों से सम्बद्धता ने फेडरेशन तथा सदस्य बैंकों को क्षेत्रीय एवं वैश्विक स्तर पर सामान्य हितों के सहयोगियों से परस्पर बातचीत के अवसर प्रदान किये हैं।

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक का राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व एवं सहभागिता

फेडरेशन ने विभिन्न अभिकरणों, जिनमें केन्द्र एवं राज्य सरकारें, नाबार्ड, रिज़र्व बैंक ऑफ इण्डिया आदि सम्मिलित हैं, से प्रतिवेदित वर्ष के दौरान, निरन्तर सम्बन्ध बनाये रखा है।

फेडरेशन के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, नाबार्ड, एनसीयूआई, कोबी इत्यादि द्वारा या तो नामित किये गये हैं अथवा विभिन्न निकायों व समितियों के निरन्तर प्रतिनिधित्व हेतु अधिकृत किये गये हैं। उन्होंने सम्मेलनों, कार्यशालाओं, संगोष्ठियों आदि में भाग लेने के साथ ही उनकी बैठकों / समितियों का विभिन्न स्तरों पर संचालन किया।

प्रतिवेदित वर्ष के दौरान फेडरेशन के अध्यक्ष निम्नांकित समितियों / बोर्ड हेतु नामित किये गये / प्रतिनिधित्व किया:—

- (i) एनसीयूआई की सामान्य निकाय तथा शासी परिषद।
- (ii) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल बैंकिंग के न्यासी मण्डल।
- (iii) एनसीयूआई द्वारा गठित सहकारी शिक्षा के लिये समिति के सदस्य।
- (iv) नेफेक (एनएएफएफएसी) के संचालक मण्डल के सदस्य।
- (v) सहकारी प्रशिक्षण के लिये राष्ट्रीय परिषद के सदस्य।
- (vi) आई सी ए के सामान्य निकाय के सदस्य।
- (vii) आई सी ए के सामान्य निकाय (आरओएपी) के सदस्य।
- (viii) आई आर यू के सामान्य निकाय के सदस्य।

प्रतिवेदित वर्ष के दौरान फेडरेशन के प्रबन्ध निदेशक भी निम्नांकित समितियों / बोर्ड हेतु नामित किये गये तथा उनका प्रतिनिधित्व किया:—

- (i) उपाध्यक्ष, वैश्विक मानव संसाधन विकास समिति (ग्लोबल एचआरडी कमेटी ऑफ आईसीए)
- (ii) सदस्य, सामान्य परिषद अप्राका (एशिया पैसिफिक ग्रामीण एवं कृषि साख संघ)
- (iii) एशिया पैसिफिक हेतु वैश्विक मानव संसाधन विकास के लिये आईसीए समिति (आईसीए कमेटी ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेण्ट फॉर एशिया एण्ड पैसिफिक)
- (iv) सदस्य, प्रबन्ध परिषद, भारतीय समाज के लिये सहकारिता में अध्ययन (इण्डियन सोसाइटी फॉर स्टडीज़ इन कोआपरेशन)।
- (v) सदस्य, सामान्य परिषद तथा सीआईसीटीएबी के निदेशकों की समिति।

X. आभार स्वीकार

संरचना को सुदृढ़ बनाने तथा सदस्य बैंकों के क्रिया कलापों को बढ़ाने के प्रयासों के अन्तर्गत फेडरेशन केन्द्र तथा राज्य सरकारों, नाबार्ड, भारतीय रिजर्व बैंक एनसीडीसी, एनसीयूआई तथा अनेक दूसरी एजेन्सियों तथा संस्थानों से निरन्तर निकट सम्पर्क तथा सहयोग बढ़ाने हेतु सक्रिय है। फेडरेशन को दिये गये सहयोग एवं समर्थन के लिये प्रबन्ध समिति उन सभी के प्रति अपनी तज्ञता ज्ञापित करता है।

एससीएआरडी बैंकों को सुदृढ़ बनाने के लिये की गयी पहल तथा मार्ग दर्शन करने एवं पुनर्वित्त सहयोग प्रदान करने के लिये फेडरेशन नाबार्ड प्रबन्धन तथा उसके अधिकारियों का आभारी है। बोर्ड डा. प्रकाश बक्शी, अध्यक्ष, नाबार्ड के कार्यकारी निदेशक तथा अन्य कार्यकारी एवं अधिकारियों का उनसे मिले सहयोग और मार्गदर्शन के लिये आभार ज्ञापित करता है।

एनसीडीसी, एससीएआरडी बैंकों को वित्तीय सहयोग प्रदान कर रहा है जिसके कारण सदस्यों को उनकी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिली है। हम एनसीडीसी के प्रबन्ध मण्डल और विशेष रूप से श्री सी.बी.पालीवाल, प्रबन्ध निदेशक के प्रति अपना आभार प्रकट करते हैं।

वीटीएफ-II की संस्तुतियों के आधार पर, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार दीर्घ कालीन सहकारी साख संरचना के पुनरुद्धार हेतु दिये जाने वाले पैकेज की कार्यवाही प्रक्रिया के अन्तर्गत सम्पन्न कर रहा है। प्रबन्धन बोर्ड वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी, श्री नमो नारायण मीणा, वित्त राज्य मंत्री, सचिव (वित्त विभाग), श्री दिनश कुमार मित्तल, संयुक्त सचिव (वित्त विभाग) तथा श्री उमेश कुमार को उनके बहुमूल्य सहयोग के लिये आभार प्रदर्शित करता है।

बोर्ड माननीय श्री शरद पवार, कृषि मंत्री का आभार प्रकट करता है कि उन्होंने इस क्षेत्र को अपना बहुमूल्य समर्थन प्रदान किया तथा श्री प्रबीर कुमार बासु, सचिव कृषि एवं सहकारिता, श्री जी.सी.पाठी, विशेष सचिव तथा संयुक्त सचिव एवं केन्द्रीय निबन्धक सहकारी समितियाँ, श्री राजेन्द्र कुमार तिवारी एवं मंत्रालय के अन्य अधिकारियों के फेडरेशन को दिये सहयोग एवं समर्थन एवं मार्गदर्शन के लिये उन सभी की सराहना करता है तथा आभार प्रकट करता है।

एनसीयूआई अपना सक्रिय सहयोग फेडरेशन के क्रियाकलापों को समय-समय पर देता रहा है। फेडरेशन, चन्द्रपाल सिंह यादव, अध्यक्ष तथा डा. दिनेश, मुख्य कार्यकारी अधिकारी की सराहना के साथ उनके प्रति आभार व्यक्त करता है।

फेडरेशन ने इस प्रतिवेदित वर्ष में अपने सदस्य बैंकों से निरन्तर वित्तीय सहयोग तथा अन्य समर्थन सक्रिय सहकार के रूप में प्राप्त किया है। हम अपने सदस्य बैंकों के प्रबन्धन व कर्मचारियों विशेषकर एससीएआरडी बैंकों के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। बोर्ड श्री शिवदासन नायर, एमएलए, अध्यक्ष के कुशल एवं गत्यात्मक नेतृत्व, योग्य उपाध्यक्षगण सर्वश्री सुखदर्शन सिंह म्रार, वाय वी रेड्डी, किशन सिंह भटोल तथा नारायण रूपिनी, एमएलए के सबल समर्थन के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता है कि उन्होंने दीर्घकालीन सहकारी साख संरचना के अति चुनौतीपूर्ण काल में सक्षम सहयोग प्रदान किया।

बोर्ड श्री के.के रविन्द्रन प्रबन्ध निदेशक की बहुमूल्य सेवाओं की सराहना करता है जिन्होंने मुख्य कार्यकारी अधिकारी के दायित्वों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा एवं समर्पण के साथ किया। प्रबन्धन, वर्ष के दौरान अपने अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा किये गये कार्यों की भी सराहना करता है।

प्रबन्ध समिति की ओर से
के. शिवदासन नायर
अध्यक्ष

सारणी 1 - ऋणपत्र एवं ऋण देयता में वृद्धि

(₹ लाख में)

क्र. सं.	बैंक का नाम	2011-12 के दौरान लिए गए				समग्र योग	
		नाबार्ड से (एचएसजी समेत)	केंद्र सरकार से	राज्य सरकार से	अन्यों से (एनसीडीसी/ हुडको /एनएचबी)	(2011-12) (3+4+5+6)	(2010-11)
1	2	3	4	5	6	7	8
1)	हरियाणा	37,034.00	109.00	109.00	17,730.00	54,982.00	57,663.00
2)	कर्नाटक	15,600.00	135.57	135.57	0.00	15,871.14	16,298.22
3)	केरल	67,136.74	0.00	0.00	27,500.00	94,636.74	71,438.69
4)	मध्य प्रदेश	1,429.30	30.32	30.32	0.00	1,489.94	1,062.40
5)	पाण्डिचेरी	0.00	0.00	0.00	436.98	436.98	488.97
6)	पंजाब	38996.72	1100.00	100.00	0.00	40,196.72	31413.59
7)	राजस्थान	19,359.59	504.80	650.00	0.00	20,514.39	20,852.93
8)	तमिलनाडु #	0.00	0.00	0.00	9983.00	9,983.00	12,775.00
9)	त्रिपुरा	3748.92	0.00	0.00	0.00	3748.92	प्राप्त नहीं
10)	उत्तर प्रदेश	49,998.49	710.09	578.06	0.00	51,286.64	60,952.63
	योग	233,303.76	2,589.78	1,602.95	55,649.98	293,146.47	272,945.43

नोट - तमिलनाडु एससीएआरडीबी बैंक ने टीएनएससी बैंक से ऋण लिया है।

सारणी 2-31 मार्च 2012 को ऋण पत्र/देय ऋण अवशेष

(₹ लाख में)

क्र. सं.	बैंक का नाम	31 मार्च 2012 को बकाया					समग्र योग	
		साधारण डिबेंचर कार्यक्रम	नाबार्ड से (एचएसजी समेत)	केंद्र सरकार से	राज्य सरकार से	अन्यों से (एनसीडीसी/ हुडको / एनएचबी)	31-03-2012 3 से 7	(31 मार्च 2011)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1)	आसाम	12.00	0.00	57.48	145.02	0.00	214.50	214.50
2)	छत्तीसगढ़	0.00	12,960.05	326.72	267.53	355.64	13,909.94	15,328.70
3)	गुजरात	0.00	9,793.08	204.42	0.00	63.92	10,061.42	14,042.04
4)	हरियाणा	0.00	197,565.00	4,841.00	11,864.00	17,730.00	232,000.00	221,086.00
5)	जम्मू एवं कश्मीर	0.00	0.00	279.28	336.72	0.00	616.00	616.00
6)	कर्नाटक	559.00	144,290.21	3,836.07	6,073.77	0.00	154,759.05	154,029.96
7)	केरल	240.00	203,177.11	1,911.85	1,906.36	25,542.31	232,777.63	212,848.36
8)	मध्य प्रदेश	100.00	77,061.38	3,190.50	4,334.25	0.33	84,686.46	100,150.62
9)	महाराष्ट्र	1,019.00	0.00	0.00	6,639.14	82,408.84	90,066.98	92,568.87
10)	उड़ीसा	1.63	0.00	541.21	5,603.41	0.00	6,146.25	6,146.25
11)	पाण्डिचेरी	0.00	9.33	0.51	1.50	709.66	721.00	548.00
12)	पंजाब	0.00	202,592.46	1,803.59	464.27	0.00	204,860.32	200,905.59
13)	राजस्थान	0.00	119,680.23	3,145.73	3,053.94	0.00	125,879.90	133,491.07
14)	त्रिपुरा	0.00	3461.34	0.00	0.00	0.00	3461.34	3491.22
15)	तमिलनाडु #	80.00	0.00	0.00	4514.87	11,858.00	16,452.87	18,344.87
16)	उत्तर प्रदेश	0.00	244,972.49	5,222.09	5,335.32	0.00	255,529.90	260,847.11
	योग	2,011.63	1,215,562.68	25,360.45	50,540.10	138,668.70	1,432,143.56	1,434,659.16

एससीएआरडी बैंक तमिलनाडु का राज्य सरकार को साधारण ऋणपत्र की देयधनराशि-₹195.00 लाख तथा राज्य सरकार को विशेष ऋणपत्र देय ₹4319.87 लाख है।

* महाराष्ट्र एससीएआरडी बैंक-अन्य बकाया महाराष्ट्र सरकार से लिये गये है।

सारणी ३ - जमा प्रचालन कार्यक्रम

(₹ लाख में)

क्र. सं.	बैंक का नाम	निक्षेप वृद्धि अवधि		निक्षेप अवशेष	
		2011-12	2010-11	31-03-2012	31-03-2011
1	2	3	4	5	6
1.	आसाम	8.01	4.70	27.14	30.85
2.	छत्तीसगढ़	1,671.51	1,312.81	2,068.56	2,055.34
3.	गुजरात	12,523.57	9,647.78	15,213.61	13,288.04
4.	जम्मू एवं कश्मीर	1,092.50	331.89	1,300.00	717.87
5.	हिमाचल प्रदेश	1151.06	727.14	2403.02	1583.13
6.	कर्नाटक	1,433.92	584.47	6,374.60	5,690.53
7.	केरल	126.15	0.00	126.15	0.00
8.	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	9,122.67	16,671.10
9.	उड़ीसा	0.00	0.00	112.95	117.85
10.	पाण्डिचेरी	746.87	618.79	930.77	871.11
11.	पंजाब	4004.03	2250.18	6984.05	4524.00
12.	राजस्थान	467.61	274.54	616.7	433.54
13.	तमिलनाडु	5270.57	885.91	4797.82	877.72
14.	उत्तर प्रदेश	6370.96	5753.76	7533.54	5880.45
	योग	34,866.76	22,391.97	57,611.58	52,741.53

सारणी -4 वर्ष में वितरित ऋण 31 मार्च 2012 को अवशेष

(₹ लाख में)

क्र. सं.	बैंक का नाम	2011-12 में वितरित ऋण		कुल योग		31 मार्च 2012 को अवशेष		महा योग	
		कृषि क्षेत्र	अकृषि क्षेत्र आरएचएस/ एस.टी.लोन/ अन्य सहित	(2011-12) (3+4)	(2010-11)	कृषि क्षेत्र	अकृषि क्षेत्र आरएचएस/ एस.टी.लोन/ अन्य सहित	(2011-12) (7+8)	(2010-11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1)	आसाम	0.00	2.00	2.00	5.68	530.98	373.16	904.14	922.16
2)	छत्तीसगढ़	97.24	77.11	174.35	1,320.50	15,897.85	398.30	16,296.15	17,910.29
3)	गुजरात	15,256.50	2,605.30	17,861.80	14,341.51	39,900.60	16,089.66	55,990.26	55,894.69
4)	हरियाणा	34,042.00	5,395.00	39,437.00	40,755.00	169,894.00	40,073.00	209,967.00	203,774.00
5)	जम्मू व कश्मीर	667.96	24.97	692.93	289.77	1,150.00	512.14	1,662.14	1,194.88
6)	कर्नाटक	18,600.32	1,728.37	20,328.69	19,343.13	127,398.72	6,213.72	133,612.44	136,443.60
7)	केरल	36,099.60	90,400.89	126,500.49	89,057.39	74,963.77	189,494.94	264,458.71	218,757.97
8)	मध्य प्रदेश	314.15	5,111.58	5,425.73	1,346.68	337.98	5,222.32	5,560.30	1,396.14
9)	पाण्डिचेरी	1.37	0.00	1.37	1.45	13.18	1,747.70	1,760.88	1,548.17
10)	राजस्थान	17,521.36	5,425.03	22,946.39	25,064.42	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	141152.89
11)	उत्तर प्रदेश	45,617.35	11,187.18	56,804.53	72,822.32	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	369,185.31	350,268.35
12)	हिमांचल प्रदेश	3094.10	1510.28	4,604.38	4806.33	1473.94	9947.12	11421.06	प्राप्त नहीं
13)	पंजाब	31581.83	17126.99	48,708.82	45137.87	0.00	0.00	0.00	0.00
14)	तमिलनाडु	1.86	45227.12	45228.98	43700.00	2402.64	59720.62	62123.26	55341.30
15)	त्रिपुरा	648.05	0.00	648.05	1032.00	3461.34	0.00	3461.34	3491.22
	योग	203,543.69	185,821.82	389,365.51	359,024.05	437,425.00	329,792.68	1,136,402.99	1,188,095.66



५२ वी
वार्षिक रिपोर्ट
२०११ - २०१२

सारणी ५ - ३१ मार्च २०१२ को लाभ और हानि

(₹ लाख में)

क्र. सं.	बैंक का नाम	एससीएआरडीबी स्तर पर लाभ / हानि	एससीएआरडीबी स्तर पर लाभ/हानि
		२०११-१२*	२०१०-११
१	२	३	४
१.	आसाम	प्राप्त नहीं	६१९.६७
२.	छत्तीसगढ़	प्राप्त नहीं	(१,२९४.९४)
३.	गुजरात	प्राप्त नहीं	३७११.४९
४.	हरियाणा	१५७६.००	७०३.००
५.	हिमांचल प्रदेश	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं
६.	जम्मू व कश्मीर	(४,९२२.९६)	(४,५९९.८१)
७.	कर्नाटक	प्राप्त नहीं	५.६३
८.	केरल	१९०५.००	१७२०.४०
९.	मध्य प्रदेश	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं
१०.	उड़ीसा	(१३,३९६.३९)	(१३,२५१.५१)
११.	पाण्डिचेरी	(१२९.४९)	(१०४.४७)
१२.	पंजाब	२,०७०.६३	१,९३२.०८
१३.	राजस्थान	१८९९.६२	२०३६.०८
१४.	तमिलनाडु	२४५.६६	२१३.६२
१५.	त्रिपुरा	(३१.००)	(४७.८३)
१६.	उत्तर प्रदेश	(६,४७९.६६)	१,५२८.९८
	योग	(१७,२६२.५९)	(६,८२७.६१)

नोट - कोष्ठक के अन्दर के अंक हानि प्रदर्शित करते हैं

* अनंतिम आँकड़े

सारणी ६ - नॉन परफॉर्मिंग परिसम्पतियाँ

(₹ लाख में)

क्र. सं.	बैंक का नाम	31 मार्च 2012 को			31 मार्च 2011 को		
		कुल अदत्त ऋण	मद सं.3 का		कुल बकाया ऋण	मद सं.6 का	
			गैर निष्पादित आस्तियाँ	कुल अदत्त ऋण में एनपीए का प्रतिशत		गैर निष्पादित आस्तियाँ	कुल अदत्त ऋण में एनपीए का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
1)	आसाम	904.14	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	922.16	877.30	95.14
2)	छत्तीसगढ़	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	17,910.29	8,895.35	49.67
3)	गुजरात	55,990.26	28,718.60	51.29	55,894.69	27,644.71	49.46
4)	हरियाणा	224,825.00	72,659.00	32.32	214,007.01	72,012.27	33.65
5)	जम्मू व कश्मीर	1,662.14	315.00	18.95	1,194.88	411.73	34.46
6)	कर्नाटक	133,612.44	37,820.19	28.31	134,169.04	39,810.73	29.67
7)	केरल	264,276.61	11,363.90	4.30	215,353.01	9,208.08	4.28
8)	मध्य प्रदेश	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	114,658.78	59,217.93	51.65
9)	पाण्डिचेरी	1,760.88	83.82	4.76	1,548.16	68.93	4.45
10)	पंजाब	218,795.10	5,179.88	2.37	209,584.40	322.74	0.15
11)	राजस्थान	144,387.76	41,434.64	28.70	149,478.81	34,307.18	22.95
12)	तमिलनाडु	140,831.62	23,008.72	16.34	134,323.59	21,241.52	15.81
13)	त्रिपुरा	3,461.34	689.85	19.93	3,491.22	1,185.62	33.96
14)	उत्तर प्रदेश	321,608.92	189,089.60	58.79	307,884.53	165,772.77	53.84
	योग	1,512,116.21	410,363.20	27.14	1,560,420.57	440,976.86	28.26

सारणी ७ - ज़मीनी स्तर पर वसूली निष्पादन

क्र. सं.	बैंक का नाम	अंतिम ऋणबाता स्तर पर										(लाख में)
		30.06.10					30.06.11					
		मांग	ऋण वसूली	अवशेष	वसूली का प्रतिशत मांग के सापेक्ष	मांग	ऋण वसूली	अवशेष	वसूली का प्रतिशत मांग के सापेक्ष			
1.	आसाम	366.67	134.19	232.48	36.60	231.36	45.58	185.78	19.70			
2.	बिहार	31,794.26	2,228.29	29,565.97	7.01	32,044.06	1,179.91	30,864.15	3.68			
3.	छत्तीसगढ़	10,943.07	5,784.33	5,158.74	52.86	10,234.81	4,870.41	5,364.40	47.59			
4.	गुजरात	59,113.39	24,633.55	34,479.84	41.67	59,731.22	28,206.05	31,525.17	47.22			
5.	हरियाणा	138,120.00	37,410.00	100,710.00	27.09	156,921.01	54,350.47	102,570.54	34.64			
6.	हिमाचल प्रदेश	12,190.74	6,265.51	5,925.23	51.40	2,860.37	1,650.71	1,209.66	57.71			
7.	जम्मू व कश्मीर	1,398.96	350.24	1,048.72	25.04	1,174.26	312.12	862.14	25.04			
8.	कर्नाटक	68,819.82	29,929.67	38,890.15	43.49	70,390.17	38,311.90	32,078.27	54.43			
9.	केरल	89,839.02	60,089.36	29,749.66	66.89	96,356.47	69,033.54	27,322.93	71.64			
10.	मध्य प्रदेश	88,679.63	23,186.19	65,493.44	26.15	76,691.54	21,581.70	55,109.84	28.14			
11.	महाराष्ट्र	79,308.03	16,517.13	62,790.90	20.83	66,107.25	12,439.69	53,667.56	18.82			
12.	उड़ीसा	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	2,134.17	252.25	1,881.92	11.82			
13.	पाण्डिचेरी	1,274.62	1,219.79	54.83	95.70	1,358.25	1,299.11	59.14	95.65			
14.	पंजाब	122,785.58	72,901.14	49,884.44	59.37	121,183.75	72,263.55	48,920.20	59.63			
15.	राजस्थान	102,299.79	38,712.81	63,586.98	37.84	110,753.50	50,114.67	60,638.83	45.25			
16.	तमिलनाडु	21,450.66	7,713.77	13,736.89	35.96	30,423.72	15,175.84	15,247.88	49.88			
17.	त्रिपुरा	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	1,160.00	816.07	343.93	70.35			
18.	उत्तरप्रदेश	171,981.59	74,684.89	97,296.70	43.43	154,507.93	77,405.25	77,102.68	50.10			
19.	पश्चिम बंगाल	36,437.07	17,476.04	18,961.03	47.96	44,253.13	20,634.96	23,618.17	46.63			
	योग	1,036,802.90	419,236.90	617,566.00	40.44	1,038,516.97	469,943.78	568,573.19	45.25			

स्रोत-वार्षिक सांख्यिकीय बुलेटिन 2008-09 : 2009-10 वर्ष 2009-10 से सम्बन्धित सूचनायें एससीएआरडी बैंक उड़ीसा और त्रिपुरा द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई।



सारणी ८ - सामान्य प्रशासकीय डेटा

क्र. सं.	बैंक का नाम	शाखाओं की संख्या (एकात्मक/मिश्रित ढांचा)		शाखाओं की संख्या(संघीय/मिश्रित)		पीसीएआरडीबैंकों संख्या(संघीय)		कुल सदस्य ऋणी व गैर ऋणी सदस्यों सहित		ऋणी सदस्यों की संख्या		क्या एससीएआरडी बैंक का निर्वाचित बोर्ड है- हां /नहीं		पीसीएआरडी बैंकों की संख्या जहां निर्वाचित बोर्ड है	
		31.3.12	31.3.11	31.3.12	31.3.11	31.3.12	31.3.11	31.3.12	31.3.11	31.3.12	31.3.11	31.3.12	31.3.11	31.3.12	31.3.11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1)	असम	28	28	0	0	0	0	39,102	39,052	सू.अ.	सू.अ.	हांह	हांह	ला.न.	ला.न.
2)	बिहार	131	131	0	0	0	0	सू.अ.	719,480	सू.अ.	472,437	सू.अ.	सू.अ.	ला.न.	ला.न.
3)	छत्तीस गढ़0		0	12	12	77	77	सू.अ.	सू.अ.	सू.अ.	सू.अ.	हांह	हांह	2	12
4)	गुजरात	181	181	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	674597	675226	674597	675226	हांह	हांह	ला.न.	ला.न.
5)	हरियाणा	0	0	19	19	87	87	700592	733185	287261	333312	हांह	हांह	9	19
6)	हिमाचल प्रदेश	33	33	1	1	16	16	सू.अ.	76,189	सू.अ.	47,219	सू.अ.	हांस	सू.अ.	1
7)	जम्मू व कश्मीर	45	45	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	86500	79700	73382	73125	नहीं	हांह	ला.न.	ला.न.
8)	कर्नाटक	0	0	177	177	23	23	सू.अ.	1073414	सू.अ.	67656	हांह	हांह	75	175
9)	केरल	0	0	63	50	सू.अ.	169	सू.अ.	1064407	सू.अ.	751539	हांह	हांह	सू.अ.	50
10)	मध्य प्रदेश	7	7	38	38	275	275	सू.अ.	396,320	सू.अ.	275,540	नहीं	हांह	सू.अ.	34
11)	महाराष्ट्र	0	0	29	29	187	217	सू.अ.	1,143,209	सू.अ.	6,622	नहीं	हांह	2	2
12)	उड़ीसा	0	0	46	46	5	5	सू.अ.	सू.अ.	सू.अ.	सू.अ.	नहीं	हांह	सू.अ.	सू.अ.
13)	पाण्डिचेरी	1	1	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	15946	15511	3866	3334	नहीं	हांह	ला.न.	ला.न.
14)	पंजाब	0	0	89	89	0	0	839,363	836,660	730,312	773,684	हांह	हांह	78	89
15)	राजस्थान	7	7	36	36	131	131	सू.अ.	1,273,338	सू.अ.	744,784	हांह	हांह	सू.अ.	सू.अ.
16)	तमिलनाडु0		0	180	180	18	18	2,200,950	2,153,314	343,205	343,017	नहीं	हांह	हांह	हांह
17)	त्रिपुरा	5	5	0	0	0	0	22,588	20,421	22,584	20,417	हांह	हांह	ला.न.	ला.न.
18)	उत्तर प्रदेश	323	323	0	0	0	0	2,626,119	2,535,893	2,437,038	2,353,309	नहीं	हांह	ला.न.	ला.न.
19)	पश्चिम बंगाल	0	0	24	24	सू.अ.	68	सू.अ.	377,904	सू.अ.	138,171	सू.अ.	सू.अ.	सू.अ.	सू.अ.
	योग	761	761	714	701	819	1086	7205757	13213223	4572245	7689292			286	382

नोट- लागू नहीं - ला.न. तथा सूचना अप्राप्त संकेत - सू.अ.

Notes

A series of horizontal dotted lines for writing notes.

BOARD OF MANAGEMENT

(As on 31st March 2012)

CHAIRMAN

Shri K. Sivadasan Nair, MLA
Director, Kerala SCARDB Ltd.

VICE CHAIRPERSONS

Shri Sukhdarshan Singh Mrar
Chairman, Punjab SCADB Ltd.

Shri Y.V. Reddy
President, Andhra Pradesh State Cooperative Bank Ltd.

Shri Kishan Singh Bhatol
Chairman, Madhya Pradesh SCARDB Ltd.

Shri Narayan Rupini, MLA
President, Tripura Coop. Agri. & Rural Dev. Bank Ltd.

DIRECTORS

Shri Bijay Kumar Singh
Chairman, Bihar SCLDB Ltd.

Shri Devendra Kumar Pandey
Chairman, Chhattisgarh SCARDB Ltd.

Dr. Bijender Singh, MLA
President, Delhi State Coop. Bank Ltd.

Shri Kanubhai M. Patel
Chairman, Gujarat SCARDB Ltd.

Shri R.G.N. Mule
Chairman, Goa SCB Ltd.

Shri Dalip Singh Yadav
Director, Haryana SCARDB Ltd.

Shri S.S. Chauhan
Chairman, Himachal Pradesh SCARDB Ltd.

Shri A.R. Shivaram
Director, Karnataka SCARDB Ltd.

Dr. Subhash Mane
Administrator, Maharashtra SCARMDB Ltd.

Shri A. Arivazhagan
Adm., Pondicherry Co-op. Central Land Dev. Bank Ltd.

Shri Ashok Kumar Faujdar
Chairman, Rajasthan SCARDB Ltd.

Shri M. Mohan
Special Officer, Tamil Nadu SCARDB Ltd.

Shri Nawal Kishore
Managing Director, Uttar Pradesh Sahkari Gram Vikas Bank Ltd.

Ms. Roshan Warjri
Chairperson, Meghalaya Coop. Apex Bank Ltd.

MANAGING DIRECTOR

Shri K.K. Ravindran

प्रबन्धन बोर्ड

(३१ मार्च २०१२ को)

अध्यक्ष

श्री के.शिवदासन नायर, एम.एल.ए.
निदेशक, केरल राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित

उपाध्यक्ष

श्री सुखदर्शन सिंह म्रार
अध्यक्ष, पंजाब राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित

श्री वाय.वी. रेड्डी
प्रेसीडेंट, आंध्र प्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित

श्री किशन सिंह भटोल
अध्यक्ष, मध्य प्रदेश राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित

श्री नारायण रूपिनी, एम.एल.ए.
प्रेसीडेंट, त्रिपुरा राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित

निदेशक

श्री बिजय कुमार सिंह
अध्यक्ष, बिहार राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक मर्यादित

श्री देवेन्द्र कुमार पाण्डेय
अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित

डा. बिजेन्द्र सिंह, एम.एल.ए.
प्रेसीडेंट, दिल्ली राज्य सहकारी बैंक मर्यादित

श्री कनुभाई एम. पटेल
अध्यक्ष, गुजरात राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित

श्री आर. जी. एन. मुले
अध्यक्ष, गोवा राज्य सहकारी बैंक मर्यादित

श्री दलीप सिंह यादव
निदेशक, हरियाणा राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित

श्री एस. एस. चौहान
अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित

श्री ए. आर. शिवराम
निदेशक, कर्नाटक राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित

डा. सुभाष माने
प्रशासक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण बहुउद्देशीय विकास बैंक मर्यादित

श्री ए. अरिवाजगन
प्रशासक, पान्डिचेरी सहकारी केन्द्रीय भूमि विकास बैंक मर्यादित

श्री अशोक कुमार फौजदार
अध्यक्ष, राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक मर्यादित

श्री एम. मोहन
स्पे. अधिकारी, तमिलनाडु राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित

श्री नवल किशोर
प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक मर्यादित

सुश्री रोशन वार्जरी
अध्यक्ष, मेघालय सहकारी एपेक्स बैंक मर्यादित

प्रबन्ध निदेशक

श्री के के रविन्द्रन



**NATIONAL COOPERATIVE AGRICULTURE & RURAL
DEVELOPMENT BANKS' FEDERATION LTD.**

**राष्ट्रीय सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक्स
फेडरेशन (मर्यादित)**

७०१, ७वी मंझिल, ए - विंग, बीएसईएल टेक पार्क,
रेल्वे स्टेशन के सामने, वाशी, नवी मुंबई - ४०० ७०३
टेलीफोन (कार्यालय) : ०२२-२७८१ ४२२४ / ४२६ / २२६
(एम.डी) : २७८१ ४११४
फैक्स : ९१-२२-२७८१ ४२२५
इ-मेल : nafcard@vsnl.com
वेबसाईट : www.nafcard.org.

701, 7th Floor, BSELTech Park, A Wing,
Opp. Railway Station, Vashi, Navi Mumbai-400703
Telephone (Office): 022-27814114 / 426 / 226
(M.D.): 022 - 27814224
Fax: 91-22-27814225
E-mail: nafcard@vsnl.com
Website: www.nafcard.org